

CGST (Rate) NOTIFICATIONS

DIGEST-2018

[Volume-II]



Compilation of Notifications issued under the Central
Goods and Services Tax Act 2017 (12 of 2017)

From 18th Aug 2017 to 28th May 2018



Compiled by

LOKESH MITTAL

Advocate High Court, Allahabad

[Editor : Tax Law Diary]

Mobile : 0-7007303296 (WhatsApp)

{e-mail : lokeshmittaladvocate@gmail.com}

TAX LAW DIARY

A Monthly Journal on Taxation Laws

[One Volume in a Year (Jan – Dec)]

12-C, Akashpuri Colony, Allahabad – 211 001

(Opp. Circuit House, Near Bank of India/Amul)

PHONE : 2423065 (0532) ; 0-9415637120

{e-mail : taxlawdiary@gmail.com}

Join WhatsApp Group on "0-7398058000" for GST Updates

[Volume-II]
Notifications (Rate) issued under the CGST Act, 2017
(12 of 2017)

No.	Date	Subject	Page
19	18-08-17	Amendment in Rate of tax on 'Tractor parts' from 14% to 9%	4 - 6
20	22-08-17	Amendment in Notification No.11/2017 dated 28-06-17	7 - 20
21	22-08-17	Amendment in Notification No.12/2017 dated 28-06-17	21 - 25
22	22-08-17	Amendment in Notification No.13/2017 dated 28-06-17	26 - 28
23	22-08-17	Amendment in Notification No.17/2017 dated 28-06-17	29 - 30
24	21-09-17	Further amendment in Noti. No.11/17 (Work Contract Services)	31 - 34
25	21-09-17	Further amendment in Noti. No.12/2017 (Sl.-82 substituted)	35 - 36
26	21-09-17	Exemption on certain supplies to Nuclear Power (NPCIL)	37 - 38
27	22-09-17	Amendment in Notification No.01/2017 (Rate of Tax)	39 - 58
28	22-09-17	Amendment in Notification No.02/2017 (Exempted Goods)	59 - 78
29	22-09-17	Amendment in Noti. No.5/17 (Refund on 'Corduroy Fabrics')	79 - 80
30	29-09-17	Further amendment in Noti. No.12/17 (Supply to Nepal/Bhutan)	81 - 82
31	13-10-17	Further amendment in Noti. No.11/2017 (Tax on services)	83 - 93
32	13-10-17	Further amendment in Noti. No.12/17 (Exemption on services)	94 - 99
33	13-10-17	Further amendment in Noti. No.13/2017 (Supply to RBI)	100 - 101
34	13-10-17	Further amendment in Notification No.01/2017 (Rate of Tax)	102 - 115
35	13-10-17	Further amendment in Noti. No.02/2017 (Exempted Goods)	116 - 119
36	13-10-17	Amendment in Notification No.04/2017 (Reverse Charge)	120 - 121
37	13-10-17	Prescribing Tax on intra-state supplies of 'Motor Vehicles'	122 - 125
38	13-10-17	Amendment in Noti. No.08/17 (Exemption apply till 31-03-18)	126 - 127
39	18-10-17	Conditional Reduction in rate of tax on 'Food preparations'	128 - 129
40	23-10-17	Tax on intra-state supply of goods for export under conditions	130 - 133
41	14-11-17	Further amendment in Notification No.01/2017 (Rate of Tax)	134 - 206

42	14-11-17	Further amendment in Noti. No.02/2017 (Exempted Goods)	207 - 215
43	14-11-17	Further amendment in Noti. No.04/2017 (Reverse Charge)	216 - 217
44	14-11-17	Further amendment in Noti. No.05/17 (Restriction on Fabrics)	218 - 220
45	14-11-17	Conditional Exemption on 'Scientific and Technical Equipment'	221 - 230
46	14-11-17	Further amendment in Noti. No.11/2017 (Tax on services)	231 - 237
47	14-11-17	Further amendment in Noti. No.12/17 (Exemption on services)	238 - 240
01	25-01-18	Further amendment in Noti. No.11/2017 (Tax on services)	241 - 255
02	25-01-18	Further amendment in Noti. No.12/17 (Exemption on services)	256 - 266
03	25-01-18	Further amendment in Noti. No.13/17 (RCM on services)	267 - 269
04	25-01-18	Transfer of development rights/construction service by deed	270 - 271
05	25-01-18	Exemption on Government's share of Profit Petroleum	272 - 273
06	25-01-18	Further amendment in Notification No.01/2017 (Rate of Tax)	274 - 285
07	25-01-18	Further amendment in Noti. No.02/2017 (Exempted Goods)	286 - 289
08	25-01-18	Conditional Exemption on inter-state supply of goods	290 - 293
09	25-01-18	Amendment in Notification No.45/17 ('Scientific Equipment')	294 - 296
10	23-03-18	Further amendment in Noti.08/17 (Exemption till 30-06-18)	297 - 298
11	28-05-18	Further amendment in Noti. No.04/2017 (Reverse Charge)	299 - 300



[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No.19/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 18th August, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in Schedule III – 9%, after serial number 452 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“452A	4011 70 00	Tyre for tractors
452B	4013 90 49	Tube for tractor tyres
452C	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
452D	8413 81 90	Hydraulic Pumps for Tractors
452E	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
452F	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
452G	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
452H	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
452I	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
452J	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
452K	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
452L	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452M	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor
452N	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
452O	8708 99 00	Fender, Hood, wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors”.

[F.No.354/137/2017-TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

Note: The principal notification No.1/2017- Central Tax (Rate) dated 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification No 18/2017- Central Tax (Rate) dated the 30th June, 2017 published *vide* number G.S.R 807 (E) dated the 30th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.19/2017 - केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 2017

सा0का0नि0 (अ).-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 673(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 1/2017 -केन्द्रीय कर (दर) 28 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III - 9 % में क्रम संख्या 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
452क	4011 70 00	ट्रैक्टर के लिए टायर
452ख	4013 90 49	ट्रैक्टर के टायर के लिए ट्यूब
452ग	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चरल डीजल इंजन जिनकी सिलिंडर क्षमता 250 सीसी से अधिक हो
452घ	8413 81 90	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पम्पस
452ङ.	8708 10 10	ट्रैक्टर के बम्पर और उसके कलपुर्जे
452च	8708 30 00	ट्रैक्टर के ब्रेक असेंबली और उसके कलपुर्जे
452छ	8708 40 00	ट्रैक्टर के गियर बाक्स और उसके कलपुर्जे
452ज	8708 50 00	ट्रैक्टर के ट्रांसएक्सल और उसके कलपुर्जे
452झ	8708 70 00	ट्रैक्टर के रोड व्हील्स और उसके कलपुर्जे और श्रृंखला
452ञ	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर के रेडिएटर असेंबली और उसके कलपुर्जे

		(ii) ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम और उसके कलपुर्जे
452ट	8708 92 00	ट्रैक्टर के साइलेंसर असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ठ	8708 93 00	ट्रैक्टर के क्लच असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ड	8708 94 00	ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील्स और उसके कलपुर्जे
452ढ	8708 99 00	ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक और उसके कलपुर्जे
452ण	8708 99 00	ट्रैक्टर के फेंडर, हुड, रेपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और उनके कलपुर्जे ”

[फा.सं. 354/137/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 807(अ), तारीख 30 जून, 2017 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 18/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 20/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 22nd August, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) against serial number 3, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, supplied to the Government, a local authority or a Governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of, - (a) a historical monument, archaeological site or remains of national importance, archaeological excavation, or antiquity specified under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958); (b) canal, dam or other irrigation works; (c) pipeline, conduit or plant for (i) water supply (ii) water treatment, or (iii) sewerage treatment or disposal.	6	-
(iv) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and	6	-

Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,- (a) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use by general public; (b) a civil structure or any other original works pertaining to a scheme under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission or Rajiv Awaas Yojana; (c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation” under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana, only for existing slum dwellers; (d) a civil structure or any other original works pertaining to the “Beneficiary led individual house construction / enhancement” under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana; (e) a pollution control or effluent treatment plant, except located as a part of a factory; or (f) a structure meant for funeral, burial or cremation of deceased.		
(v) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to,- (a) railways, excluding monorail and metro; (b) a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex; (c) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by competent authority empowered under the 'Scheme of Affordable Housing in Partnership' framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India; (d) low cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved	6	-

by the competent authority under- (1) the “Affordable Housing in Partnership” component of the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana; (2) any housing scheme of a State Government; (e) post-harvest storage infrastructure for agricultural produce including a cold storage for such purposes; or (f) mechanised food grain handling system, machinery or equipment for units processing agricultural produce as food stuff excluding alcoholic beverages.		
(vi) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	9	-”;

(ii) against serial number 8, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(vi) Transport of passengers by motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
	or	
	6	-”;

(iii) against serial number 9, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used	2.5	Provided that credit of input tax charged

household goods for personal use). <i>Explanation.-</i> “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.		on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay central tax @ 6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay central tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.”;

(iv) against serial number 10, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
	or	
	6	-”;

(v) against serial number 11, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). <i>Explanation.-</i> “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay central tax @ 6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay central tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.”;

(vi) against serial number 26,-

(a) in column (3), in item (i),-

(A) for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely:-

“(b) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);”;

(B) the *Explanation* shall be omitted;

(b) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- (a) printing of newspapers; (b) printing of books (including Braille books), journals and periodicals.	2.5	-

(iii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) and (ii) above.	9	-”;
---	---	-----

(vii) for serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“27	Heading 9989	(i) Services by way of printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-
		(ii) Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services, other than (i) above.	9	-”;

(viii) against serial number 34, in column (3), in item (i), after the word “drama”, the words “or planetarium” shall be inserted.

[F. No.354/173/2017 -TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 20/2017- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि.....(अ)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में परिभाषित हो, और जो कि सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो, - (क) ऐतिहासिक इमारत, प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक महत्व के अवशेष या प्रागैतिहासिक उत्खनन या प्राचीन वस्तुएं जो कि प्राचीन स्मारक एवं प्रागैतिहासिक स्थल तथा अवशेष अधिनियम,	6	-

1958 (1958 का 24) में विनिर्दिष्ट हैं; (ख) नहर, बांध और सिंचाई की अन्य संरचनाएँ; (ग) पाइप लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि (i) जल आपूर्ति (ii) जल शोधन, या (iii) सीवरेज शोधन या निटान के लिए हों।		
(iv) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा विनिर्दिष्ट हो और निम्नलिखित के निर्माण, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, देख-रेख करने, नवीनीकृत करने या संशोधित करने के लिए की गई हो, यथा - (क) सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल जो कि सामान्य जनता के सड़क परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हो; (ख) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना की किसी स्कीम से संबंधित हो; (ग) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "निजी भागीदारी के माध्यम से वर्तमान स्लम वासियों की उनकी वर्तमान जमीन का संसाधन के रूप में प्रयोग करके स्वस्थानिक आवास" से संबंधित हो, केवल वर्तमान स्लम वासियों के लिए; (घ) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सब के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत "लाभान्भोगी उन्मुखी व्यक्तिगत आवास निर्माण/ संवर्धन" से संबंधित हो; (ङ) प्रदूषण नियंत्रण कचरा निपटान संयंत्र, उनको छोड़कर जो कि कारखाने के एक हिस्से के रूप में	6	-

अवस्थित हों; या (च) संरचनाएं जो कि श्मसान या कब्रगाह, शवदाह के लिए हों ।		
(v) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (119) में यथा परिभाषित हों और ऐसे निर्माण, स्थापना या मूल निर्माण के माध्यम से की गई हो जो कि निम्नलिखित से संबंधित है,- (क) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर; (ख) एकल आवासीय इकाई जो कि किसी आवासीय परिषद के हिस्से से पृथक हो; (ग) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई “स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप” के अंतर्गत अनुमोदित हो; (घ) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिनको कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमोदित किया हो- (1) सब के लिए (शहरी) मकान मिशन/ प्रधानमंत्री आवास योजना के ‘अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप’ घटक; (2) राज्य सरकार की कोई आवासीय योजना; (ङ) कृषि उत्पादों के फसलोपरान्त भण्डारण की संरचनाएं जिसमें इस उद्देश्य से सम्बंधित कोल्ड स्टोरेज भी	6	-

आता है; या (च) मैकनाइज्ड फूड ग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम, मशीनरी या उपकरण जो कि उन इकाईयों के लिए हो जहां कि कृषि उत्पादों का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसंस्करण होता है, अल्कोहल युक्त पेय को छोड़कर।		
(vi) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न निर्माण सेवाएं।	9	-”;

- (ii) क्रम सं. 8 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
“(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		या
	6	-”;

- (iii) क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
“(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की सेवाएं ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर

स्पष्टीकरण : “माल परिवहन अभिकरण” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है ।		प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	6	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तदोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करना पड़ेगा।”;

- (iv) क्रम सं. 10 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
“(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया

		गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	6	-”;

- (v) क्रम सं. 11 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
“(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है । स्पष्टीकरण- “माल परिवहन अधिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	6	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तद्वोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत

		की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करना पड़ेगा।”;
--	--	--

(vi) क्रम सं. 26 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (i) के समक्ष , -

(क) उप-मद (ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(ख) वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आते हैं;”;

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
“(ii) अन्य व्यक्तियों के माल पर किया गया कोई उपचार या की गयी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं जो कि निम्नलिखित से संबंधित है - (क) समाचार पत्रों का मुद्रण; (ख) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण ।	2.5	-
(iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं ।	9	-”;

(vii) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

“27	शीर्ष 9989	(i) समाचार पत्र, पुस्तकें (जिसमें ब्रेल पुस्तकें भी शामिल हैं) पत्रों और आवधिक पत्रों के मुद्रण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा, जहां कि प्रकाशक द्वारा केवल विषयवस्तु प्रदान की जाती है और जिसमें कागज़ समेत प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होने वाले भौतिक इनपुट प्रिंटर के होते हैं ।	6	-
		(ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं।	9	-”;

(viii) क्रम सं. 34 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (i) में शब्द “ड्रामा है” के पश्चात “या प्लेनेटेरियम” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/173/2017 -टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 690 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 21/2017- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 22nd August, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9A	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017.”;

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11A	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to Central Government by way of sale of wheat, rice and	Nil	Nil

		coarse grains under Public Distribution System(PDS) against consideration in the form of commission or margin.		
11B	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to State Governments or Union territories by way of sale of kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System (PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil”;

(c) against serial number 35, in column (3),-

- (A) in item (h), for the words “Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme”, the words, brackets and letters “Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWCIS)”, shall be substituted;
- (B) in item (j), for the words “National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana)”, the words, brackets and letters “Pradhan Mantri Fasal BimaYojana (PMFBY)”, shall be substituted;

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iii) A “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.”.

[F. No.354/173/2017 -TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 21/2017- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि.....(अ)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9क	अध्याय 99	फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एशोसिएशन (एफआईएफए) और इसके सब्सिडियरी के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफआईएफए यू-17 विश्व कप 2017, जोकि भारत में होना है, की किसी भी घटना से संबंधित हो।	कुछ नहीं	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय, के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017 की किसी घटना से

			संबंधित है।”;
--	--	--	---------------

(ख) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“11क	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11ख	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

(ग) क्रम सं. 35 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (ज) में, “मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम” शब्दों के स्थान पर “पुनर्संचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस)”, शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ज) में, “राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)” शब्दों के स्थान पर “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)”, शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(iii) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत “लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप” को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।”

[फा. सं. 354/173/2017 -टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 691 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 22/2017- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 22nd August, 2017

GSR.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, against serial number 1, in column (2), after the words and brackets “goods transport agency (GTA)” the words and figure “, who has not paid central tax at the rate of 6%,” shall be inserted;

(ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) A “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.”.

[F. No. 354/173/2017- TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 22/2017- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि.....(अ)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक “माल वाहक अभिकरण (जीटीए)” के पश्चात शब्द और अक्षर “, जिसने 6 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर का भुगतान नहीं किया है,” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“(इ) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत “लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप” को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।”

[फा. सं. 354/173/2017- टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 23/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 22nd August, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 696(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:-

“(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act.”.

[F.No.354/173/2017-TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 17/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 696 (E), dated the 28th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 23/2017- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि.....(अ)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(iii) हाउस कीपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटिंग आदि, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।”

[फा. सं. 354/173/2017- टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 17/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 696 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 24/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 21st September, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of – (a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession; (b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment; or (c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	6	-

(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-'.
--	---	-----

[F. No.354/173/2017 -TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 11/2017 - Central Tax(Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 20/2017-Central Tax (Rate) dated the 22nd August, 2017 *vide* number G.S.R. 1045(E), dated the 22nd August, 2017.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड 11, भाग 3, उप भाग (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 24/2017 केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर 2017 ,

सा.का.नि. (अ), केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) , एवं धारा 16 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017 केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड 11, भाग 3, उप भाग (1) में सा.का.नि. संख्या 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचनामें, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

3	4	5
" (vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,-		
(क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो;		
(ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा	6	-
(ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं ।		

(vii) उपर्युक्त (i),(ii),(iii),(iv),(v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं	9	-"
--	---	----

"

(फाइल संख्या 354/173/2017 –टी.आर.यू.)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

(टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 11/2017, केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. संख्या 690 ई., दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 20/2017 के कर (दर) दिनांक 22 अगस्त, 2017 को सा.का.नि. संख्या 1045 (ई.) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के अनुसार हुआ था ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 25/2017- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 21st September, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 World Cup 2017.	Nil	Nil".

[F. No.354/173/2017 -TRU]

(RuchiBisht)
Under Secretary to the Government of India

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 21/2017 - Central Tax (Rate) dated the 22nd August, 2017 *vide* number G.S.R. 1046(E). dated the 22nd August, 2017.

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 25/2017- केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) – केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं".

[फा.सं. 354/173/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से सा.का.नि. 691(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 1046 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 21/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 26/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 21st September, 2017

G.S.R.....(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra state supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of India Ltd from the whole of the central tax leviable thereon under section 9 of the Central Good and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

[F. No. 354/173/2017 TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 26 /2017- केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) –केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत आने वाली हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण केन्द्रीय कर में छूट प्रदान करती है।

[फा.सं. 354/173/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Notification No. 27/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 22nd September, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in Schedule I-2.5%,-

(i) against serial numbers 11, 13, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 and 59, in column (3), for the words “put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as in the ANNEXURE]”, shall be substituted;

(ii) after S. No. 29 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“29A	0802	Walnuts, whether or not shelled” ;
------	------	------------------------------------

(iii) after S. No. 33 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“33A	0813	Tamarind, dried” ;
------	------	--------------------

(iv) after S. No. 100 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“100A	2106	Roasted Gram” ;
-------	------	-----------------

(v) in S. No. 105, in column (3), the brackets and words, “[other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]”, shall be omitted;

(vi) in S. No. 106, in column (3), the brackets and words, “[other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]”, shall be omitted;

(vii) in S. No. 107, in column (3), for the words, “other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake”, the words “other than cotton seed oil cake”, shall be substituted;

(viii) in S. No. 185, for the entry in column (3), the entry “Agarbatti, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani”, shall be substituted;

(ix) after S. No. 198 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“198A	4601, 4602	Grass, leaf or reed or fibre products, including mats, pouches, wallets”;
-------	---------------	---

(x) in S. No. 200, in column (3), for the word “kites”, the words “Kites, Paper mache articles”, shall be substituted;

(xi) after S. No. 201 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“201A	4907	Duty Credit Scrips” ;
-------	------	-----------------------

(xii) after S. No. 219 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“219A	5801	Corduroy fabrics
219B	5808	Saree fall” ;

(xiii) after S. No. 257 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“257A	9404	Cotton quilts of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece” ;
-------	------	---

(xiv) after S. No. 259 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“259A	9601	Worked corals other than articles of coral” ;
-------	------	---

(xv) for S. No. 260 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“260	9603 [other than 9603 10 00]	Broomsticks [other than brooms consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles]” ;
------	--	---

(xvi) after S. No. 263 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“263A	Any chapter	Rosaries, prayer beads or Hawan samagri” ;
-------	----------------	--

(B) in Schedule II-6%,-

(i) in S. No. 15, in column (3), the word “walnuts,” , shall be omitted;

(ii) in S. No. 17, in column (3), for the words and figure “dried fruits of Chapter 8”, the words, figure and brackets, “dried fruits of Chapter 8 [other than tamarind, dried]”, shall be substituted;

(iii) in S. No. 45, in column (3), for the words and brackets, “Texturised vegetable proteins (soya bari) and Bari made of pulses including mungodi”, the words and brackets, “Texturised vegetable proteins (soya bari), Bari made of pulses including mungodi and batters, including idli / dosa batter”, shall be substituted;

(iv) in S. No. 46, in column (3), for the words “ready for consumption form”, the words and brackets, “ready for consumption form (other than roasted gram), shall be substituted;

(v) in S. No. 49, in column (3), for the words “put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “put up in unit container and, -

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]”, shall be substituted;

(vi) in S. No. 73, in column (3) , for the word “agarbattis”, the words, “agarbattis, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani”, shall be substituted;

(vii) after S. No. 85 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“85A	4016	Rubber bands” ;
------	------	-----------------

(viii) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“92A	44, 68, 83	Idols of wood, stone [including marble] and metals [other than those made of precious metals]”;
------	------------	---

(ix) after S. No. 99 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“99A	4419	Tableware and Kitchenware of wood” ;
------	------	--------------------------------------

(x) in S. No. 128, in column (3) , for the words “similar documents of title”, the words and brackets, “similar documents of title[other than Duty Credit Scrips]”, shall be substituted;

(xi) in S. No. 147, for the entry in column (3) ,the entry “Woven pile fabrics and chenille fabrics except Corduroy fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806”, shall be substituted;

(xii) in S. No. 154, for the entry in column (3) ,the entry “Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles[other than saree fall]”, shall be substituted;

(xiii)) after S. No. 171 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“171A	6501	Textile caps ” ;
-------	------	------------------

(xiv) in S. No. 176, in column (3), after the words “Sand lime bricks” the words “or Stone inlay work” shall be inserted;

(xv) after S. No. 176 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“176A	6802	Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone”;
-------	------	--

(xvi) after S.No. 177 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“177A	6909	Pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance and packing of goods of ceramic
177B	6911	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
177C	6912	Tableware, kitchenware, other household articles and

		toilet articles, other than of porcelain or china
177D	6913	Statues and other ornamental articles”;

(xvii) after S.No. 189 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“189A	8306	Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; metal bidriware”;
-------	------	---

(xviii) after S. No. 195 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“195A	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers” ;
-------	------	--

(xix) after S. No. 224 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“224A	9404	Cotton quilts of sale value exceeding Rs. 1000 per piece” ;
-------	------	---

(xx) after S. No. 231 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“231A	9601	Worked ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, mother of pearl, and other animal carving material and articles of these materials, articles of coral (including articles obtained by moulding)”;
-------	------	--

(C) in Schedule III-9%,-

(i) in S. No. 23, in column (3), for the words and bracket “Diabetic foods;[other than Namkeens”, the words and bracket, “Diabetic foods, Custard powder;[other than batters including idli/dosa batter, Namkeens”, shall be substituted;

(ii) in S. No. 111, in column (3), for the words “Plastic Tarpaulin”, the words, “Plastic Tarpaulin, Medical grade sterile disposable gloves, Plastic raincoats”, shall be substituted;

(iii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“123A	4016	Rice rubber rolls for paddy de-husking machine” ;
-------	------	---

(iv) S. No. 140 and the entries thereof shall be omitted;

(v) in S. No. 157, in column (3), for the words “Braille paper”, the words “Braille paper, kites, Paper mache articles” shall be substituted;

(vi) in S. No. 172, in column (3), for the words, “of felt”, the words and brackets, “of felt [other than textile caps]”, shall be substituted;

(vii) S. Nos. 186 and 187 and the entries thereof shall be omitted;

(viii) S. No. 304 and entries thereof shall be omitted;

(ix) in S. No. 325, in column (3), for the words “other than fire extinguishers, whether or not charged”, the words, “other than fire extinguishers, whether or not charged and Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers” shall be substituted;

(x) in S. No. 384, in column (3), for the words and figures, “Computer monitors not exceeding 17 inches”, the words and figures, “Computer monitors not exceeding 20 inches”, shall be substituted;

(xi) in S. No. 438, for the entry in column (3), the entry, “Cair mattresses, cotton pillows and mattresses”, shall be substituted;

(xii) after S. No. 449 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“449A	9613	Kitchen gas lighters” ;
-------	------	-------------------------

(D) in Schedule-IV-14%,-

(i) in S. No. 9, in column (3), the words “ , Custard powder” shall be omitted;

(ii) in S. No. 45, in column (3), for the words, “ plastic tarpaulins”, the words “plastic tarpaulins, medical grade sterile disposable gloves, plastic raincoats”, shall be substituted;

(iii) in S. No. 49, in column (3), for the words, “other than erasers”, the words, “other than erasers, rubber bands, rice rubber rolls for paddy de-husking machine”, shall be substituted;

(iv) in S. No. 70, in column (3), for the words, “ of Other calcareous stone”, the words and brackets, “of Other calcareous stone [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage; other ornamental goods essentially of stone]”, shall be substituted;

(v) in S. No. 85, the words, “ ;ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods”, shall be omitted;

(vi) S. No. 87 and the entries thereof shall be omitted;

(vii) in S. No. 154, in column (3), for the words and figures, “other than computer monitors not exceeding 17 inches”, the words and figures, “other than computer monitors not exceeding 20 inches”, shall be substituted;

(viii) S. No. 219 and entries thereof shall be omitted;

(ix) in S. No. 222, in column (3), for the words, “other than flints and wicks”, the brackets and words, “[other than flints, wicks or Kitchen gas lighters]”, shall be substituted;

(E) in Schedule-V-1.5%,-

in S.No. 2, in column (3), for the words, “other than Non-Industrial Unworked or simply sawn, cleaved or bruted”, the words, “other than industrial or non-industrial, unworked or simply sawn, cleaved or bruted, including unsorted diamonds”, shall be substituted;

(F) in Schedule-VI-0.125%,-

in S. No. 1, for the entry in column (3), the entry, “Diamonds, industrial or non-industrial, unworked or simply sawn, cleaved or bruted, including unsorted diamonds”, shall be substituted;

(G) in the *Explanation*, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

“(ii)(a) The phrase “brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or

writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

(b) The phrase “registered brand name” means,-

(A) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999. irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(C) a brand registered as on the 15th May 2017 under any law for the time being in force in any other country.”;

(H) after paragraph 2, the following Annexure shall be inserted, namely: -

“ANNEXURE

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

(a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall file an affidavit to that **effect with the jurisdictional commissioner of Central tax** that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and

(b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a) printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.”.

[F.No.354/117/2017-TRU Pt-II]

(Mohit Tewari)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 19/2017-Central Tax(Rate) dated 18th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 1032 (E), dated the 18th August, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

सं० 27/2017-केन्द्रीय कर(दर)

सा०का०नि० (अ)- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 2.5% में,-

- (i) क्रम संख्या 11, 13, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के समक्ष स्तंभ (3) में "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 29 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"29 (क)	0802	अखरोट, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या
---------	------	---

		नहीं”;
--	--	--------

(iii) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“33 (क)	0813	इमली, शुष्कित” ;
---------	------	------------------

(iv) क्रम संख्या 100 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी:-

“100 क	2106	भुना हुआ चना” ;
--------	------	-----------------

(v) क्रम संख्या 105 में, स्तंभ (3) में, ब्रैकेट्स और शब्द, “[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न] ”, का लोप किया जायेगा;

(vi) क्रम संख्या 106 में, स्तंभ (3) में, ब्रैकेट्स और शब्दों में, “[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न] ”, का लोप किया जायेगा;

(vii) क्रम संख्या 107 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “ जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न” के स्थान पर “कपास के बीज के तेल केक के अलावा” को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(viii) क्रम संख्या 185 में, कॉलम (3) में प्रविष्टि “अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप सांभरनी”, को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ix) क्रम संख्या 198 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“198 क	4601, 4602	घास, पत्ती या रीड या फाइबर उत्पादों, मट्स, पाउच, पर्स सहित” ;
--------	---------------	---

(x) क्रम संख्या 200 में, स्तंभ (3) में, शब्द “पतंग” के स्थान पर “पतंग, पेपर मैशे वस्तुएं” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(xi) क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“201 क	4907	इयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स” ;
--------	------	----------------------------

(xii) क्रम संख्या 219 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“219 क	5801	कॉरडरॉय कपड़े
219 ख	5808	साड़ी फाल” ;

(xiii) क्रम संख्या 257 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“257 क	9404	रुई वाली रजाइयां जिनका प्रति नग बिक्रय मूल्य 1000 रुपये से अधिक न हो” ;
--------	------	---

(xiv) क्रम संख्या 259 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“259 क	9601	कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो” ;
--------	------	---

(xv) क्रम संख्या 260 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी,:-

“260	9603 [9603 10 00 से भिन्न]	ब्रूमस्टिक्स [उन झाड़ूओं के अलावा जो कि शीकों या अन्य वनस्पति सामग्रियों को बांधकर बनायी गई हो, चाहे इसमें हथ्थे लगे हो या नहीं] ” ;
------	--	--

(xvi) क्रम संख्या 263 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“263 क	कोई भी अध्याय	माला, या प्रार्थना से संबंधित मनकों या हवन समग्री” ;
--------	------------------	---

(ख) अनुसूची II-6% में, -

(i) क्रम संख्या 15 में, स्तंभ (3) में, शब्द, “अखरोट”, का लोप किया जायेगा;

(ii) क्रम संख्या 17 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “अध्याय 8 के सूखे फल”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, " अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]", प्रतिस्थापित किया जाएगा; ”

(iii) क्रम संख्या 45 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी) और दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी ”, के स्थान पर शब्द, और ब्रैकेट, " संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी), दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी, और बैटर जिसमें इडली/डोसा बैटर शामिल है ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 46 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “उपभोग के लिए तैयार वैसी ही खाद्य निर्मितियां ”, के स्थान पर शब्द, और ब्रैकेट, " उपभोग के लिए तैयार (भुना हुआ चना के अलावा)",को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) (v) क्रम संख्या 49 के स्तंभ (3) में शब्दों ““जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो” शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(ग) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(घ) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 73 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “अगरबत्ती, ", के स्थान पर शब्द, " अगरबत्ती, लोबान, धूप बत्ती, धूप, संब्रानी ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 85 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“85 क	4016	रबर बैंड” ;
-------	------	-------------

(viii) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“92 क	44, 68, 83	लकड़ी, धातु और पत्थर की मूर्तियां, [संगमरमर सहित] [कीमती धातुओं से बने के अलावा] "; ;
-------	---------------	---

(ix) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, :-

“99 क	4419	लकड़ी के टेबलवेयर और बरतन” ;
-------	------	------------------------------

(x) क्रम संख्या 128 में, कॉलम (3) में, “वैसे ही हक के दस्तावेज”, के स्थान पर, “वैसे ही हक के दस्तावेज [ड्यूटी क्रेडिट स्ट्रिप के अलावा]” शब्दों, और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “व्यूतित रुआ, फेब्रिक और शनील फेब्रिक कॉरडराँय कपड़े के अलावा, शीर्ष सं. 5802 या शीर्ष सं. 5806 से भिन्न”, प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 154 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “ब्रेड नग में, अंलीकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं [साड़ी फॉल के अलावा]”, प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 171 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“171 (क)	6501	कपड़ा टोपी” ;
----------	------	---------------

(xiv) क्रम संख्या 176 में, कॉलम (3) में, “बलुआ प्रस्तर ईट”, के बाद, “या पत्थर जटित कार्य” शब्दों, को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 176 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“176 (क)	6802	मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वजन, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान” ;
----------	------	--

(xvi) क्रम संख्या 177 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“177 (क)	6909	चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
----------	------	---

177 (ख)	6911	पार्सिलेन या चाइना के खाने-पीने के वर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं
177 (ग)	6912	चीनी मिट्टी के खाने-पीने के वर्तन, रसोई के वर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं, उनके भिन्न जो पार्सिलेन या चाइना की हैं [मिट्टी के घड़े और मृत्तिका कले से भिन्न]
177 (घ)	6913	प्रतिमाएं और अन्य अलंकारी चीनी मिट्टी की वस्तुएं ”;

(xvii) क्रम संख्या 189 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“189 (क)	8306	आधार धातु की घंटियां, घंटे और वैसी ही वस्तुएं, जो विद्युत की नहीं हैं ; आधार धातु की लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम ; आधार धातु के दर्पण धातु विदरीवेयर ”;
----------	------	---

(xviii) क्रम संख्या 195 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“195 (क)	8424	स्प्रिंकलर या बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोजल”;
----------	------	---

(xix) क्रम संख्या 224 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“224 (क)	9404	रुई के रजाई जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग
----------	------	---

		से अधिक हो”;
--	--	--------------

(xx) क्रम संख्या 231 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“231 (क)	9601	कर्मित हाथी दांत, अस्थि, कच्छापकवच, शृंग, शृंगा, मुक्ता सीप और अन्य प्राणी नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं , कोरल की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत संचन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं)”;
----------	------	---

(ग) अनुसूची III - 9%

(i) क्रम संख्या 23 में कालम (3) में शब्दों और कोष्ठक “मधुमेह खाना (नमकीन)” शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर “मधुमेह खाना, कस्टर्ड पाउडर (बटर्स जिसमें इडली/डोसा बैटर शामिल है, नमकीन)” प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) क्रम संख्या 111 में कालम (3) में शब्दों ‘प्लास्टिक तिरपाल’ के स्थान पर शब्दों ‘प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारण योग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट’ प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) क्रम संख्या 123 के बाद तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“123क4016 धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्ल्स”;

(iv) क्रम संख्या 140 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा ।;

(v) क्रम संख्या 157 में कालम (3) में शब्दों ‘ब्रेल पेपर’ के स्थान पर शब्दों ‘ब्रेल पेपर, पतर्गें, पेपर मैशे की वस्तुएं’ प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(vi) क्रम संख्या 172 में कालम (3) में शब्दों ‘फेल्ड के ’ के स्थान पर शब्दों और कोष्ठक ‘फेल्ड के(टेक्सटाइल कैप के अलावा),’ प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(vii) क्रम संख्याओं 186 और 187 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्याओं 304 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 235 में कालम (3) में शब्दों ‘अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं’ के स्थान पर शब्दों ‘अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं तथा बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) यंत्र के लिए या स्प्रींकलर के लिए नोजल ’ प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(x) क्रम संख्या 384 में कालम (3) में शब्दों और अंकों के स्थान पर '17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर' के स्थान पर शब्दों और अंकों '20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर' प्रतिस्थापित किया जाएगा

(xi) क्रम संख्या 438 में कालम (3) की प्रविष्टि के लिए "कायर गद्दे, रुई के तकिये और गद्दे" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(xii) क्रम संख्या 449 के पश्चात तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"449क9613 किचन गैस लाइटर्स";

(घ) अनुसूची IV - 14%

(i) क्रम संख्या 9 कॉलम (3), शब्द "कस्टर्ड पाउडर" का लोप किया जाएगा ।

(ii) क्रम संख्या 45 में कालम (3) में शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल' के स्थान पर शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारण योग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) क्रम संख्या 49 में कालम (3) में शब्दों 'इरेजर के अलावा' शब्दों के स्थान पर 'इरेजर रबरबैंड, धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोलस के अलावा' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iv) क्रम संख्या 70 में कालम (3) में शब्दों " अन्य कर्मित प्रस्तर का" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर " अन्य कर्मित प्रस्तर का [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वजन, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान]" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(v) क्रम संख्या 85 शब्दों " चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है" का लोप किया जाएगा ।

(vi) क्रम संख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

(vii) क्रम संख्या 154, कॉलम (3) शब्दों और अंकों '17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर' के स्थान पर शब्दों और अंकों '20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 219 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

(ix) क्रम संख्या 222, कालम (3) शब्दों " फिलंट और बत्ती से भिन्न" के स्थान पर शब्दों और कोष्ठक "(फिलंट और बत्ती से भिन्न या किचन गैस लाइटर) "प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(इ) अनुसूची V - 1.5%

क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) में शब्दों "अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित से भिन्न" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित से भिन्न" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(च) अनुसूची VI - 0.125%

क्रम संख्या 1 में कॉलम (3)की प्रविष्टि के स्थान पर औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित" प्रतिस्थापित किया जाएगा

स्पष्टीकरण, खंड (ii) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ii) (क) वाक्यांश "ब्रांड नाम" का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1 999 के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1 9 57 (1 9 57 का 14) के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड

(ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंध को डाला जाएगा, अर्थात्: -

“अनुबंध

किसी ब्रांड नाम पर कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो, जिसे पर ब्रांड नेम छपा हो, क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण(ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो, जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कंटेनर पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है ।

[फा सं.354/117/2017-टीआरयू-भाग II]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 1/2017 -केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा0का0नि0 673(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2017 केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 18 अगस्त, 2017, जिसे साकानि 1032 (अ) दिनांक 18 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 28/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 22nd September, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

(i) against serial number 27, in column (3), for the words “other than put up in unit containers and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(ii) against serial numbers 29 and 45, in column (3), for the words “other than put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(iii) against serial numbers 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 and 78, in column (3), for the words “other than those put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or

enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(iv) against serial number 101, in column (3), for the words “other than put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(v) against serial number 108, in column (3), for the words “other than put up in unit containers and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(vi) in S. No. 102, for the entries in column (2) ,the entries “2301,2302, 2308, 2309”, shall be substituted;

(vii) after S. No. 102 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“102A	2306	Cotton seed oil cake” ;
-------	------	-------------------------

(viii) after S. No. 130 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“130A	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission(KVIC) and KVIC certified institutions/outlets” ;
-------	----------	---

(ix) after S. No. 135 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“135A	69	Idols made of clay” ;
-------	----	-----------------------

(x) in S. No. 138, for the entry in column (3) ,the entry “Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha”, shall be substituted;

(xi) in S. No. 143, for the entry in column (3), the entry “Indigenous handmade musical instruments as listed in ANNEXURE II”, shall be substituted;

(xii) in S. No. 144, for the entry in column (3), the entry “Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles”, shall be substituted;

(B) in the *Explanation*, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

“(ii)(a) The phrase “brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

(b) The phrase “registered brand name” means,-

(A) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957);

(C) a brand registered as on the 15th May 2017 under any law for the time being in force in any other country.”;

(C) after paragraph 2, the following Annexures shall be inserted, namely: -

“ANNEXURE I

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

(a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall file an affidavit to that effect with the **jurisdictional commissioner of Central tax** that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and

(b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a) printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.

ANNEXURE II

<u>List of indigenous handmade musical instruments</u>	
1.	Bulbul Tarang

2.	Dotar, Dotor, or Dotara
3.	Ektara
4.	Getchu Vadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyatra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar
12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	Magadi Veena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena
20.	Nakula Veena
21.	Nanduni
22.	Rudra Veena
23.	Saraswati Veena
24.	Vichitra Veena
25.	Yazh
26.	Ranjan Veena
27.	Triveni Veena

28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	Mayuri Vina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala(violin type)
36.	Pena or Bana
37.	Pulluvan veena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk sarangi
40.	Classical sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45.	Pulluvan kutam
46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal
51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari

54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58.	Mashak
59.	Titti
60.	Sruti upanga
61.	Gogona
62.	Morsing
63.	Shruti box
64.	Harmonium (hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad
72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghat singhari or gada singari
79.	Ghumot

80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhopar (tribal drums)
84.	Maddale
85.	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavaj jori - Sikh instrument similar to tabla
90.	Panchamukha vadyam
91.	Pung
92.	Shuddha madalam or Maddalam
93.	Tabala / tabl / chameli - goblet drum
94.	Tabla
95.	Tabla tarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	Thanthi Panai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or duf Dimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle
102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayani thappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu

106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums
114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Parai thappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak'
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urume
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam
124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chipla
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate

132.	Thattukazhi mannai
133.	Kanch tarang, a type of glass harp
134.	Kashtha tarang, a type of xylophone.”.

[F.No.354/117/2017-TRU Pt-II]

(Mohit Tewari)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना
सं0 28/2017-केन्द्रीय कर(दर)

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 674(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सूची में,-

- (i) क्रम संख्या 27 के स्तंभ (3) में “उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनरों में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो” शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 29 और 45 के स्तंभ (3) में “उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो” शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 और 78 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-
- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 101 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-
- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे

भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 108 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनरों में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम सं0 102 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "2301,2302,2308,2309", प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vii) क्रम संख्या 102 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

"102क	2306	कॉटन सीड आयल केक";
-------	------	--------------------

(viii) क्रम संख्या 130 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"130क	50 से 55	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) एवं केवीआईसी द्वारा प्रमाणित संस्थानों/दुकानों, के द्वारा बेचे गए खादी
-------	----------	--

		वस्त्र”;
--	--	----------

(ix) क्रम संख्या 135 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“135क	6913	मिट्टी से बनी मूर्तियां” ;
-------	------	----------------------------

(x) क्रम संख्या 138 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “हाथ से धागा कताई के चरखे, अम्बर चरखा सहित”, प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(xi) क्रम संख्या 143 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “अनुबंध।। में उल्लिखित स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र”,को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(xii) क्रम संख्या 144 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “सरकंडे से मोड़े, फूलझाड़ू या झाड़ू, जोकि सीकों या अन्य वनस्पतियों से बने हों, इकट्ठे बांधे गए हों, जिनमें हत्थे लगे हों या नहीं ”,को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) स्पष्टीकरण,खंड(ii)में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ii) (क) वाक्यांश “ब्रांड नाम” का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख) “पंजीकृत ब्रांड नाम” वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1 999 के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड

(ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंधकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“अनुबंध I

किसी ब्रांड नाम पर कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो, जिसे पर ब्रांड नेम छपा हो, क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण(ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो, जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कंटेनर पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है।

अनुबंध II

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची	
1.	बुलबुल तरंग
2.	दोतार, दोतोरा या दोतारा
3.	एकतारा
4.	गटचू वाद्य या झालारी
5.	गोपीचंद या गोपीयंत्र या खामक
6.	गोत्तुधम या चित्राविना
7.	काथो

8.	सरोद
9.	सितार
10.	सुरबहार
11.	सुरसिंगार
12.	सुराबात
13.	स्वरमंडल
14.	तंबूरा
15.	तुंबी
16.	तुनतुना
17.	मगाधी वीणा
18.	हंसवा वीणा
19.	मोहन वीणा
20.	नकुल वीणा
21.	नन्दुनी
22.	रूद्रा वीणा
23.	सरस्वती वीणा
24.	विचित्रा वीणा
25.	येज
26.	रंजन वीणा
27.	त्रिवेणी वीणा
28.	चिकारा
29.	दिलरूबा
30.	एकतारा वायलीन
31.	इसराज

32.	कमायिचा
33.	मयरी वीणा या टाउस
34.	ओनाविलू
35.	बहेला (वाइलिन टाइप)
36.	पीना और बाना
37.	पलुवनवीना-एक तार वाले वायलिन
38.	रावनाहाथा
39.	लोक सारंगी
40.	शास्त्रीय सारंगी
41.	सारीडा
42.	तार शहनाई
43.	गीथू या झल्लारी
44.	गब्बूबा या जामुकु-पक्यूशन स्टिंग इंस्ट्रूमेंट
45.	पुल्लुवन्तकुतम
46.	संतूर-हम्मार्ड कॉर्ड वॉक्स
47.	पेपा
48.	पुगी या बीन
49.	भारतीय हारमोनियम डबल रीड
50.	खुजाल
51.	नाडास्वरम
52.	शहनाई
53.	सुंदरी
54.	तंगमुरी
55.	अल्गोजा डबल बांसुरी

56.	बांसुरी
57.	वेणु (कर्नाटक बांसुरी) पुलंगाझल
58.	मसक
59.	तिती
60.	सिश्रुतूपांगा
61.	गोगोना
62.	मोर्सिंग
63.	श्रुति बॉक्स
64.	हारमोनियम हाथ से पंप
65.	इकालम
66.	करनाल
67.	रामसिंगा
68.	काहल
69.	नागफनी
70.	तूरी
71.	डाड
72.	डामरू
73.	डिमाडी
74.	ढोल
75.	ढोलक
76.	ढोलकी
77.	दुग्गी
78.	घाटिंगहारी या गदसिंगारी
79.	घुमोट

80.	घुमेटा
81.	कंजीरा
82.	खोल
83.	कंपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84.	माडली
85.	माराम
86.	मिजहवु
87.	मृदगम
88.	पंखावज
89.	पखवाजो़री - सिख के टबल के समान साधन
90.	पंजामुखावाद्यम
91.	पुंग
92.	शुधमदलम या मददलम्
93.	तबला / टेबल / चैमली - गॉलेट ड्रम
94.	तबला
95.	तलबतरंग - तालाओं का समूह
96.	तामुट
97.	थानुथीपानई
98.	थिमुला
99.	तंबाकू, तंबकनारी, तंबकनेर
100.	डफ, डफ, डीएएफ या डूफडीमडी या डिम्मी-जिंगल के बिना छोटा फ्रेम ड्रम
101.	कांजीरा - एक जिंगल के साथ छोटा फ्रेम ड्रम
102.	कांची - जिंगल के बिना छोटा

103.	पट्यनितप्पा - हाथों से खेला जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104.	चेन्दा
105.	ढोलु
106.	धक
107.	ढोल
108.	ढोली
109.	इडाका
110.	थाविल
111.	उडुकई
112.	चंडे
113.	नागारा - केटस्लेड्रम्स की जोड़ी
114.	पम्बाई - दो बेलनाकार ड्रम की इकाई
115.	पैरातिप्पु, हल्गी - फ्रेम ड्रम दो स्टिक्स के साथ खेला
116.	संबल
117.	स्टिक डफ या स्टिक डफ - लाठी के साथ खेला जाने वाला स्टैंड में डेफ
118.	तमक
119.	ताशा - केटस्लेड्रम का प्रकार
120.	उर्मि
121.	जलातरंग चिम्पत्ता - पीतल के जिंगल के साथ आग टोंग
122.	चेंगिल - धातु डिस्क
123.	इलाथलम
124.	गेजर - ब्रास पोट
125.	घटक और मटकाम (मिट्टी के बरतन बर्तन ड्रम)
126.	घुंघरू

127.	खारट या चिप्पला
128.	मनजीरा या झंज या ताल
129.	अखरोट - मिट्टी के बर्तन
130.	संकरजांग - लिथोफोन
131.	थाली - धातु प्लेट
132.	थाकुकाजामनाई
133.	कंचारांग, कांच के एक प्रकार
134.	कथाततरंग, एक प्रकार का जेलोफोन

[फा सं..354/117/2017-टीआरयू-भाग II]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं० 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा०का०नि०674 (अ) तारीख 28 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 29/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 22nd September, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.5/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 677(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“6A	5801	Corduroy fabrics.”.
-----	------	---------------------

[F.No.354/117/2017-TRU Pt. II]

(Mohit Tewari)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.5/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 677(E), dated the 28th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना
सं० 29/2017-केन्द्रीय कर(दर)

सा०का०नि० (अ)-केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा०का०नि० 677 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6A	5801	कॉर्डरॉय कपड़े”.
-----	------	------------------

[फा० सं० 354/117/2017-टीआरयू- भाग II]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 677(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 30/2017- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 29th September, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9B	Chapter 99	Supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan (landlocked countries).	Nil	Nil”.

[F. No.354/221/2017 -TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 25/2017 - Central Tax (Rate), dated the 21st September, 2017 vide number G.S.R. 1180 (E), dated the 21st September, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 30/2017- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ख	अध्याय 99	नेपाल और भूटान (भू-स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गो से संबंधित सेवाओं का आपूर्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं".

[फा. सं. 354/221/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 12/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 691 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2017- संघ राज्य कर (दर) दिनांक 21 सितंबर, 2017, सा.का.नि. 1180 (अ), दिनांक 21 सितंबर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 31/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, -

- A. in item (iii), in column (3), for the words “Government, a local authority or a Governmental authority”, the words “Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” shall be substituted;
- B. in item (vi), in column (3), for the words “a local authority or a Governmental authority” the words “a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” shall be substituted;
- C. in items (iii) and (vi), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be”;
- D. for item (vii), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, involving predominantly earth work (that is, constituting more than 75 per cent. of the value of the works	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a

contract) provided to the Central Government, State Government, Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.		work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be
(viii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and associated services, in respect of offshore works contract relating to oil and gas exploration and production (E&P) in the offshore area beyond 12 nautical miles from the nearest point of the appropriate base line.	6	-
(ix) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above.	9	-”;

(b) against serial number 8, for item (ii), in column (5), for the word “or” the word “and” shall be substituted.

(c) against serial number 8, for item (vi), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Transport of passengers by any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle), has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
	or	
	6	-”;

(d) against serial number 9, for item (v), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(v) Transportation of natural gas through pipeline	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
	or	
	6	-
(vi) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above	9	-”;

- (e) against serial number 10, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(i) Renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle) has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
	or	
	6	–”;

- (f) against serial number 15, for item (v), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(v) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1 st July 2017;	65 per cent. of the rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st July, 2020.	-
(vi) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), (iv), and (v) above.	9	–”;

- (g) against serial number 17, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1 st July 2017;	65 per cent. of the rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st July, 2020.	-
(vii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	Same rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	–”;

- (h) against serial number 26, in column (3), -

- (i) in item (i), for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -
“(c) all products falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);”;
- (ii) in item (i), after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -
“(da) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract CGST @ 2.5 per cent. or Nil;”

(iii) in item (i), after sub-item (e), the following sub-items shall be inserted, namely: -

“(f) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(g) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), except dog and cat food put up for retail sale falling under tariff item 23091000 of the said Chapter;

(h) manufacture of clay bricks falling under tariff item 69010010 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);”;

(iv) after item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Services by way of job work in relation to- (a) manufacture of umbrella; (b) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract CGST @ 6 per cent.	6	-”;

(v) in item (ii), after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely: -
“(c) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract CGST @ 2.5 per cent. or Nil.”;

(vi) after item (ii), in columns (3), (4) and (5) in column (3) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iia) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract CGST @ 6 per cent.	6	-”;

(vii) in item (iii), for the word, brackets and figures “and (ii)” the figures, brackets, letters and word “, (ia), (ii) and (iia)” shall be substituted;

(i) against serial number 27, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto in, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
(i) Services by way of printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 [including newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals], which attract CGST @ 6 per cent. or 2.5 per cent. or Nil, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-”;

(ii) in paragraph 2, for the words, brackets and figures “at item (i)”, the words, brackets, figures and letters, “at item (i), item (iv) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (v) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (vi) [sub-item (c)]” shall be substituted;

(iii) in paragraph 4, after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely: -

- “(ix) “Governmental Authority” means an authority or a board or any other body, -
(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
(ii) established by any Government,
with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any
function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a
Panchayat under article 243 G of the Constitution.
- (x) “Government Entity” means an authority or a board or any other body including a
society, trust, corporation,
i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
ii) established by any Government,
with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a
function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or
a local authority.”.

[F. No.354/173/2017 -TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 11/2017 - Central Tax(Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 24/2017-Central Tax (Rate) dated the 21st September, 2017 *vide* number G.S.R. 1179(E), dated the 21st September, 2017.

भारतसरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं०. 31/2017-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीयमाल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा सा.का.नि. संख्या 690(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना सं०. 11/2017- केन्द्रीयकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में और आगे संशोधन निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) तालिका में, -

(क)क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

- (क) मद(iii) में, कॉलम (3) में,"सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर"केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ख) मद (vi) में, कॉलम (3) में "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर"किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) मद (iii) और(vi) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "बशर्ते कि जहां सेवाओं कीकिसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";
- (घ) मद (vii) के लिए कॉलम (3),(4) और (5)और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vii)केन्द्रीय मालऔर सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में परिभाषित कार्य संवीदा की समग्र आपूर्तिकेंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र,	2.5	बशर्ते कि जहां किसी सरकारी इकाई को सेवाएं दी जाती हैं,उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य

स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो कि कार्य संविदा के मूल्य का 75% से अधिक गठन का होता है) शामिल है।		क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, द्वारा सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी इकाई द्वारा प्राप्ति की जानी चाहिए ।
(viii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपतटीय काम संविदा के संबंध में केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में और संबंध सेवाओं में परिभाषित कार्यसंविदा की समग्र आपूर्ति।	6	-
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं ।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए "और" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (vi) के लिए कॉलम (3) में और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां ईंधन की लागत को सेवा प्राप्तकर्ता से लिया जाता है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) की समान लीक में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
		या
	6	-";

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है

	[कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]	
	या	
	6	-
(vi) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं	9	-”;

(इ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु विचारण में शामिल किया गया है।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
	या	
	6	-”;

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(v) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे मालकी आपूर्ति पर लागू केंद्रीय कर की दर का 65 प्रतिशत। नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	-
(vi) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv), और (v) के अलावा वित्तीय और संबंधित सेवाएं	9	-”;

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे	-

पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	मालकी आपूर्ति पर लागू केंद्रीय कर की दर का 65 प्रति शत । नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	
(vii) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi)के अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसकेबिना पट्टे पर याकिराये की सेवाएं,	मालमें अधिकार(टाइटल) के स्थानान्तरण से जुड़े जैसे माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले केंद्रीय कर की समान दर	-";

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

- (i) मद (i) में, उप-मद (ग) हेतु, निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद;”;
- (ii) मद (i) में, उप-मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा:-“(घक) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर 2.5 प्रति शत या शून्य की दर से सीजीएसटी लगती है;”;
- (iii) मद(i) में, उप-मद (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -
“(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;
(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा ब्रिक्की हेतु रखे जाने वाला कुत्ते और बिल्ली का भोजन के;
(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण;”;

(iv) कॉलम (3) में मद (i)के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(क) निम्नलिखितके संबंध में नौकरी के काम के माध्यम से सेवाएं- (क) छाते का निर्माण; (ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रति शत की दर से सीजीएसटी लगती है ।	6	-";

(v) मद(ii) में उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-
“(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आनेवाले सभी मालका मुद्रण, जिसपर 2.5 या शून्य प्रति शत की दरसे सीजीएसटी लगती है।”;

(vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रति शत की दर से सीजीएसटी लगती है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर किसी भी संव्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।	6	-”;

(vii) मद (iii) में, कोष्ठकों आंकड़ों और शब्दों "और (ii)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द ", (ik), (ii) और (ii) को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
(i) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं [समाचार पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित), पत्रिकाओं (जर्नल्स) और पत्रिकाओं (पीरियोडिकल्स) सहित], जिन पर 6 प्रति शत या 2.5 प्रति शत या शून्य की दर से सीजीएसटी लगता है, जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित हैं।	6	-”;

(ii) पैराग्राफ 2 में, "मद (i) पर" शब्दों और अंकों हेतु, "मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (vi) [उप-मद (ग)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ix) “सरकारी प्राधिकरण” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

(x) “सरकारी निकाय” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यो को निष्पादित करना है।”।

[फा. सं0.354/173/2017 -टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं0. 11/2017 - केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 1179(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के तहत अधिसूचना संख्या 24/2017-केन्द्रीय कर (दर) द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION
3, SUB-SECTION (i)]
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 32/2017- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

(i) in the Table, -

(a) in serial number 5, in column (3), for the words “governmental authority” the words “Central Government, State Government, Union territory, local authority or Governmental Authority” shall be substituted;

(b) after serial number 9B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9C	Chapter 99	Supply of service by a Government Entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority, in the form of grants.	Nil	Nil”;

(c) after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“21A	Heading 9965	Services provided by a goods transport agency to an unregistered person, including an unregistered casual	Nil	Nil”;

	or Heading 9967	taxable person, other than the following recipients, namely: - (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any Co-operative Society established by or under any law for the time being in force; or (d) any body corporate established, by or under any law for the time being in force; or (e) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; (f) any casual taxable person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act.		
--	-----------------------	---	--	--

(d) after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“23A	Heading 9967	Service by way of access to a road or a bridge on payment of annuity.	Nil	Nil”;

(e) in serial number 41, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

“Upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable in respect of service by way of granting of long term lease of thirty years, or more) of industrial plots or plots for development of infrastructure for financial business, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings or by any other entity having 50 per cent. or more ownership of Central Government, State Government, Union territory to the industrial units or the developers in any industrial or financial business area.”;

(ii) in paragraph 2, for clause (zf), the following shall be substituted, namely: -

“(zf) “Governmental Authority” means an authority or a board or any other body, -
(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,
with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any
function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a
Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(zfa) “Government Entity” means an authority or a board or any other body including a
society, trust, corporation,
(i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
(ii) established by any Government,
with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a
function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or
a local authority.”.

[F. No.354/173/2017 -TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide*
notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R.
691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.30/2017 - Central
Tax (Rate) dated the 29th September, 2017 *vide* number G.S.R. 1211(E). dated the 29th
September, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 32/2017- केन्द्रीय कर (दर)

नयी दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

सा० का० नि०(अ).- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा0 का0 नि0 691(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं0 5 में, कालम (3) में शब्दों “ सरकारी प्राधिकारी ” के स्थान पर “केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम सं0 9ख और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9ग	अध्याय 99	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति।	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

(ग) क्रम सं0 21 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“21क	शीर्ष 9965 or शीर्ष 9967	किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति, जिसमें गैर पंजीकृत नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्वारा प्रदान की गयी सेवाएँ:- (क) फैक्टरी एक्ट, 1948 (1948 का 63) के अंतर्गत पंजीकृत या उसके द्वारा अधिशाषित कोई कारखाना; या (ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 12) के अंतर्गत या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी; (ग) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई को-ऑपरेटिव सोसाइटी; या (घ) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई बॉडी -कॉर्पोरेट ; या (ङ) कोई भी पार्टनरशिप फ़र्म चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी आते हैं; (च) कोई भी नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम में पंजीकृत हो।	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

(घ) क्रम सं0 23 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“23क	शीर्ष 9967	किसी वार्षिक वृत्ति के भुगतान के एवज में किसी सड़क या किसी पुल तक पहुँच प्रदान करने वाली सेवा ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

(ङ) क्रम सं0 41 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“औद्योगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-व्यापारकी अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्योगिक इकाई या (ख) औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को, तथा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम / प्रतिष्ठान या ऐसे किसी निकाय द्वारा दीर्घ कालीन अवधि (तीन वर्ष

या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, का स्वामित्व 50% या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या आँय किसी भी नाम से जाना जाता हो)”

(ii) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(यच) “सरकारी प्राधिकरण” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

(यचक) “सरकारी निकाय” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।”

[फ़ा सं.354/173/2017 –टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 12/ 2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा० का० नि० 691 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 30/2017-केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 29 सितंबर, 2017, सा० का० नि० 1211 (अ) 29 सितंबर 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 33/2017- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 13th October, 2017

GSR.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“10	Supply of services by the members of Overseeing Committee to Reserve Bank of India	Members of Overseeing Committee constituted by the Reserve Bank of India	Reserve Bank of India.”.
-----	--	--	--------------------------

[F. No. 354/173/2017- TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 22/2017 - Central Tax (Rate) dated the 22nd August, 2017 *vide* number G.S.R. 1047(E), dated the 22nd August, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 33/2017- केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

सा० का०नि०(अ):- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 13/2017-केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा०का०नि० 692(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

(i) सारणी मेंक्रम सं० 9 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरसीडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीडिंग कमेटी के सदस्य	भारतीय रिजर्व बैंक।”।
-----	---	---	-----------------------

[फ़ा सं.354/173/2017 –टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 13/ 2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा०का०नि० 692 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 22/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, सा०का०नि० 1047 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 34/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in Schedule I - 2.5%,-

(i) in S. No. 29, for the entry in column (2), the entry, “0802, 0813”, shall be substituted;

(ii) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“30A	0804	Mangoes sliced, dried” ;
------	------	--------------------------

(iii) after S. No. 99 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“99A	1905 or 2106	Khakhra, plain chapatti or roti” ;
------	-----------------	------------------------------------

(iv) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“101A	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, other than those put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]” ;
-------	---------	---

(v) in S. No. 164, for the entry in column (3), the entry,

“ (a) kerosene oil PDS,

(b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely,

- i. IFO 180 CST
- ii. IFO 380 CST”, shall be substituted;

(vi) after S. No. 181 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“181A	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia”;
-------	----	---

(vii) after S. No. 187 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“187A	3915	Waste, parings or scrap, of plastics”;
-------	------	--

(viii) after S. No. 188 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“188A	4004 00 00	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)”;
-------	------------	--

(ix) after S. No. 191 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“191A	4017	Waste or scrap of hard rubber”;
-------	------	---------------------------------

(x) after S. No. 198A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“198 B	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard”;
--------	------	---

(xi) S. No. 201A and entries relating thereto shall be omitted;

(xii) after S. No. 218 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“218A	5605 0010	Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread”;
-------	-----------	---

(xiii) in S. No. 219, in column (2), for the figure, “5705”, the figures “5702, 5703, 5705”, shall be substituted;

(xiv) after S. No. 228 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“228A	7001	Cullet or other waste or scrap of glass”;
-------	------	---

(xv) after S. No. 234 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“234A	84 or 85	E-waste <i>Explanation:</i> For the purpose of this entry, e-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016, published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23 rd March, 2016, including the components, consumables, parts and spares which make these products operational”;
-------	-------------	---

(xvi) after S. No. 263A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“264	Any chapter	Biomass briquettes” ;
------	----------------	-----------------------

(B) in Schedule II-6%,-

(i) in S. No. 16, in column (3), for the words and brackets “Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried”, the words and brackets, “Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas and mangosteens, dried”, shall be substituted;

(ii) in S. No. 17, in column (3), for the words figure and brackets, “dried fruits of Chapter 8[other than tamarind, dried]”, the words, figure and brackets, “dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind and dried chestnut (singhada) whether or not shelled or peeled]”, shall be substituted;

(iii) in S. No. 46, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

“Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form [other than roasted gram], put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]”;

(iv) S. No. 111 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(v) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“132A	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
132B	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	Synthetic or artificial filament yarns
132C	5508	Sewing thread of manmade staple fibres
132D	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres”;

(vi) in S. No. 137, in the entry in column (3), the words and figures “such as Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread),” shall be omitted;

(C) in Schedule III-9%,-

(i) in S. No. 16, in column (3), for the words “other than pizza bread”, the words, “other than pizza bread, khakhra, plain chapatti or roti”, shall be substituted;

(ii) in S. No. 23, in column (3), for the words “preparations in ready for consumption form”, the words, “preparations in ready for consumption form, khakhra”, shall be substituted;

(iii) after S. No. 54 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“54A	3213	Poster colour” ;
------	------	------------------

(iv) in S. No. 63, for the entry in column (3), the entry, “Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as “dental wax” or as “dental impression compounds”, put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)”, shall be substituted;

(v) S. No. 102 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S. No. 114, in column (3), for the words and brackets “Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom”, the words and brackets “powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)” shall be substituted;

(vii) S. No. 158 and entries related thereto shall be omitted;

(viii) in S. No. 159, for the entry in column (3), the entry “All goods other than synthetic filament yarns”, shall be substituted;

(ix) in S. No. 160, for the entry in column (3), the entry “All goods other than artificial filament yarns”, shall be substituted;

(x) S. No. 164 and entries related thereto shall be omitted;

(xi) S. No. 165 and entries related thereto shall be omitted;

(xii) after S. No. 177 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“177A	6802	All goods other than:- (i) all goods of marble and granite; (ii) Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone” ;
-------	------	--

(xiii) in S. No. 188, and entries relating thereto, shall be omitted;

(xiv) after S. No. 303 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“303A	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal” ;
-------	------	--

(xv) after S. No. 308 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“308A	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
308B	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps(horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps”;

(xvi) after S. No. 369 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“369A	8483	Plain shaft bearings” ;
-------	------	-------------------------

(D) in Schedule-IV-14%, -

(i) in S. No. 23, in column (3), for the words, “pans or in similar forms or packings”, the words and brackets, “pans or in similar forms or packings [other than poster colour]”, shall be substituted;

(ii) S. No. 34 and entries related thereto shall be omitted;

(iii) in S. No. 50, in column (3), for the words “including waste and scrap”, the words, “other than waste and scrap”, shall be substituted;

(iv) in S. No. 70, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

“All goods of marble or granite [other than Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone]”;

(v) S. No. 112 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S. No. 135, in column (3), the words, “and plain shaft bearings”, shall be omitted;

(E) in ANNEXURE, after point (b), the following proviso shall be inserted

“Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of Central tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name.”

[F.No.354/117/2017-TRU (Pt. III)]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 27/2017-Central Tax(Rate) dated 22nd September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 1189 (E), dated the 22nd September, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 34 /2017-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्टूबर, 2017

सा०का०नि० (अ)- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, जिसे सा.का. नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 2.5% में,-

- (i) क्रम सं. 29 में कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "0802, 0813", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 30 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"30 (क)	0804	आम कटे हुए, सुखाए हुए";
---------	------	-------------------------

- (iii) क्रम संख्या 99 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"99 (क)	1905 या 2106	खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी ";
---------	--------------	----------------------------

- (iv) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

"101 (क)	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के
----------	---------	---

		अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों, और- (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या (ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”;
--	--	--

(v) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “

“(क) केरोसिन ऑइल पीडीएस,

(ख) जहाजों और यानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर फ्यूल्स अर्थात् :

i. आईएफओ 180 सीएसटी

ii. आईएफओ 380 सीएसटी”

को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 181 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“181 (क)	30	औषधि द्रव्य (जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी या जैव रसायन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधि-द्रव्य भी है) जिनका विनिर्माण अनन्य के रूप से, यथास्थिति, औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या भारतीय होम्योपैथी भेषज-संग्रह या संयुक्त राज्य अमेरिका या
----------	----	---

		यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी भेषज-संग्रहों में वर्णित फार्मूलों के अनुसार किया जाता है और ऐसी पुस्तकों या भेषज संग्रहों में यथा-विनिर्दिष्ट नाम के अधीन बेचे जाते हैं।”;
--	--	---

- (vii) क्रम संख्या 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“187 (क)	3915	प्लास्टिक के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रेप्स”;
----------	------	---

- (viii) क्रम संख्या 188 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“188(क)	4004 00 00	रबर के वेस्ट पेयरिंग्स एंड स्क्रेप्स (हार्ड रबर से भिन्न)”;
---------	------------	---

- (ix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“191 क	4017	हार्ड रबर के वेस्ट एंड स्क्रेप”
--------	------	---------------------------------

- (x) क्रम संख्या 198क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“198 ख	4707	पेपर या पेपर बोर्ड के रिकवर्ड वेस्ट एंड स्क्रेप”
--------	------	--

- (xi) क्रम संख्या 201क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

- (xii) क्रम सं0 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“218क	5605 0010	रीयल जरी थ्रेड (गोल्ड) या सिल्वर थ्रेड , जो टेक्सटाइल थ्रेड से युक्त हो ”
-------	-----------	---

- (xiii) क्रम सं. 219 में, कॉलम (2) में अंक "5705" के स्थान पर "5702, 5703, 5705" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
- (xiv) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"228क	7001	ग्लास के क्लेट या अन्य वेस्ट या स्क्रेप" ;
-------	------	--

- (xv) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"234क	84 या 85	ई-वेस्ट स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मेंजमेंट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0338(अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिसमें अवयव, उपभोज्य, भाग तथा स्पेयर जो इन उपकरणों को परिचालन के योग्य बनाते हैं ";
-------	----------	--

- (xvi) क्रम संख्या 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"264	कोई अध्याय	बायोमॉस ब्रिक्वेट्स"
------	------------	----------------------

(ख) अनुसूची II-6% में, -

(i) क्रम सं. 16 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 17 में, कॉलम (3) में, शब्द और अंक "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, " अध्याय 8 के सूखे फल [सूखी इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाड़ा) चाहे ये छिल्का युक्त हों या नहीं, के अलावा]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि,
“नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं [भुना हुआ चना के अलावा], जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों और

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या

(ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]” को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iv) क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“132क	5401	मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे, चाहे खुदरा बिक्री के लिए हों या नहीं
132ख	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	संश्लेषित अथवा आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न
132ग	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के सिलाई धागे
132घ	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न

(vi) क्रम संख्या 137 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्दों और अंकों “ जैसे टैक्सटाइल धागा का समिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा,” को निरसित किया जायेगा ।

(ग) अनुसूची III में - 9%

(i) क्रम संख्या 16 में, कॉलम (3) में “पिज्जा ब्रेड” शब्दों के स्थान पर “पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती या रोटी” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में “तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों” शब्दों के स्थान पर “तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों, खाखरा” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) क्रम संख्या 54 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“54क	3213	पोस्टर कलर” ;
------	------	---------------

(iv) क्रम सं. 63 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “माडलिंग पेस्ट, जिसमें जो बच्चों के खेलने के लिए हैं वे भी आते हैं; “दंतमोम” या “दंत छाप यौगिकों” के रूप में ज्ञात निर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए सेटों में, पैकिंगों में या प्लेटों में, अश्व नाल के आकार में डंडियों या वैसे ही रूप में रखी गई है, दंत चिकित्सा के उपयोग के लिए (निष्ठापित जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट के) प्लास्ट के आधार वाली अन्य निर्मितियां” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 102 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा,

(vi) क्रम संख्या 114 में, कॉलम (3) में शब्दों” रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रेप्स (हार्ड रबर से भिन्न) तथा उनसे प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स” के स्थान पर शब्दों” रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रेप्स (हार्ड रबर से भिन्न) से प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 158 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 159 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों “सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix)क्रम संख्या 160 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों “कृत्रिम फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम संख्या 164 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xi) क्रम संख्या 165 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xii)क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“177क	6802	निम्न को छोड़कर सभी वस्तु :- i. मार्बल और ग्रेनाइड की सभी वस्तुएं ii. मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहते, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान ।
-------	------	---

(xiii) क्रम संख्या 188 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xiv) क्रम संख्या 303 और उससे प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“303क	8305	लूज लीप बांडर्स या फाइल्स की फिटिंग्स लेटर क्लिप्स, लेटर कार्नेर्स , पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैक्स, और इसी प्रकार की कार्यालयीय वस्तुएं, जो कि बेस मेटल से बनी हों; स्टेपल, स्ट्रिप्स (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्स्ट्री, पैकेजिंग के लिए) बेस मेटल के” ;
-------	------	--

(xv) क्रम सं. 308 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“308क	84	फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, जिनकी शक्ति 15 एचपी से अधिक न हो, में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स
308ख	84 या 85	विद्युत चालित पम्पों, जो कि मुख्य रूप से चल निकालने के लिए तैयार किए जाते हों जैसे कि सेंट्रीफ्यूबल पम्प (हॉर्जिटल या वर्टिकल), डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पम्प्स, सबमर्सिबल पम्प, एक्सल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो वर्टिकल पम्प में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स”;

(xvi) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“369क	8483	प्लेन शाफ्ट बियरिंग” ;
-------	------	------------------------

(घ) अनुसूची IV - 14%

(i) क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में शब्द “पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक, “पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स [पोस्टर कलर से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 50 में कॉलम (3) में शब्दों “वेस्ट एंड स्क्रेप समेत” के स्थान पर “वेस्ट एंड स्क्रेप के अलावा” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 70 में, कॉलम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“मार्बल या ग्रेनाइट की सभी वस्तुएं [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वजन, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान के अलावा]”;

(v) क्रम संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में, “और प्लेन साफ्ट वियरिंग” शब्दों को निरसित किया जाएगा।

(ड.) अनुबंध में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“ बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मूद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। ”

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 27/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 22 सितंबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1189(अ), दिनांक 22 सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 35/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

(i) after S. No. 122 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“122A	4907	Duty Credit Scrips”;
-------	------	----------------------

(ii) after S. No. 149 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“150	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority in the form of grants”;
------	---	--

(B) in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(v) The phrase “Government Entity” shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is:

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a

function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority.”.

(C) in ANNEXURE I, after point (b), the following proviso shall be inserted

“Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of Central tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name.”

[F.No.354/117/2017-TRU (Pt. III)]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 28/2017-Central Tax(Rate) dated 22nd September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 1190 (E), dated the 22nd September, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण,के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारतसरकार
वित्तमंत्रालय
(राजस्वविभाग)

अधिसूचना संख्या 35/2017 - केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना में,

(क)सारणी में,

(i) क्रम संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"122 क	4907	इयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स"
--------	------	--------------------------

(ii) क्रम संख्या 149 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"150	-	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति।"
------	---	---

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) वाक्य “सरकारी निकाय” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट निगम भी आते हैं, जोकि;

(क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम

(ख) किसी सरकार द्वारा किया गया

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है।”

(ग) अनुबंध । में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“ बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मूद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। ”

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 22 सितंबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1190(अ), दिनांक 22 सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 36 /2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub- heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Any Chapter	Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap	Central Government, State Government, Union territory or a local authority	Any registered person

[F. No. 354/117/2017- TRU (Pt. III)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 36/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्टूबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 676(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं0	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति	प्राप्त करने वाला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“6.	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रेप	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कोई प्राधिकृत व्यक्ति”

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग.III)]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 37/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the central tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding entry in column (4) and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	87	Motor Vehicles	65% of central tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate) dated, 28 th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i), vide G.S.R. 673 (E) dated the 28 th June, 2017.	1
2.	87	Motor Vehicles	65% of central tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate) dated, 28 th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i), vide G.S.R. 673 (E) dated the 28 th June, 2017.	2

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after 1st July, 2020.

Explanation –For the purposes of this notification, -

- (i) “Tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1 st July, 2017 and supplied on lease before 1 st July, 2017
2.	i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person. ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles

[F.No.354/117/2017- TRU (Pt. III)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

सं 37/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्टूबर, 2017

सा0का0नि0 (अ) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत् द्वारा, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में केन्द्रीय कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करती है, यथा:-

तालिका

क्रम सं0	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त सं0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं0 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, जिसे सा.का. नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू केन्द्रीय कर की दर का 65%	1
2	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं0 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, जिसे	2

			सा.का. नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू केन्द्रीय कर की दर का 65%	
--	--	--	---	--

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

- (1) इस अधिसूचना में उल्लिखित , “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है ।
- (2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल हैं, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे ।

अनुबंध

शर्त सं0	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो ।
2	i. मोटर वाहन का आपूर्ति कर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो । ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs**

Notification No. 38/2017 – Central Tax (Rate)

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 680(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, the proviso under Paragraph 1 shall be omitted.

2. The exemption contained in the notification No. 8/2017-Central Tax (Rate) dated the 28th June, 2017 as amended by this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.

[F. No.349/74/2017-GST (Pt.)]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.8/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं/38 2017-केन्द्रीय कर) दर(

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.....)अ - . (केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017) 2017 का 12 (की धारा 11 की उप-धारा) 1 (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि .680)अ(, तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 8/2017-केन्द्रीय कर) दर(, तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं 8/2017-केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

[फा .सं .349/74/2017-जीएसटी) पीटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव भारत सरकार,

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि .680)अ(, तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या 8 /2017-केन्द्रीय कर) दर(, तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
Notification No. 39/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 18th October, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the central tax rate of 2.5 per cent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	Tariff item, sub- heading, heading or Chapter	Description of Goods	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government.	When the supplier of such food preparations produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union Territory concerned to the effect that such food preparations have been distributed free to the economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or the State Government concerned, within a period of five months from the date of supply of such goods or within such further period as the jurisdictional commissioner of the Central tax or jurisdictional commissioner of the State tax, or jurisdictional officer of the Union Territory Tax as the case maybe, may allow in this regard.

Explanation. –

- (1) In this notification, “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

[F.No.354/117/2017- TRU (Pt.III)]

(Mohit Tewari)
Under Secretary to the Government of India.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 39 /2017-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्टूबर, 2017

सा0का0नि0 (अ) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है तथा जो उक्त तालिका के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, 2.5 प्रतिशत की केन्द्रीय कर की दर सूचित करती है, पर नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं0	अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफमद	माल का विवरण	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखी गई खाद्य निर्मितियां।	यदि खाद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है या संबंधित राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या संबंधित संघ राज्य क्षेत्र में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाद्य निर्मितियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख से पांच मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार प्राप्त संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी के इस निमित्त अनुज्ञात करे, वितरित कर दी गई है।

स्पष्टीकरण—

(i) “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

(मोहित तिवारी)
अवरसचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue

Notification No. 40/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 23rd October, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of taxable goods (hereafter in this notification referred to as "the said goods") by a registered supplier to a registered recipient for export, from so much of the central tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 0.05 per cent., subject to fulfilment of the following conditions, namely: -

- (i) the registered supplier shall supply the goods to the registered recipient on a tax invoice;
- (ii) the registered recipient shall export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of a tax invoice by the registered supplier;
- (iii) the registered recipient shall indicate the Goods and Services Tax Identification Number of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect of the said goods in the shipping bill or bill of export, as the case may be;
- (iv) the registered recipient shall be registered with an Export Promotion Council or a Commodity Board recognised by the Department of Commerce;
- (v) the registered recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate and a copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier;
- (vi) the registered recipient shall move the said goods from place of registered supplier –
 - (a) directly to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported; or

- (b) directly to a registered warehouse from where the said goods shall be move to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported;
- (vii) if the registered recipient intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, the goods from each registered supplier shall move to a registered warehouse and after aggregation, the registered recipient shall move goods to the Port, Inland Container Depot, Airport or Land Customs Station from where they shall be exported;
- (viii) in case of situation referred to in condition (vii), the registered recipient shall endorse receipt of goods on the tax invoice and also obtain acknowledgement of receipt of goods in the registered warehouse from the warehouse operator and the endorsed tax invoice and the acknowledgment of the warehouse operator shall be provided to the registered supplier as well as to the jurisdictional tax officer of such supplier; and
- (ix) when goods have been exported, the registered recipient shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) and tax invoice of the registered supplier along with proof of export general manifest or export report having been filed to the registered supplier as well as jurisdictional tax officer of such supplier.

2. The registered supplier shall not be eligible for the above mentioned exemption if the registered recipient fails to export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of tax invoice.

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना संख्या 40/2017-केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिसूचना में, उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित के लिए आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर लगने योग्य वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिनियम में उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत इन पर लगने वाले केंद्रीय कर जिसका 0.05 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि से अधिक है, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद्वारा छूट प्रदान करता है, नामतः

- (i) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को टैक्स इनवॉयस पर वस्तुओं की आपूर्ति करेगा;
- (ii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत-आपूर्तिकर्ता द्वारा कर इनवाइस जारी किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उक्त वस्तुओं का निर्यात करेगा;
- (iii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की माल एवं सेवाकर की पहचान संख्या एवं उक्त वस्तुओं के संबंध में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी टैक्स इनवाइस संख्या शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, में दर्शायेगा;
- (iv) पंजीकृत प्राप्तकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मद संबंधी बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जायेगा;
- (v) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रियायती दर पर वस्तुएं खरीदने के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;
- (vi) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से उक्त वस्तुओं को सीधे -
(क) बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या

(ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर जहां से उक्त वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है ।

- (vii) यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता, कई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई आपूर्ति को समेकित करके फिर निर्यात करना चाहता है तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की वस्तुएँ, पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाई जायेगी तथा समेकन के पश्चात पंजीकृत प्राप्तकर्ता वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जायेगा जहां से उनका निर्यात किया जाएगा;
- (viii) इस मामले में शर्त (vii) में बताई गई स्थिति में, पंजीकृत प्राप्तकर्ता, टैक्स इनवायस पर वस्तुओं की प्राप्ति पृष्ठांकित करेगा और वेयर हाउस आपरेटर से पंजीकृत वेयर हाउस में वस्तुओं की प्राप्ति की आवती प्राप्त करेगा तथा पृष्ठांकित टैक्स इनवाइस और वेयर हाउस आपरेटर की पावती, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को तथा ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;
- (ix) जब वस्तुएं निर्यात कर दी जाती हैं तो पंजीकृत प्राप्तकर्ता शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल जिसमें जीएसटीआईएन का ब्यौरा और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की टैक्स इनवाइस अंकित हो तथा इसके साथ एक्सपोर्ट जनरल मैनीफैस्ट का सुबूत या पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को ओर ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त टैक्स अधिकारी को दायर की गई निर्यात रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायेगा।

2. यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता उक्त वस्तु के निर्यात में कर बीजक के जारी होने के 90 दिनों के भीतर असफल रहता है तो उक्त संदर्भित छूट के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पात्र नहीं होगा।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 41/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in Schedule I - 2.5%,-

(i) for S. No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“1	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods [other than fresh or chilled] and put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE]” ;
----	--	---

(ii) for S. No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“2	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	All goods [other than fresh or chilled] and put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand
----	---	---

		name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE]” ;
--	--	---

- (iii) S. Nos. 3,4,5, 6 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) in S. No. 16, for the entry in column (3), the entry “All goods [other than fresh or chilled] and put up in unit container and, -
 (a) bearing a registered brand name; or
 (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE”, shall be substituted;
- (v) in S. No. 23, in the entry in column (3) , after the word “frozen”, the words “, put up in unit container and,-
 (a) bearing a registered brand name; or
 (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE”, shall be inserted;
- (vi) in S. No. 26, for the entry in column (3), the entry “Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, put up in unit container and,-
 (a) bearing a registered brand name; or
 (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE”, shall be substituted;
- (vii) in S. No. 27, for the entry in column (3) ,the entry “Cashew nuts, whether or not shelled or peeled, desiccated coconuts ” shall be substituted;
- (viii) in S. No. 30, in the entry in column (3) , after the words “shelled or peeled”, the words “,put up in unit container and,-
 (a) bearing a registered brand name; or
 (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or

enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE”, shall be inserted;

(ix) in S. No. 58, in the entry in column (3) , after the words “Meal, powder,” the words “Flour” , shall be inserted;

(x) S. No. 60 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xi) in S. No. 66, in column (3), the words, “other than of seed quality” shall be omitted;

(xii) for S. No. 72 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“72	1210 20 00	Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin” ;
-----	------------	---

(xiii) for S. No. 78 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“78	1404 [other than 1404 90 10, 1404 90 40, 1404 90 50, <u>1404 90 60]</u>	Vegetable products not elsewhere specified or included such as, Cotton linters, Soap nuts, Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used primarily for carving, Rudraksha seeds [other than bidi wrapper leaves (tendu), betel leaves, Indian katha, coconut shell, unworked] ” ;
-----	---	--

(xiv)) in S. No. 91, in column (3), the words, “khandsari sugar” shall be omitted;

(xv) in S. No. 92, for the entry in column (3), the entry “Palmyra sugar, mishri, batasha, bura, sakar, khadi sakar, harda, sakariya, gatta, kuliya, elaichidana, lukumdana, chikkis like puffed rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, til chikki, til patti, til revdi, sugar makhana, groundnut sweets, gajak, khaja, khajuli, anarsa” shall be substituted;

(xvi) in S. No. 100 A, in column (3), after the words “Roasted Gram”, the words “,idli/dosa batter, chutney powder” shall be inserted;

(xvii) for S. No. 111 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“111	2503	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur ” ;
------	------	---

(xviii) in S. No. 135, in column (3), after the words, figures and letters “natural boric acid containing not more than 85% of H₃BO₃” the brackets and words “(calculated on dry weight)” shall be inserted;

(ix) after S. No. 156 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“156A	2621	Fly Ash ” ;
-------	------	-------------

(xx) for S. No. 189 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“189	4011 30 00	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on aircraft”;
------	------------	---

(xxi) after S. No. 197 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“197A	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
197B	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
197C	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
197D	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather
197E	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour” ;

(xxii) after S. No. 218A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“218B	5607	Jute twine, coir cordage or ropes
218C	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
218D	5609	Products of coir” ;

(xxiii) after S. No. 219A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“219AA	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) ” ;
--------	------	--

(xxiv) for S. No. 224 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“224	63 [other than 6309]	Other made up textile articles, sets, of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece ” ;
------	----------------------	--

(xxv) after S. No. 224 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“224A	6309	Worn clothing and other worn articles; rags ” ;
-------	------	---

(xxvi) after S. No. 225 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“225A	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content” ;
-------	------	--

(xxvii) after S. No. 230 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“230A	8407 10 00, 8411	Aircraft engines ” ;
-------	------------------	----------------------

(xxviii) in S. No. 234A, for the entry in column (3), the entry “E-waste

Explanation: For the purpose of this entry, e-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer” shall be substituted;

(xxix) after S. No. 257A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“257B	9401 10 00	Aircraft seats ” ;
-------	------------	--------------------

(xxx) for S. No. 259A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

“259A	4016or 9503	Toy balloons made of natural rubber latex
“259B	9507	Fishing hooks
259C	9601	Worked corals other than articles of coral”;

(B) in Schedule II-6%,-

(i) S. Nos. 2,3,4,5,6,7,8,9,10, and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) for S. No. 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“11	0402 91 10, 0402 99 20	Condensed milk” ;
-----	---------------------------	-------------------

(iii) in S. No. 14, in column (3), the words “and desiccated coconuts”, shall be omitted;

(iv) after S. No. 32 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“32A	1701 91, 1701 99	All goods, including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes (other than those which attract 5% or nil GST)
32B	1902	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared” ;

(v) in S. No. 43, for the entry in column (3), the entry “Yeasts (active and inactive); other single cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders” shall be substituted;

(vi) for S. No. 44 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“44	2103	All goods, including Sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard, Curry paste, mayonnaise and salad dressings ” ;
-----	------	--

(vii) in S. No. 45, in column (3), the words “ including idli or dosa batter” shall be omitted;

(viii) after S. No. 46 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“46A	2106 90 91	Diabetic foods ” ;
------	------------	--------------------

(ix) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“57A	2804 40 10	Medical grade oxygen ” ;
------	------------	--------------------------

(x) for S. No. 70 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“70	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink” ;
-----	------	---

(xi) S. No. 71, 86, 87, 88 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xii) for S. Nos. 89, 90 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“89	4202 22 20	Hand bags and shopping bags, of cotton
90	4202 22 30	Hand bags and shopping bags, of jute” ;

(xiii) in S. No. 139, in column (3), after the words “with rubber or plastics”, the brackets and words “[other than jute twine, coir cordage or ropes]” shall be inserted;

(xiv) S. No. 140, and the entries relating thereto shall be omitted;

- (xv) in S. No. 141, in column (3), after the words “specified or included”, the brackets and words “[other than products of coir]” shall be inserted;
- (xvi) S. No. 152, and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xvii) for S. No. 171 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“171	63[other than 6309]	Other made up textile articles, sets of sale value exceeding Rs. 1000 per piece [other than Worn clothing and other worn articles; rags] ” ;
------	---------------------	---

- (xviii) after S. No. 171A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“171B	6505	Hats (knitted/crocheted) or made up from lace or other textile fabrics” ;
-------	------	---

- (xix) in S. No. 177, in column (3), the words, “Fly ash bricks” shall be omitted;
- (xx) in S. No. 196, in column (3), after the words “sports-ground rollers”, the word, brackets and figures “; Parts [8432 90]” shall be inserted;
- (xxi) in S. No. 197, in column (3), after the words and figures “of heading 8437”, the word, brackets and figures “; parts [8433 90 00]” shall be inserted;
- (xxii) in S. No. 200, in column (3), for the words “Sewing machines”, the words and figures “Sewing machines, other than book-sewing machine of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machines needles and parts of sewing machines” shall be substituted;
- (xxiii) after S. No. 201 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“201A	8509	Wet grinder consisting of stone as a grinder” ;
-------	------	---

- (xxiv) after S. No. 207 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“207A	8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles” ;
-------	------	--

(xxv) for S. No. 215 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“215	9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof” ;
------	------	--

(xxvi) in S. No. 216, in column (3), after the word “corrective”, the brackets and words “[other than goggles for correcting vision]” shall be inserted;

(xxvii) in S. No. 221, for the entry in column (3) ,the entry “Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses, hearing aids]” shall be substituted;

(xxviii) after S. No. 222 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“222A	9403	Furniture wholly made of bamboo, cane or rattan” ;
-------	------	--

(xxix) in S. No. 231, in the entry in column (3), the words “fishing hooks”, shall be omitted;

(xxx) after S. No. 242 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“243	Any Chapter	Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right in respect of goods other than Information Technology software”;

(C) in Schedule III-9%,-

(i) S. No. 1, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(ii) S. No. 10, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) in S. No. 12, for the entry in column (3), the entry “Sugar confectionery [other than mishri, batasha, bura, sakar, khadi sakar, harda, sakariya, gatta, kuliya, elaichidana, lukumdana, chikkis like puffed rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, til chikki, til patti, til revdi, sugar makhana, groundnut sweets and gajak]” ,shall be substituted;

(iv)after S. No. 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“12A	1804	Cocoa butter, fat and oil
12B	1805	Cocoa powder, not containing added sugar or sweetening matter
12C	1806	Chocolates and other food preparations containing cocoa”;

(v) in S. No. 13, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“1901 [other than 1901 20 00]	Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis not elsewhere specified or included [other than mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 1905]”;
--	--

(vi) S. No. 14, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vii) in S. No. 16, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“1905	Pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products [other than pizza bread, khakhra, plain chapatti or roti, bread, rusks, toasted bread and similar toasted products]”;
--------------	---

(viii) after S. No. 16 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“16A	2101 11, 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee”;
-------------	--------------------------------	---

(ix) S. Nos. 18, 19 and 20 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(x) in S. No. 23, for the entry in column (3), the entry, “Food preparations not elsewhere specified or included [other than roasted gram, sweetmeats, batters including idli/dosa batter, namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, khakhra, chutney powder, diabetic foods]” shall be substituted;

(xi) after S. No. 24 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“24A	2202 91 00, 2202 99 90	Other non-alcoholic beverages [other than tender coconut water]”;
-------------	-----------------------------------	--

- (xii) after S. No. 26 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“26A	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
26B	2516 12 00	Granite, other than blocks”;

- (xiii) S. No. 27, and the entries relating thereto, shall be omitted;

- (xiv) in S. No. 30, for the entry in column (3), the entry “Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste [other than fly ash]” shall be substituted;

- (xv) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“30A	2706	Tar distilled from other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars”;
------	------	---

- (xvi) in S. No. 33, for the entry in column (3), the entry “Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than petroleum crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils; Avgas [other than kerosene PDS, petrol, diesel and ATF, not in GST]” shall be substituted;

- (xvii) in S. No. 52, for the entry in column (3), the entry “Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours, vitrifiable enamels, glazes, engobes (slips), liquid lustres, and other similar preparations of a kind used in ceramic, enamelling or glass industry; glass frit or other glass, in the form of powder, granules or flakes” shall be substituted;

- (xviii) in S. No. 54A, for the entry in column (3), the entry “Artists’, students’ or signboard painters’ colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings” shall be substituted;

- (xix) S. No. 55, and the entries relating thereto, shall be omitted;

- (xx) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“57A	3303	Perfumes and toilet waters”;
------	------	------------------------------

- (xxi) in S. No. 58, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure
-------	--

	preparations [other than kajal, Kumkum, Bindi, Sindur, Alta]”;
--	--

(xxii) in S. No. 59, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“3305	Preparations for use on the hair”;
-------	------------------------------------

(xxiii) in S. No. 60, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“3306	Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages [other than tooth powder]”;
-------	--

(xxiv) after S. No. 60 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“60A	3307	Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties [other than odoriferous preparations which operate by burning, agarbattis, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani]”;
------	------	--

(xxv) in S. No. 61, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“3401	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent”;
-------	---

(xxvi) after S. No. 61 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“61A	3402	Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 [other than Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil]
61B	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations,

		bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals”;
--	--	--

(xxvii) after S. No. 62 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“62A	3405	Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404”;
------	------	---

(xxviii) after S. No. 71 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“71A	3602	Prepared explosives, other than propellant powders; such as Industrial explosives”;
------	------	---

(xxix) after S. No. 72 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“72A	3604	Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles”;
------	------	--

(xxx) after S. No. 73 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“73A	3606	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter; such as liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters”;
------	------	--

(xxxi) after S. No. 89 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“89A	3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils”;
------	------	---

(xxxii) after S. No. 90 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“90A	3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades
90B	3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers”;

(xxxiii) after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“94A	3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
94B	3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids”;

(xxxiv) after S. No. 104 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“104A	3918	Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics”;
-------	------	--

(xxxv) after S. No. 107 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“107A	3922	Baths, shower baths, sinks, wash basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics”;
-------	------	---

(xxxvi) in S. No. 111, for the entry in column (3), the entry “Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 [other than bangles of plastic, plastic beads and feeding bottles]” shall be substituted;

(xxxvii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“121A	4013	Inner tubes of rubber [other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; and Rear Tractor tyre tubes]”;
-------	------	--

(xxxviii) in S. No. 123A, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“4016	Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber [other than erasers, rubber bands]”;
-------	---

(xxxix) after S. No. 123A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“123B	4017	Hard rubber (for example ebonite) in all forms, other than waste and scrap; articles of hard rubber
123C	4201	Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material”;

(xl) in S. No. 124, for the entry in column (3), the entry “Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco- pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper [other than handbags and shopping bags, of cotton or jute]” shall be substituted;

(xli) after S. No. 124 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“124A	4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather [other than gloves specially designed for use in sports]
124B	4205	Other articles of leather or of composition leather
124C	4206	Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons”;

(xlii) S. No. 125, 126, 127, 128, 129 and 130 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xliii) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“132A	4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin”;
-------	------	---

(xliv) in S. No. 133, for the entry in column (3), the entry “Artificial fur and articles thereof” shall be substituted;

(xlv) after S. No. 137 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“137A	4410	Particle board, Oriented Strand Board and similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances, other than specified boards
-------	------	--

137B	4411	Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances, other than specified boards
137C	4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood
137D	4413	Densified wood, in blocks, plates, strips, or profile shapes
137E	4414	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
137F	4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes
137G	4421	Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware";

(xlvi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entry shall be inserted, namely: -

"150A	4814	Wall paper and similar wall coverings; window transparencies of paper";
-------	------	---

(xlvii) after S. No. 153 and the entries relating thereto, the following serial number and the entry shall be inserted, namely: -

"153A	4819 20	Cartons, boxes and cases of non-corrugated paper or paper board";
-------	------------	---

(xlviii) in S. No. 175, for the entry in column (3), the entry "Other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed" shall be substituted;

(xlix) in S. No. 177 A, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

"6702	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit";
-------	--

(l) after S. No. 177A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"177B	6703	Wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like
177C	6704	Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included
177D	6801	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)
177E	6802	Worked monumental or building stone (except slate) and

		articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and power, of natural stone (including slate) [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone]
177F	6803	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate”;

(li) after S. No. 180 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“180A	6807	Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)
180B	6808	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders
180C	6809	Articles of plaster or of compositions based on plaster; such as Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented”;

(lii) in S. No. 181, for the entry in column (3), the entry “Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced” shall be substituted;

(liii) after S. No. 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“182A	6812	Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813
182B	6813	Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other materials
182C	6814	Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials
182D	6815	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included [other than fly ash bricks, fly ash blocks, fly ash aggregate with 90 percent or

		more fly ash content]
182E	6901	Blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths”;

(liv) after S. No. 184 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“184A	6904	Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and the like
184B	6905	Chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods”;

(lv) in S. No. 185, for the entry in column (3), the entry “Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings” shall be substituted;

(lvi) after S. No. 185 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“185A	6907	Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics
185B	6909	Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods
185C	6910	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures
185D	6914	Other ceramic articles”;

(lvii) after S. No. 189 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“189A	7003	Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
189B	7004	Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
189C	7005	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
189D	7006 00 00	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials
189E	7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or

		laminated glass
189F	7008	Multiple-walled insulating units of glass
189G	7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors”;

(lviii) after S. No. 190 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“190A	7011	Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like”;
-------	------	---

(lix) after S. No. 191 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“191A	7014	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked”;
-------	------	---

(lx) after S. No. 192 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“192A	7016	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms”;
-------	------	---

(lxi) after S. No. 195 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“195A	7020	Other articles of glass [other than Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns]”;
-------	------	---

(lxii) in S. No. 235, for the entry in column (3), the entry “Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel [other than Kerosene burners, kerosene stoves and wood burning stoves of iron or steel]” shall be substituted;

(lxiii) after S. No. 235 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“235A	7322	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air
-------	------	--

		distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel”;
--	--	--

- (lxiv) after S. No. 236 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“236A	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel”;
-------	------	--

- (lxv) in S. No. 237, for the entry in column (3), the entry “Other cast articles of iron or steel” shall be substituted;

- (lxvi) in S. No. 238, for the entry in column (3), the entry “Other articles of iron or steel” shall be substituted;

- (lxvii) after S. No. 252 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“252A	7418	All goods [other than table, kitchen or other household articles of copper; Utensils]”;
-------	------	---

- (lxviii) in S. No. 253, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“7419	Other articles of copper”;
-------	----------------------------

- (lxix) in S. No. 262, for the entry in column no. 3, the entry “Unwrought Aluminium” shall be substituted;

- (lxx) in S. No. 271, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“7610	Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures”;
-------	---

- (lxxi) in S. No. 275, for the entry in column (3), the entry “Stranded wires, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated” shall be substituted;

- (lxxii) after S. No. 275 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“275A	7615	All goods [other than table, kitchen or other household articles, of aluminium; Utensils]”;
-------	------	---

(lxxiii) after S. No. 301 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“301A	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)”;
-------	------	--

(lxxiv) after S. No. 302 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“302A	8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives,); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files) [other than paper knives, pencil sharpeners and blades therefor]”;
-------	------	--

(lxxv) in S. No. 303A, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“8302		Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal”;
-------	--	---

(lxxvi) after S. No. 303A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“303B	8303	Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal
303C	8304	Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 9403
303D	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal”;

(lxxvii) after S. No. 307 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“307A	8310	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405”;
-------	------	---

(lxxviii) in S. No. 316, for the entry in column (3), the “Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines [other than aircraft engines]” shall be substituted;

(lxxix) after S. No. 317 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“317A	8413	Concrete pumps [8413 40 00], other rotary positive displacement pumps [8413 60]
317B	8414	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]”;

(lxxx) in S. No. 320, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“8419	Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric [other than Solar water heater and system]”;
-------	--

(lxxxii) in S. No. 324, for the entry in column (3), the entry “Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 centigrams or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds” shall be substituted;

(lxxxiii) in S. No. 325, for the entry in column (3), the entry “Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than and Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]” shall be substituted;

(lxxxiiii) after S. No. 327 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“327A	8427	Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
327B	8428	Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

327C	8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers
327D	8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers”;

(lxxxiv) in S. No. 335, for the entry in column (3), the entry “Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof” shall be substituted;

(lxxxv) in S. No. 361, for the entry in column (3), the entry “Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines) [other than Braille typewriters, electric or non-electric]” shall be substituted;

(lxxxvi) after S. No. 364 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“364A	8476	Automatic goods-vending machines (for example, postage stamps, cigarette, food or beverage machines), including money changing machines”;
-------	------	---

(lxxxvii) after S. No. 365 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“365A	8478	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter”;
-------	------	---

(lxxxviii) in S. No. 366, for the entry in column (3), the entry “Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter [other than Composting Machines]” shall be substituted;

(lxxxix) in S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry “Crank shaft for sewing machine, bearing housings; plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws” shall be substituted;

(xc) after S. No. 369A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“369B	8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals”;
-------	------	---

(xci) in S. No. 375, for the entry in column (3), the entry “Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors” shall be substituted;

(xcii) after S. No. 376 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“376A	8506	Primary cells and primary batteries
376B	8512	Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles
376C	8513	Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 8512”;

(xciii) in S. No. 379, for the entry in column (3), the entry “Telephone sets; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528 [other than telephones for cellular networks or for other wireless networks]” shall be substituted;

(xciv) in S. No. 380, for the entry in column (3), the entry “Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier set” shall be substituted;

(xcv) after S. No. 380 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“380A	8519	Sound recording or reproducing apparatus”;
-------	------	--

(xcvi) after S. No. 381 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“381A	8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 or 8521”;
-------	------	--

(xcvii) in S. No. 383, for the entry in column (3), the entry “Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces etc]” shall be substituted;

(xcviii) after S. No. 383 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“383A	8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
383B	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock”;

(xcix) after S. No. 384 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“384A	8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528
384B	8530	Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 8608)
384C	8531	Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530”;

(c) after S. No. 388 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“388A	8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts : connectors for
-------	------	--

		optical fibres, optical fibre bundles or cables
388B	8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517”;

(ci) in S. No. 390, for the entry in column (3), the entry “Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps [other than LED lamps]” shall be substituted;

(cii) in S. No. 395, for the entry in column (3), the entry “Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors” shall be substituted;

(ciii) in S. No. 396, for the entry in column (3), the entry “Carbon electrodes, carbon brushes, Lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes” shall be substituted;

(civ) after S. No. 397 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“397A	8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for the purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material”;
-------	------	--

(cv) S. No. 410, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(cvi) in S. No. 411, for the entry in column (3), the entry “Spectacles [other than corrective]; goggles including those for correcting vision” shall be substituted;

(cvii) after S. No. 411 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“411A	9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and
-------	------	---

		mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radio-astronomy
411B	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539
411C	9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus
411D	9008	Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers
411E	9010	Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens
411F	9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography cinephotomicrography or microprojection
411G	9012	Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus
411H	9013	Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter
411-I	9014	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances
411J	9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders”;

(cviii) in S. No. 412, for the entry in column (3), the entry “Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights” shall be substituted;

(cix) after S. No. 413 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“413A	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens,
-------	------	--

		examinations or treatment tables, chairs and the like
413B	9023	Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses”;

(cx) after S. No. 423 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“423A	9101	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal
423B	9102	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop watches, other than those of heading 9101”;

(cxi) after S. No. 424 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“424A	9104	Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels”;
-------	------	--

(cxii) after S. No. 425 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“425A	9106	Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders)
425B	9107	Time switches with clock or watch movement or with synchronous motor
425C	9108	Watch movements, complete and assembled”;

(cxiii) in S. No. 427, for the entry in column (3), the entry “Other clock or watch parts” shall be substituted;

(cxiv) in S. No. 428, for the entry in column (3), the entry “Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements” shall be substituted;

(cxv) after S. No. 428 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“428A	9111	Watch cases and parts thereof”;
-------	------	---------------------------------

(cxvi) in S. No. 429, for the entry in column (3), the entry “Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof” shall be substituted;

(cxvii) after S. No. 429 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“429A	9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof”;
429B	9201	Pianos, including automatic pianos; harpsi-chords and other keyboard stringed instruments
429C	9202	Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)
429D	9205	Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs
429E	9206 00 00	Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)
429F	9207	Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
429G	9208	Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments
429H	9209	Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds”;

(cxviii) after S. No. 435 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, and parts thereof [other than seats of a kind used for aircraft]”;
-------	------------------------------	--

(cxix) in S. No. 437, for the entry in column (3), the entry “Other furniture [other than furniture wholly made of bamboo, cane or rattan] and parts thereof” shall be substituted;

(cxx) in S. No. 438, for the entry in column (3), the entry “Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered [other than coir products (except coir mattresses), products wholly made of quilted textile materials and cotton quilts]” shall be substituted;

(cxxi) after S. No. 438 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“438A	9405	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof; LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)]”;
-------	------	---

(cxxii) after S. No. 440 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“440A	9505	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes”;
-------	------	---

(cxxiii) in S. No. 441, for the entry in column (3), the entry “Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, swimming pools and padding pools [other than sports goods]” shall be substituted;

(cxxiv) after S. No. 441 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“441A	9508	Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; [other than travelling circuses and travelling menageries]
441B	9602	Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and articles of unhardened gelatin”;

(cxxv) after S. No. 448 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“448A	9611	Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks”;
-------	------	---

(cxxvi) in S. No. 449A, for the entry in column no. 3, the entry “Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints or wicks” shall be substituted;

(cxxvii) after S. No. 449A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“449B	9617	Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other than glass inners
449C	9618	Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays, used for shop window dressing”;

(cxxviii) after S. No. 452O and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“452P	Any Chapter	Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right in respect of Information Technology software” ;
-------	-------------	---

(D) in Schedule-IV-14%, -

- (i) S. Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) in S.No. 46, in column (3), for the words in the brackets, “and Rear Tractor tyres”, the words “rear tractor tyres; and of a kind used on aircraft”, shall be added;
- (iii) S. Nos. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 and the entries relating thereto, shall be omitted;

- (iv) in S. No. 114, for the entry in column (3), the entry “Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine [other than aircraft engines]” shall be substituted;
- (v) in S.No. 117, in column (3), the words, figures and brackets “concrete pumps [8413 40 00], other rotary positive displacement pumps [8413 60], [other than hand pumps falling under tariff item 8413 11 10]” shall be omitted;
- (vi) S. Nos. 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (vii) in S.No. 135, for the entry in column (3), the entry “Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks (excluding crankshaft for sewing machine); gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)” shall be substituted;
- (viii) S. Nos. 136, 137, 138 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ix) in S.No. 141, in column (3), after the words and figures “heading 8508” the words and brackets “[other than wet grinder consisting of stone as a grinder]” shall be added;
- (x) S. Nos. 144, 145, 147, 148, 149, 150 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xi) in S.No. 151, for the entry in column (3), the entry “Digital cameras and video camera recorders [other than CCTV]” shall be substituted;
- (xii) S. Nos. 152, 153 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xiii) in S.No. 154, in column (3), after the words and figures in the brackets, “not exceeding 20 inches”, the words “ ; and set top box for television” shall be added;
- (xiv) S. Nos. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xv) S. Nos. 216, 217, 218, 220, 221, 222, 225, 226 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xvi) in S.No. 228, for the entry “-” in column (2), the entry “Any Chapter” shall be substituted.

(E) in Schedule-V-1.5%, in S. No. 13, for the words “of metal clad with precious metal”, the words and brackets “of metal clad with precious metal [other than bangles of lac/shellac]”, shall be substituted;

(F) in the explanation, in clause (ii), for sub-clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) The phrase “registered brand name” means,-

(A) a brand registered as on the 15th May 2017 or thereafter under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently de-registered;

(B) a brand registered as on the 15th May 2017 or thereafter under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(C) a brand registered as on the 15th May 2017 or thereafter under any law for the time being in force in any other country.”;

2. This notification shall come into force on the 15th day of November 2017.

[F.No.354/320/2017-TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 34/2017-Central Tax(Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 1283 (E), dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
सं० 41/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, तारीख 14 नवम्बर, 2017

सा०का०नि० (अ)- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 2.5% में,-

(i) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"1	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और युनिट कंटेनर में हो और,- (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या (ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए";
----	--	--

(ii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और युनिट कंटेनर में हो और,- (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या (ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए";
------------------	---	---

(iii) क्रम संख्या 3,4,5,6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 16 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 23 में कॉलम (3) में शब्द "प्रशीतित" के पश्चात "और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 26 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मेनीयॉक, आरारोड, स्लेप, जेरूसलेम, आरटीचोक्स, शकरकंद और इसी प्रकार के मूल और कंद, जिसमें स्टॉर्च और

इंसुलिन के अवयव बहुत अधिक होते हैं, प्रशीतित, चाहे वे कटे हो या नहीं या गोलियों के रूप में हो और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क)जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख)जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्यागकिया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 27 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “काजू नट्स, चाहे ये छिलके में हो या छिलका रहित, शुष्क नारियल ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 30 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “ छिलका युक्त या छिलका रहित” के पश्चात “और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क)जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख)जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्यागकिया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 58 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “मील, पाउडर ” के पश्चात शब्द “आटा” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 66 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “सीड क्वालिटी से भिन्न” को लोप किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“72	1210 20 00	होप कोन, पीसे हुए, पाउडर बने या गोलियों के रूप में; ल्युपुलिन”;
-----	------------	---

(xiii) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा

“78	1404 [1404 90 10, 1404 90 40, 1404 90 50, 1404 90 60]	ऐसे वनस्पति उत्पाद जो अन्य कही विनिर्दिष्ट या शामिल न हो जैसे कि काटन लिंटर्स, सोप नट्स, हार्ड सीड्स, पिप्स, हुल्स एंड नट्स जो कि मूल रूप से नक्कासी के काम आता है, रुद्राक्ष बीज [बीड़ी बनाने के काम आने वाला पत्ता (तेंदु का पत्ता) पान, भारती कत्था, कोकोनट शेल, जिसको छिला न गया हो]”;
-----	---	---

- (xiv) क्रम संख्या 91 में, कॉलम (3) में शब्द “खाण्डसारी चीनी” को लोप किया जाएगा ;
- (xv) क्रम संख्या 92 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “पलमाइयारा शुगर, मिश्री, बतासा, बुरा, शक्कर, खड़ी शक्कर, हरदा, शकरिया, गट्टा, कुलिया, इलाइची दाना, लुकुमदाना, चिक्की जैसे मुरमुरा चिक्की, पीनट चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्टी, चीनी से निर्मित मखाना, तिल रेवड़ी, मूंगफली मिठाई” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 100 क में, कॉलम (3) में शब्द “ भुना चना “ के पश्चात शब्द “इडली/डोसा बैटर, चटनी पाउडर” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“111	2503	सभी प्रकार के सल्फर, उत्पादित सल्फर, प्रेसीपिटेड सल्फर और कोलाइडल सल्फर से भिन्न”;
------	------	--

- (xviii) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में शब्द, अंक और अक्षरों “प्राकृतिक बोरिक एसिड, जिसमें H₃BO₃ की मात्रा 85% से अधिक न हो ” के बाद कोष्ठक और शब्द “(शुष्क भार के आधार पर संगणित)” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 156 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“156क	2621	फलाई ऐश”;
-------	------	-----------

- (xx) क्रम संख्या 189 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“189	4011 30 00	नए न्यूमेटिक टायर्स, जो रबर के बने हो और एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हो”;
------	------------	--

- (xxi) क्रम संख्या 197 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“197क	4107	गोकुलीय, जिसके अंतर्गत भैंस भी है या अश्व कुलीय प्राणियों का चर्मशोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पार्चमेंट प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर रोम नहीं है, चाहे
-------	------	---

		विपाटित है या है नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष 4114 में है
197ख	4112	भेड या मेमने का चर्म शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत भेड या मेमने का पार्चमेंट - प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमड़े से भिन्न, जो शीर्ष संख्या 4114 में है
197ग	4113	अन्य प्राणियों का चर्म शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पार्चमेंट - प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊन या रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमड़े से भिन्न, जो शीर्ष संख्या 4114 में है
197घ	4114	सांभर (जिसके अंतर्गत संयोजन सांभर है) चमड़ा, पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पट्टलित चमड़ा; धातवीकृत चमड़ा
197ङ	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार वाली संरचना, चमड़ा, सिल्लियों, चादरों या पट्टी में, चाहे रोल में है या नहीं ; चमड़े या संरचना चमड़े की कतरने और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है ; चमड़ा धूल, चूर्ण और आटा”;

(xxii) क्रम संख्या 218क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“218ख	5607	जूट, रज्जू, क्वायर डोरियाँ, या रस्सियां
218ग	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
219घ	5609	क्वायर उत्पाद”;

(xxiii) क्रम संख्या 219क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“219कक	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं. 5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना (बोल्डक्स) है”;
--------	------	---

(xxiv) क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"224	63 [6309 से भिन्न]	अन्य निर्मित टेक्सटाइल वस्तुएं, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक न हो";
-------------	---	--

(xxv) क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"224 क	6309	उतरण और जीर्ण टेक्सटाइल वस्तुएं; चिथड़े";
---------------	-------------	---

(xxvi) क्रम संख्या 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"225 क	6815	फलाई ऐश ईटें और फलाई ऐश समुच्चय जिनमे फलाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो";
---------------	-------------	---

(xxvii) क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"230क	8407 10 00, 8411	एयरक्राफ्ट इंजन";
--------------	---	-------------------

(xxviii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "ई-वेस्ट स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मैजमेंट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0338(अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची I में सूचीबद्ध, इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिनहे पूरे या कुछ हिस्से में, उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में छोड़ा गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा";

(xxix) क्रम संख्या 257क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"257ख	9401 10 00	एयरक्राफ्ट सीट्स";
--------------	-------------------	--------------------

(xxx) क्रम संख्या 259क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“259क	4016 या 9503	प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बने खिलौने वाले गुब्बारे
259ख	9507	मत्स्य कांटा
259ग	9601	कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो” ;

(ख) अनुसूची-II-6% में-

- (i) क्रम संख्या 2,3,4,5,6,7,8,9,10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“11	0402 91 10, 0402 99 20	संघनित दुग्ध”;
-----	---------------------------	----------------

- (iii) क्रम संख्या 14 में, कॉलम (3) में “और नारियल बुरादा या लच्छे” को लोप किया जाएगा ;
- (iv) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“32क	1701 91, 1701 99	सभी वस्तुएं, जिसमें परशोधित चीनी भी शामिल है जिसमें फ्लेवर या कलरिंग के अवयव शामिल हैं, शुगर क्यूब्स, उनसे भिन्न जिन पर 5 प्रतिशत या शून्य दर से जीएसटी लगता है
32ख	1902	पास्ता चाहे पकाया या स्टफ्ड किया गया हो या नहीं (मांस या अन्य पदार्थों से युक्त) या अन्य प्रकार से तैयार किया गया हो जैसे कि स्पाघेट्टी, मकरोनी, न्यूडल्स, लेसाग्निक, नूची, रेवोली, केनीलोनी, कसकस, चाहे ये तैयार किए गये हैं या नहीं”;

- (v) क्रम संख्या 43 में, कॉलम (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “यीस्ट(सक्रिय या निष्क्रिय)” उनसे भिन्न जो एकोशीकृत सूक्ष्म जीव, मृत(लेकिन जो कि शीर्ष 3002 के वैक्सीन में शामिल नहीं हैं) हैं” तैयार वेकिंग पाउडर्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“44	2103	सभी वस्तुएं, जिसमें सॉसेज और उसके लिए संबंधित निर्मितियाँ, कॉन्डीमेंटस और मिश्रित सीजनिंगस; मस्टर्ड फ्लोर तथा मील और
-----	------	--

		तैयार मस्टर्ड, करी पेस्ट, मायोनेस और सलाद ड्रेसिंग्स”;
--	--	--

(vii) क्रम संख्या 45 में, कॉलम (3) में, “इडली या डोसा बेटर समेत” को लोप किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“46क	2106 90 91	डायबेटिक फूड”;
------	------------	----------------

(ix) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“57 क	2804 40 10	चिकित्सा ग्रेड के ऑक्सीजन”;
-------	------------	-----------------------------

(x) क्रम संख्या 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“70	3215	सभी वस्तुएं जिसमें प्रिंटिंग इंक, राइटिंग या ड्राइंग इंक या अन्य इंक शामिल है चाहे ये संघनित ठोस हो या नहीं, फाउंटेन पेन इंक, बॉल पेन इंक”;
-----	------	---

(xi) क्रम संख्या 71,86,87,88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 89,90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“89	4202 22 20	हैंडबैग्स और शॉपिंग बैग्स, सूती
90	4202 22 30	हैंडबैग्स और शॉपिंग बैग्स, जूट के”;

(xiii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) में शब्द “रबर या प्लास्टिकस से” के पश्चात कोष्ठक और शब्द “[जूट ट्वाइन, क्वायर कॉर्डेज या रस्सियों से भिन्न]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 140 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 141 में, कॉलम (3) में, शब्द “नहीं हैं” के पश्चात कोष्ठक और शब्द “[क्वायर उत्पादों से भिन्न]” को अंतःस्थापित किया जाएगा”;

(xvi) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xvii) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

“171	63 [6309 से भिन्न]	वस्त्र से तैयार अन्य वस्तुएं, जिनका ब्रिकी मूल्य एक हजार रुपये प्रति नग से अधिक हो [उत्तरण और जीर्ण टेक्सटाइल
------	-----------------------	---

		वस्तुएं और चीथड़ों से भिन्न]’;
--	--	--------------------------------

- (xviii) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“171क	6505	हेट्स (निटेड या क्रोचेटेड) या लेस या अन्य टैक्सटाइल फेब्रिक से बने हों”;
-------	------	--

- (xix) क्रम संख्या 177 में, कॉलम (3) शब्दों, “फलाईऐश डेटें” को लोप किया जाएगा;

- (xx) क्रम संख्या 196 में, कॉलम (3) शब्दों “क्रीड़ा मैदान रोलर” के पश्चात संकेत, शब्द, कोष्ठक और अंक “; पार्ट्स[8432 90]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (xxi) क्रम संख्या 197 में, कॉलम (3) शब्द और अंक “8437 के हैं” के पश्चात संकेत, शब्द, कोष्ठक और अंक “; पार्ट्स[8433 90 00]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (xxii) क्रम संख्या 200 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “सिलाई मशीनें, शीर्ष 8440 की पुस्तक-सिलाई मशीन के अलावा; फर्नीचर, अड्डे और कवर जो विशेष रूप से सिलाई मशीनों के लिए डिजाइन किए गए हैं; सिलाई मशीन सुई और सिलाई मशीन के कल पुर्जे” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (xxiii) क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“201क	8509	गीली पिसाई की चक्की जिसमें पिसाई पत्थर के साथ की जाती है”;
-------	------	--

- (xxiv) क्रम संख्या 207 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा

“207A	8710	टैंक और अन्य कवच युक्त युद्ध वाहन, मोटर युक्त चाहे उनमें अस्त्र-शस्त्र लगे हो या नहीं, ऐसे वाहनों के हिस्से”;
-------	------	---

- (xxv) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा

“215	9003	नजर के चश्मों, धूपी चश्मों और इसी प्रकार की वस्तुओं के फ्रेम्स, और इन वस्तुओं के हिस्से”;
------	------	---

- (xxvi) क्रम संख्या 216 में, कॉलम (3) में, शब्द “सुधारात्मक” के पश्चात कोष्ठक और शब्द “[दृष्टि सुधार के लिए धूपी चश्मों से भिन्न]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xxvii) क्रम संख्या 221 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "स्पलिंग्स और अन्य फैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य एपलाइसेस जो पहने या ले जाए या शरीर में लगाए जाने के लिए होते हैं, जो कि विकलांग की मदद के लिए होते हैं; इंटाओकुलर लेंस [आर्थोपेडिक एपलाइसेस, जैसे कि क्रचेस, सर्जिकल ट्रसेस, सुनने में सहायक उपकरण से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxviii) क्रम संख्या 222 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा

"222क	9403	पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर";
-------	------	--

(xxix) क्रम संख्या 231 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में " मत्स्य कांटा" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(xxx) क्रम संख्या 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा

"243	कोई अध्याय	सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना";
------	------------	---

(ग) अनुसूची-III-9% में,-

- क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"शुगर कन्फेशनरी [मिश्री, बतासा, बुरा, शक्कर, खड़ी शक्कर, हरदा, शकरिया, गट्टा, कुरिया, इलायची दाना, लुकुम दाना, चिक्की जैसे कि मुरमुरा चिक्की, पीनट चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्टी, चीनी से निर्मित मखाना, मूंगफली मिठाई से भिन्न]";

- क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"12क	1804	कोको मक्खन, वसा और तेल
12ख	1805	कोको चूर्ण, जिसमें चीनी या कोई मधुरित पदार्थ न मिलाया गया हो
12ग	1806	चॉकलेट और अन्य खादय निर्मितियां, जिनमें कोको अंतर्विष्ट है";

- क्रम संख्या 13 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“1901 [1901 20 00 से भिन्न]	माल्ट निष्कर्ष; आटा, दलिया, अवचूर्ण, स्टार्च या माल्ट निष्कर्ष की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 40 % कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है; शीर्ष 0401 से 0404 के माल की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 5 % कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है [शिशुओं या छोटे बालकों के लिए निर्मितियों से भिन्न, जिन्हें खुदरा विक्रय के लिए रखा गया है और बेकरी के बर्तनों के निर्माण के लिए शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे]”;
-----------------------------	--

(vi) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 16 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“1901 [1901 20 00 से भिन्न]	पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकरी के सामान, चाहे कोको युक्त हों या नहीं; भोज वेफर्स, फार्मास्यूटिकल उपयोग के लिए उपयुक्त तरह के खाली कैश, सील वेफर्स, चावल कागज और इसी तरह के उत्पाद[पिज्जा रोटी, खखरा, सादी चपाती या रोटी, डबल रोटी, रास्क, टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों से भिन्न]”;
-----------------------------	---

(viii) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“16क	2101 11, 1200 2101	कॉफी के निष्कर्ष, सत् और सांद्र और इन निष्कर्षों सतों, या सांद्रों के आधार वाली या कॉफी के आधार वाली निर्मितियां”;
------	--------------------------	--

(ix) क्रम संख्या 18,19 और 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 23 में कॉलम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“खाद्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [भूने चने, मिठाइयां, इडली/डोसा बैटर समेत सभी बैटर, नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य निर्मितियां जिनका उपयोग तुरंत किया जा सके, चटनी पाउडर, डाइबेटिक फूड्स, से भिन्न]”;

(xi) क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“24क	2202 91 00, 2202 99 90	अन्य गैर अल्कोहली पेय [नारियल पानी से भिन्न]”;
------	---------------------------	--

(xii) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“26क	2515 12 20, 2515 12 90	संगमरमर और ट्रैवरटाइन, ब्लॉक से भिन्न
26ख	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न”;

(xiii) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 30 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“अन्य धातुमल और भस्म, जिसमें समुद्री खरपतवार भस्म (केल्प) और नगरपालिका अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अवशिष्ट सम्मिलित है [फ्लाई ऐश से भिन्न]”;

(xv) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“30क	2706	अन्य मिनरल टार से आसवित टार चाहे निर्जलीकृत या आशिक रूप से आसवित हो या नहीं जिसमें रिकांस्टिट्यूटेड टार्स भी शामिल हैं”;
------	------	--

(xvi) क्रम संख्या 33 में , कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“पेट्रोलियम आयल या ऐसे आयल जो विटुमिनस मिनरल से प्राप्त किए गए हो, कच्चे पेट्रोलियम से भिन्न ; ऐसे उत्पाद जो अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट या शामिल न हों , जिनमें भार के हिसाब से 70 प्रतिशत या इससे अधिक पेट्रोलियम आयल या विटुमिनस मिनरल से प्राप्त आयल निहित हो, ये आयल ऐसे उत्पाद के आधारभूत अवयव हो; वेस्ट आयल्स; अवगैस [केरोसीन पीडीएस, पेट्रोल,डीजल या एटीएफ से भिन्न, जिनको जीएसटी में शामिल न किया गया हो]”;

(xvii) क्रम संख्या 52 में , कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“निर्मित वर्णक, निर्मित अपारदर्शकारी, निर्मित रंग, कांचावनीय इनेमल, चमरकारक, ऎंगोब (स्लिप), द्रव द्रवितिकारक और वैसी ही निर्मितियां, जो इस प्रकार की हैं जिनका उपयोग चीनी मिट्टी इनेमल या कांच उद्योग में किया जाता है; ग्लास फ्रिट या अन्य ग्लास , जो कि पाउडर ग्रेन्यूल्स या फलेक्स के रूप में हो”;

(xviii) क्रम संख्या 54क में , कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“कलाकारों, विद्यार्थियों या साइनबोर्ड पेंटर्स के रंग, रूपांतरण आभाकारी, आमोद-प्रमोद रंग और वैसे ही पदार्थ जो टिक्कियों, ट्यूबों, जारों, बोतलों, पैनों या वैसे ही प्रारूपों या पैकिंग में हैं”;

(xix) क्रम संख्या 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xx) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“57क	3303	सुगंध सामग्री और प्रसाधन जल”;
------	------	-------------------------------

(xxi) क्रम संख्या 58 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“3304	सौंदर्य या रूप सज्जा निर्मितियां और त्वाचा की परिचर्या के लिए निर्मितियां (औषध द्रव्य से भिन्न) जिनके अंतर्गत धूप रोधक लेप या धूप टैनरोधी निर्मितियां हैं, नख प्रसाधन या पाद प्रसाधन निर्मितियां [काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, अल्टा से भिन्न]”;
-------	--

(xxii) क्रम संख्या 59 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“3305	केश के लिए निर्मितियाँ”;
-------	--------------------------

(xxiii) क्रम संख्या 60 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“3306	मुख या दांत स्वास्थ्य के लिए निर्मितियां, जिनके अंतर्गत दंत चूर्ण; दांतों के बीच सफाई करने के लिए प्रयुक्त धागा (दंत फ्लौस) पृथक खुदरा पैकजों में [टूथ पाउडर से भिन्न]”;
-------	--

(xxiv) क्रम संख्या 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“60क	3307	क्षौर-पूर्व, क्षौर या क्षौर पश्च निर्मितियां, शारीरिक गंध हारक, स्नान निर्मितियां,रोमहर और अन्य सुगंध सामग्री, श्रृंगार या
------	------	--

		प्रसाधन निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; निर्मित कक्ष गंध हारक चाहे सुगंधित या विसंक्रामक गुणधर्म वाली हैं या नहीं ; जैसे क्षौर-पूर्व, क्षौर या क्षौर पश्च निर्मितियां, क्षौर क्रीम, शारीरिक गंध हारक और पसीना रोधी”;
--	--	--

(xxv) क्रम संख्या 61 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“3401	साबून; साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो बार, टिकियों, संचित खंडों या आकारों के रूप में हैं चाहे उनमें साबुन है या नहीं ; तरल या क्रीम के रूप में त्वचा धोने के लिए कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जिन्हें फुटकर विक्रय के लिए रखा गया है चाहे उनमें साबुन हो अथवा नहीं ; पेपर, वाडिंग, फैल्ट और अव्युतित, साबुन या डिटर्जेंट से युक्त, विलेपित या आच्छादित”;
-------	---

(xxvi) क्रम संख्या 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“61क	3402	कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय कर्मक (साबुन से भिन्न) ; पृष्ठ-सक्रिय निर्मितियां, धावन निर्मितियां (जिनके अंतर्गत सहायक धावन निर्मितियां हैं) निर्मलन निर्मितियां, चाहे साबुन से युक्त हो या नहीं, शीर्ष 3401 की मदों से भिन्न[सल्फोनेटित एरंड का तेल, मछली का तेल या स्पर्म तेल से भिन्न]
61ख	3403	स्नेहक निर्मितियां (जिनके अंतर्गत स्नेहकों पर आधारित कर्तन तेल निर्मितियां बोल्ट या नट विमोचन निर्मितियां, जंगरोधी या संक्षारणरोधी निर्मितियां और संच विमोचन विनिर्मितियां हैं) और ऐसी निर्मितियां जिनका उपयोग टैक्सटाइल सामग्री, चमड़ा, फरदार चर्म या अन्य सामग्रीयों के तेल या ग्रीस उपचार के लिए किया जाता है, किन्तु इनके अंतर्गत ऐसी निर्मितियां नहीं हैं जिनमें आधारी संघटकों के रूप में भार के आधार पर 70 प्रतिशत या अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल अंतर्विष्ट हैं”;

(xxvii) क्रम संख्या 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“62क	3405	जूतादि, फर्निचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए
------	------	---

		पोलिश और क्रीम, अभिमार्जन पेस्ट और चूर्ण तथा वैसी ही निर्मितियां (चाहे वे पेपर, वाडिंग, नमदा, अव्युत्तित, सैलूलर प्लास्टिक या सैलूलर रबर के रूप में हैं या नहीं, जो ऐसी निर्मितियों से संसेचित, विलेपित या अच्छादित हैं), जिनके अंतर्गत शीर्ष 3404 के मोम नहीं हैं”;
--	--	--

(xxviii) क्रम संख्या 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“71क	3602	निर्मित विस्फोटक, नोदक चूर्ण से भिन्न ; जैसे की आद्योगिक विस्फोटक”;
------	------	---

(xxix) क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“72क	3604	आतिशबाजी, संकेत प्रदीपक, वर्षा राकेट, कुहासा संकेत और अन्य पाइरोटेकनिक वस्तुएं”;
------	------	--

(xxx) क्रम संख्या 73क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“73क	3606	फैरो-सिरियम और सभी रूपों में अन्य पाइरोफोरिक मिश्रातु ; इस अध्याय के टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट ज्वलनशील सामग्री की वस्तुएं, जैसे कि आधानों में द्रव्य या द्रवीकृत गैस ईंधन, जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग सिगरेट या वैसे ही लाइटों को भरने के लिए किया जाता है”;
------	------	--

(xxxi) क्रम संख्या 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“89क	3811	खनिज तेलों (जिसके अंतर्गत गैसोलीन है) के लिए या वैसे ही प्रयोजनों के लिए खनिज तेल के रूप में उपयोग किए जाने वाले अन्य द्रव्यों के लिए अपस्फोटरोधी निर्मितियां, ऑक्सीकरण संदमक, गोंद संदमक, श्यानता वर्धक, संक्षारणरोधी निर्मितियां और अन्य निर्मित योज्यक”;
------	------	---

(xxxii) क्रम संख्या 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“90क	3813	अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड
90 ख	3814	कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; निर्मित पेंट या वार्निश अपसारक”;

(xxxiii) क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“94क	3819	हाइड्रालिक संचरण के लिए हाइड्रालिक ब्रेक तरल और अन्य निर्मित द्रव्य, जिनमें पेट्रोलियम तेल बिटुमिनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल नहीं हैं या भार के आधार पर 70 प्रतिशत से कम हैं
94 ख	3820	हिमीकरणरोधी निर्मितियां और निर्मित विहिमन तरल”;

(xxxiv) क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“104क	3918	प्लास्टिक की फर्श की बिछायतें, चाहेआसंजक हैं या नहीं , रालों में टाइलों के रूप ; प्लास्टिक के भित्ति या सीलिंग आच्छद”;
-------	------	--

(xxxv) क्रम संख्या 107 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“107क	3922	प्लास्टिक के बाथ, शावर बाथ, सिंक, वॉशबेसिन, बिडेट, शौचालय पैन, सीट और आच्छद, फ्लश करने के सिस्टर्न और वैसे ही स्वच्छता के समान”;
-------	------	--

(xxxvi) क्रम संख्या 111 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिःस्थापित किया जायेगा,यथा:

“प्लास्टिक से बनी अन्य वस्तुएं और अन्य सामग्रियों से बनी वस्तुएं जो शीर्ष 3901 से 3914 के अंतर्गत आती हैं [प्लास्टिक की चूड़ियों, प्लास्टिक के मनके और फीडिंग बाटल्स से भिन्न]”;

(xxxvii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,यथा: -

“121क	4013	रबड़ की आंतरिक ट्यूबें [उनसे भिन्न, जिनका उपयोग बाईसाइकिल और साइकिलरिक्षा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्षा में किया जाता है; और ट्रैक्टर के
-------	------	---

		पिछले टायर ट्यूब]”;
--	--	---------------------

(xxxviii) क्रम संख्या 123क में कालम (2) और कालम (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रति:स्थापित किया जायेगा,यथा: -

“4016	कठोर रबड़ से भिन्न वल्कनीकृत रबड़ की अन्य वस्तुएं (इरेजर , रबर बैंड से भिन्न)”;
-------	---

(xxxix) क्रम संख्या 123क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जायेगा,यथा: -

“123ख	4017	सभी रूपों में कठोर रबड़ (उदाहरण के लिए इबोनाइट), अपशिष्ट और स्क्रेप से भिन्न ; कठोर रबड़ की वस्तुएं
123ग	4201	किसी सामग्री की किसी प्राणी के लिए जीन साजी और साज (जिसके अंतर्गत प्रग्रह, डोरी, नीपैड, मुखपट्टा, जीन कपड़ा, जीन थैली, कुत्ते की कौट और वैसी ही वस्तुएं हैं)”;

(xi) क्रम संख्या 124 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रति:स्थापित किया जायेगा,यथा: -

“टंक, सूटकेसेस, वैनिटी केसेस, एक्यूजीटिव केसेस, स्कूल सैचल्स, स्पेक्टल केसेस, बाइनोकूल कैसेस, कैमरा कैसस,म्यूजिकल केसस, गन केसिस, होल्टर्स और इसी प्रकार के अन्य कंटेनर , ट्रेवलिंग बैग्स, इंसूलेटिड फूड, वीवरेज बैग्स, टायलेट बैक्स, रूकसेक बैग्स, हैंड बैग्स,शापिंग बैग्स, वालेट , पर्स, मैप केसिस, सिगरेट केसिस, तम्बाकू गुटका, टूल बैग्स, स्पोर्ट्स बैग्स, बाटल केस, आभूषणों के डिब्बे, पाउडर के डिब्बे, कटलरी केसिस और इसी प्रकार के अन्य कंटेनर जो कि चमड़े, प्लास्टिक की शीट, कपड़े की सामग्री , वल्कनाइलडस्ड फाइबर या पेपर बोर्ड से बने हों या पूर्णतया काफी हद तक ऐसी सामग्री से ढके हों या पेपर से ढके हों, [सूती या जूट से बने हैंड बैग और शापिंग बैग से भिन्न]”;

(xli) क्रम संख्या 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जायेगा,यथा: -

“124क	4203	लैडर या संयोजित चमड़े की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन (उन ग्लोब्स से भिन्न जो कि विशेषकर खेल के लिए बनाए गए हों)
124ख	4205	चमड़े या संयोजित चमड़े की अन्य वस्तुएं
124ग	4206	तांत (रेशमकीट तांत से भिन्न) की वर्क साजी, वस्ति या

		कंडरा की वस्तुएं”;
--	--	--------------------

(xlii) क्रम संख्या 125, 126, 127, 128, 129 और 130 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा”;

(xliii) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“132क	4303	फरदार चर्म की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन और अन्य वस्तुएं”;
-------	------	--

(xliv) क्रम संख्या 133 में , कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“कृत्रिम फर और उससे बनी वस्तुएं”;

(xlv) क्रम संख्या 137 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“137क	4410	काष्ठ या अन्य काष्ठ सामग्री के पार्टिकल बोर्ड, ओरिएन्टेड स्ट्रैंडबोर्ड (ओएसबी) और वैसे ही बोर्ड (उदहारण के लिए वैफर बोर्ड) चाहे वे रेज़िन या अन्य कार्बनिक बंधन पदार्थ से संपीड़ित हैं अथवा नहीं विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न
137ख	4411	काष्ठ के फाइबर बोर्ड या अन्य काष्ठ सामग्री, चाहे वे रेज़िन या अन्य कार्बनिक पदार्थ से बंधित हैं अथवा नहीं विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न
137ग	4412	प्लाइवुड, पृष्ठावृत पैनल और वैसे ही पटलित काष्ठ
137घ	4413	घनीकृत काष्ठ, ब्लॉकों, प्लेटों, स्ट्रिप या प्रोफाइल आकारों में
137ङ.	4414	रंगचित्रों, फोटोचित्रों, दर्पण या वैसे ही वस्तुओं के लिए काष्ठ की चौखटें
137च	4418	काष्ठ का राजगीर-योजकर्म, जिसके अंतर्गत सैलुलर काष्ठ पैनल, समंजित फर्श पैनल, छादन पट्टी और शेक हैं
137छ	4421	काष्ठ पैविंग ब्लॉक, घनीकृत काष्ठ की वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग, जिनका उपयोग मेज़ और रसोई के बर्तनों के रूप में किया जाता है”;

(xlvii) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“150क	4814	भित्ति कागज़ और वैसे ही भित्ति आच्छादन ; कागज़ की खिड़की पारदर्शिता”;
-------	------	---

(xlviii) क्रम संख्या 153 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“153क	4819 20	नान कोरुगेटिड पेपर या पेपर बोर्ड से बने कार्टन्स, बाक्सिस और कैसेस”;
-------	---------	--

(xlix) क्रम संख्या 175 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“सिर के अन्य पहनावे, बुने हुए या क्रोशियाकृत या लैस, नमदे या अन्य टैक्सटाइल फैब्रिक से निर्मित, थान में (किंतु पट्टियों में नहीं), चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं; किसी भी सामग्री के केश जाल; चाहे वे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं”;

(l) क्रम संख्या 177क में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“6702	कृत्रिम पुष्प, पर्णसमूह और फल तथा उनके भाग, कृत्रिम पुष्पों, पर्णसमूहों या फल से बनाई गई वस्तुएं”;
-------	--

(l) क्रम संख्या 177क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,-

“177ख	6703	ऊन या अन्य प्राणी केश या अन्य टैक्सटाइल सामग्रिया, जिन्हें विगों या वैसी ही वस्तुओं को बनाने के लिए तैयार किया गया है
177ग	6704	मानव केश या प्राणी रोम या टैक्सटाइल सामग्री की विग, नकली दाढ़ी, भोहें और पक्षम, स्विच और वैसी ही वस्तुएं ; मानव केश की वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
177घ	6801	प्राकृतिक प्रस्तर (स्लेट के सिवाय) के सैट, कर्बस्टोन और पट्टियां प्रस्तर
177ड.	6802	कर्मित संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर (स्लेट के सिवाय) और

		उसकी वस्तुएं शीर्ष सं० 6801 के माल से भिन्न; प्राकृतिक प्रस्तर (जिसके अंतर्गत स्लेट भी हैं) की मोजाइक क्यूब और उसी प्रकार की वस्तुएं चाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं ; प्राकृतिक प्रस्तर (जिसके अंतर्गत स्लेट भी हैं) की कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिप्पियां और चूर्ण[मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वजन, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान से भिन्न]
177च	6803	कर्मित स्लेट और स्लेट की या संपिड़ित स्लेट की वस्तुएं”;

- (ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“180क	6807	एस्फाल्ट या वैसी ही सामग्री की वस्तुएं (उदाहरणार्थ पेट्रोलियम बिटुमिन या कोलतार पिच)
180ख	6808	वनस्पति फाइबर के, पुआल के या शेविंग प्रपट्ट, बोर्ड, टाइलें, ब्लॉक और वैसी ही वस्तुएं, काष्ठ के चिप्स, कर्ण बुरादा या अन्य अपशिष्ट जो सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बंधकों से संपीड़ित हैं
180ग	6809	प्लास्टर या प्लास्टर पर आधारित संमिश्रणों की वस्तुएं, जैसे बोर्ड, चादरें, पैनल, टाइल और वैसी ही वस्तुएं, जो अलंकृत नहीं हैं”;

- (iii) क्रम संख्या 181 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“सीमेंट, कांक्रीट या कृत्रिम प्रस्तर की वस्तुएं, चाहे प्रबलित हैं या नहीं ”;

- (iiii) क्रम संख्या 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“182क	6812	संविचरित एस्बेस्टस फाइबर ; एस्बेस्टस के आधार सहित या एस्बेस्टस और मैगनिशियम कार्बोनेट के आधार सहित मिश्रण; ऐसे मिश्रणों की या एस्बेस्टस की वस्तुएं (उदाहरणार्थ धागा, व्युत्तित फैब्रिक, वस्त्र, सिर के पहनावे, जूतादि, गैसकिट) चाहे
-------	------	---

		प्रबलित हैं या नहीं, शीर्ष 6811 या 6813 से भिन्न माल
182ख	6813	ब्रेक के लिए, क्लचों के लिए या उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए घर्षण सामग्री और उसकी वस्तुएं (उदाहरणार्थ चादर, रोल, पट्टीयां, खंड चक्रिका, वाशर, पैड) जो अनारूढ हैं, एस्बेस्टस, अन्य खनिज पदार्थ या सैलूलोस के आधार सहित हैं, चाहे टैक्स्टाइल या अन्य सामग्री से संयुक्त हैं या नहीं
182ग	6814	कर्मित अभ्रक और अभ्रक की वस्तुएं, जिनके अंतर्गत संपिड़ित या पुनःरचित अभ्रक हैं, चाहे वह कागज, पेपर बोर्ड या अन्य सामग्री के समर्थन आधार पर हैं या नहीं
182घ	6815	प्रस्तर या अन्य खनिज पदार्थों की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर की वस्तुएं और पीट की वस्तुएं हैं) जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [फलाईश ईटें, फलाईश ब्लॉक, फलाई श समुच्चय जिनमें फलाई श कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न]
182ड.	6901	सिलिकामय जीवाशमी अवचूर्ण की (उदाहरणार्थ काजेलगुर, ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट) या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी के ब्लॉक, टाइल और अन्य चीनी मिट्टी के माल";

(liv) क्रम संख्या 184 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"184क	6904	चीनी मिट्टी के फर्श ब्लॉक, आलंब भरक टाइलें और वैसी ही वस्तुएं
184ख	6905	चिमनी पॉट, काउल, चिमनी-आस्तर, स्थापत्य अलंकरण और अन्य चीनी मिट्टी के संनिर्माण माल";

(lv) क्रम संख्या 185 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"सिरामिक पाइप्स, कंड्रूट्स, गटरिंग्स और पाइप फिटिंग्स";

(lvi) क्रम संख्या 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"185क	6907	चीनी मिट्टी के फ्लैग और पैविंग, हर्थ या भित्ति टाइलें ; चीनी मिट्टी के मोजाइक क्यूब और वैसी ही वस्तुएं चाहे वे किसी
-------	------	---

		पृष्ठक पर हैं या नहीं ; फिनिशिंग सिरैमिक्स
185ख	6909	प्रयोगशाला, रसायनिक या अन्य तकनीकी उपयोग के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन ; चीनी मिट्टी की द्रोणी, टब और वैसी ही घानी, जो उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग कृषि में किया जाता है; चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
185ग	6910	चीनी मिट्टी की होदी, धावन कुंडी, धावन कुंडी की पीठिका, बाथ वेडेट, पन क्लार्जेट पैन, प्रधावन-होज, मूत्रदान और वैसे ही स्वच्छता फिक्सचर
185घ	6914	अन्य चीनी मिट्टी की वस्तुएं”;

(Ivii) क्रम संख्या 189 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“189क	7003	लवां कांच और वेल्लित कांच चादरों या प्रोफाइलों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
189ख	7004	कर्षित कांच और धर्मित कांच, चादरों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
189ग	7005	प्लव कांच और पृष्ठ घर्षित या पालिशकृत कांच, चादरों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
189घ	7006 00 00	शीर्ष सं0 7003, 7004 या 7005 का कांच, बक, किनाराकर्मित, उत्कीर्णित, प्रवेधित, एनेमलित या अन्यथा कर्मित, किंतु जिसे अन्य सामग्रियों के साथ फ्रेम किया गया या लगाया गया नहीं है
189ड.	7007	सुरक्षा कांच, जिसमें चर्मकलित (पायित) या पटलित कांच है रक्षा कांच, जिसमें चर्मकलित यित) या पटलित कांच हैपा
189च	7008	कांच की बहुभित्ति रोधी इकाई
189छ	7009	कांच के दर्पण, चाहे फ्रेम लगे हैं या नहीं, जिसके अंतर्गत पश्चदृश्य दर्पण है”;

(Iviii) क्रम संख्या 190 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“190क	7011	विद्युत लैंपों, केथोड-किरण ट्यूबों या ऐसे ही सामान के लिए कांच के आवरण (जिसके अंतर्गत बल्ब और ट्यूब हैं), खुले, ओर उनके कांच के भाग बिना फिटिंग के”;
-------	------	--

(lix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“191क	7014	संकेतन कांच के सामान और कांच के प्रकाशीय अवयव (उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं० 7015 के हैं) जो प्रकाशीय रूप से कर्मित नहीं हैं”;
-------	------	---

(Ix) क्रम संख्या 192 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“192क	7016	निपिड़ित या संचित कांच के फर्शी ब्लॉक, सिल्लियां, ईंटें, वर्ग, टाइलें या अन्य वस्तुएं; चाहे उनमें तार लगे हैं या नहीं, जो इस प्रकार की हैं जिनका उपयोग निर्माण या संनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया जाता है; जो डिजाइन या वैसे ही सजावटी प्रयोजनों के लिए कांचके धन और कांच के अन्य छोटे समान, चाहे वे पृष्ठक पर हैं या नहीं; सीसीयुक्त लाइट और वैसे ही सामान; बहु सेलुलर या फोम कांच, ब्लॉकों, प्रपटों, प्लेटों, खोलों या वैसे ही रूपों में”;
-------	------	---

(Ixi) क्रम संख्या 195 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“195क	7020	कांच की अन्य वस्तुएं [लैंपों और लालटेन के लिए कांच के खोलों, किरासिन बत्ती वाले लैंपों के लिए फाउंट, लैंपों और लालटेनों के लिए कांच की चिमनी]”;
-------	------	---

(Ixii) क्रम संख्या 235 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“स्टोव, रेंज, ग्रेटस, कुकर (जिसमें केन्द्रीय उष्मा के अनुषंगी बायलर भी हैं) बारबेक्यूस ; ब्रेजियर्स, गैस छल्ला, प्लेट गर्म करने वाली और समरूप कार्य व वस्तु और समरूप इलैक्ट्रिकल घरेलू वस्तुएं और पुर्जे, जो प्लेटें लौह या इस्पात की हैं [जो केरोसिन बर्नस, केरासिन स्टोब्स और उड बर्निंग स्टोब्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों]”;

(Ixi) क्रम संख्या 235 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“235क	7322	केन्द्रीयकृत उष्मण के लिए रेडिएटर, वैद्युत द्वारा उष्मित नहीं; और उनके लौह अथवा इस्पात के हिस्से पुर्जे; वायु उष्मक और उष्म वायु वितरक (इसमें ऐसे वितरक भी शामिल हैं जो ताजी वायु या कंडीशंड वायु का वितरण कर सकते हैं) जो कि वैद्युत द्वारा उष्मित नहीं हैं जिसमें मोटर चालित फैन अथवा ब्लोअर समाविष्ट हैं और उनके लौह अथवा इस्पात के हिस्से-पुर्जे”;
-------	------	--

(Ixiv) क्रम संख्या 236 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“236क	7324	लौह या इस्पात के स्वच्छता के सामान और उनके पुर्जे”;
-------	------	---

(I xv) क्रम संख्या 237 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“आयरन या स्टील के अन्य कास्ट आर्टिकल्स ”;

(Ixvi) क्रम संख्या 238 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“आयरन या स्टील के अन्य आर्टिकल्स ”;

(Ixvii) क्रम संख्या 252 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“252क	7418	सभी माल [तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं; बर्तनों, से भिन्न]”;
-------	------	---

(Ixviii) क्रम संख्या 253 में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“7419	ताम्र की अन्य वस्तुएं”;
-------	-------------------------

(Ixi) क्रम संख्या 262 में कालम (3) की प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रति:स्थापित किया जायेगा,-

"अनगढ़ा एल्युमीनियम";

(Ixx) क्रम संख्या 271 में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रति:स्थापित किया जायेगा,-

"7610	एलुमिनियम संरचना (शीर्ष सं0 9406 के पूर्व संविरचित निर्माण को छोड़कर) और संरचना के भाग (उदाहरणार्थ, पुल और पुल-परिच्छेद, टावर जालक मस्तूल, छतें, छत ढांचा, वलयालम्ब, खम्बा और स्तंभ) ; एलुमिनियम प्लेटें, छड़ें, प्रोफाइल नलिकाएं और वैसी ही वस्तुएं, जो संरचना में उपयोग के लिए तैयार की गई हैं";
-------	--

(Ixxi) क्रम संख्या 275 में कालम (3) की प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रति:स्थापित किया जायेगा,-

"स्ट्रैंड वायर्स, केबल्स, प्लेटिड बैंड और इसी प्रकार की वस्तुएं, जो एल्युमीनियम की बनी हों, इलेक्ट्रिकली इन्सूलेटिड न हों ";

(Ixxii) क्रम संख्या 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जायेगा,-

"275क	7615	सभी माल [एलमुनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं; बर्तनों, से भिन्न]";
-------	------	--

(Ixxiii) क्रम संख्या 301 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जायेगा,-

"301क	8212	रेजर तथा रेजर ब्लेड्स (पट्टी में रेजर,ब्लेड, ब्लैक सहित)";
-------	------	--

(Ixxiv) क्रम संख्या 302 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जायेगा,-

"302क	8214	कटलरी की अन्य वस्तुएं (उदाहरणार्थ, रोम प्रकर्तित्र, मांस विक्रेता के या रसोई के विदारक, प्रकर्तित्र और कीमाकरण छुरियां) नख प्रसाधन या पाद प्रसाधन सेट और यंत्र (जिसके अंतर्गत नखरेती है) [पेपर छुरियों, पेंसिल घड़ने वाले औजारों और उनके ब्लेडों से भिन्न]";
-------	------	--

(Ixxv) क्रम संख्या 303क में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रति:स्थापित किया जायेगा,-

"8302	आधार धातु के आरोपण, फिटिंगें और फर्नीचर, दरवाजों, सीढ़ियों, खिड़कियों, ब्लाइंडों, कोचवर्क, जीनसाजी, संदूखों, पेटियों, मंजूषा या वैसी ही वस्तुओं के लिए उपयुक्त ऐसी ही वस्तुएं, आधार धातु के हैट रैक, हैट खूंटी, ब्रेकेट और वैसी ही फिक्सचरों, आधार धातु के आरोपण सहित चूल पहिया, आधार धातु के स्वचालित द्वारबंद";
-------	---

(lxxvi) क्रम संख्या 303क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"303ख	8303	आधार धातु के कवचित या प्रबलित सेफ, तिजोरियां और तिजोरी कक्ष के लिए तिजोरी लाकर नकदी या विलेख बक्से और वैसी ही वस्तुएं
303ग	8304	शीर्ष सं0 9403 के कार्यालय फर्नीचर से भिन्न आधार धातु की फाइल कैबिनेट, कार्डइंडेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर-रेस्ट, पेन-ट्रे, कार्यालय स्टांप स्टैंड और वैसी ही कार्यालय या डैस्क उपस्कर
303घ	8305	आधार धातु के लूज लीफ बंधकों या फाइलों के लिए फिटिंगें, पत्र क्लिपें, पत्र कोने, कागज़ क्लिपों, इंडेक्स टैग और वैसा ही कार्यालय की वस्तुएं ; आधार धातु के स्ट्रिप्स में स्टेपिल (उदाहरणार्थ कार्यालयों, अपहोल्स्टरी, पैकेजिंग के लिए)";

(lxxvii) क्रम संख्या 307 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"307क	8310	शीर्ष सं0 9405 की वस्तुओं के अलावा आधार धातु के हस्ताक्षर पट्ट, नाम पट्ट, पता पट्ट और वैसी ही पट्ट, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक";
-------	------	--

(lxxviii) क्रम संख्या 316 में कालम (3) की प्रविष्टि में के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"टर्बोजेटस, टर्बो प्रोपुलर्स और अन्य गैस टरबाइन [एयरक्राफ्ट इंजन के अतिरिक्त]";

(lxxix) क्रम संख्या 317 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"317क	8413	कंक्रीट पंप [8413 40 00], अन्य घर्षी धनात्मक विस्थापन पंप [टैरिफ पद 8413 11 10]
317ख	8414	वायु या निर्वात पंप, वायु या अन्य गैस संपीडित्र ओर पंखे; संवातन या पुनःचक्रण छत्रक जो पंखा युक्त है, चाहे उनमें

		फिल्टर फिट किए गए हैं या नहीं[साइकिल पंप, अन्य हैंड पंप, साइकिल पंपों के वायु या निर्वात पंपों के भाग और कम्प्रेसर से भिन्न]";
--	--	--

(lxxx) क्रम संख्या 320 में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"8419	मशीनरी , संयंत्र या प्रयोगशाला उपकरण, चाहे वे इलेक्ट्रिक हीटिड हों या नहीं (शीर्ष 8514 के अंतर्गत आने वाले फर्नेस , ओवन और अन्य उपकरणों को छोड़कर, जो कि ऐसी प्रक्रिया में वस्तुओं के उपचार में प्रयोग होते हैं जिसमें उष्मन, कुकिंग, रोस्टिंग, डीस्टलिंग, रेक्ट्रीफाइन, स्टेयरीलाइजिंग, पास्चुराइजिंग, स्टीमिंग, ड्राइंग, वाष्पन, भापीकरण, संघनन या प्रशीनन के माध्यम से ताप में बदलाव लाने की जरूरत होती है, उन मशीनों या संयंत्रों से भिन्न जो घरेलू उपयोग की होती है; तात्कालिक या स्टोरेज वाटर हीटर , नान इलेक्ट्रिक[सौर जल तापित्र और प्रणाली से भिन्न]";
-------	---

(lxxxi)क्रम संख्या 324 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"भार तोलन मशीनरी(पांच सेंटीग्राम की संवेदनशीलता वाले या इससे बेहतर तुलाओं को छोड़कर), जिसमें वेट आपरेटिव काउंटिंग या चैकिंग मशीन भी शामिल हैं; सभी प्रकार के भार तोलन मशीनें ";

(lxxxii) क्रम संख्या 325 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

"मेकेनिकल उपकरण (चाहे वे हस्तचालित हों या नहीं, जो कि प्रोजेक्टिंग, डिसपसिंग या लिक्विड या पाउडर स्प्रेन के लिए हों; अग्निशामक, चाहे वे चार्ज हों या नहीं; स्प्रे गन्स और इसी प्रकार के उपकरण, स्टीम या सैंड प्लास्टिक मशीनें और इसी प्रकार की जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें[ड्रिप सिचाई उपकरण के नोजलस या स्पिंगलर के नोजल से भिन्न]";

(lxxxiii) क्रम संख्या 327 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"327क	8427	कांटा उत्कर्ष ट्रक; अन्य संकर्म ट्रक, जिनमें उत्कर्षण या प्रहस्त उपस्कर फिट किए गए हैं
327ख	8428	अन्य उत्कर्ष, प्रहस्तन, लदाई या उतराई मशीनरी (उदाहरणार्थ

		उत्कर्षित्र, चलसोपान, प्रवहणित्र, टेलीफैरिक)
327ग	8429	स्वनोदित बुलडोजर, ऐंगिल डोजर, ग्रेडर, समतलित्र, स्क्रैपर यांत्रिक शावल, उत्तखनित्र, शवल भरित्र, कुट्टन मशीनें और सड़क रोलर
327घ	8430	मिट्टीखनिजों या अयस्कों के लिए अन्य चल, ग्रेडन, समतलन, स्क्रैपन, उत्तखनन, कुट्टन,संहनन, निष्कर्षण या वेधन मशीनरी; स्थूणा चालक और स्थूणा-निष्कर्षित; हिमहल और हिम-ब्लोअर";

(lxxxiv) क्रम संख्या 335 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"प्रिंटिंग मशीनरी जो कि प्लेट्स के द्वारा प्रिंटिंग के काम आती हो, सिलेंडर और अन्य प्रिंटिंग घटक जो शीर्ष 8442 में आते हों; अन्य प्रकार प्रिंटर्स, कापिंग और फैक्स मशीनें, चाहे वे संयुक्त रूप से हों या नहीं; इनके कलपुर्जे और सहायक उपकरण;"

(lxxxv) क्रम संख्या 361 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,;-

"अन्य कार्यालीन मशीनें (उदाहरणार्थ हैक्ट्रीग्राफिया स्टेंसिल डप्लीकेटिंग मशीनें, एड्रसिंगमशीनें, आटोमैटिक बैंक डिस्पन्सर, काइन शार्टिंग मशीनें, काउन काउटिंग या रेपिंग मशीनें, पैन्सिल शार्पिंग मशीनें, परपफोरेटिंग या स्टैपलिंग मशीनें), [ब्रेल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक या नान इलेक्ट्रिक से भिन्न]";

(lxxxvi) क्रम संख्या 364 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"364क	8476	स्वचालित माल-विक्रय मशीनें (उदाहरणार्थ डाक महसूल स्टांप, सिगरेट, खाद्य या सुपेय मशीनें), जिनके अंतर्गत मनी चेंजिंग मशीन भी हैं";
-------	------	--

(lxxxvii) क्रम संख्या 365 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"365क	8478	तंबाकू निर्मित करने या बनाने के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं";
-------	------	---

(lxxxviii) क्रम संख्या 366 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"मशीनें और मशीनों के उपकरण जिनका कार्य एकल हो, जो कि इस अध्याय में और कहीं भी शामिल न किए गए हों [कम्पोस्टिंग मशीनों से भिन्न] ";

(lxxxix) क्रम संख्या 369क में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"सिलाई मशीनों के क्रैंक शाफ्ट, बेयरिंग कक्षिका और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग, गियर और गियरिंग; गोलिका या रोलर पेच";

(xc) क्रम संख्या 369 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"369 ख	8484	अन्य सामग्री के साथ संयोजित धातु शीटिंग के या धातु की दो या अधिक पर्तों के गेस्केट और वैसे ही जोड़; गेस्केट और वैसे ही जोड़ के सैट या प्रकीर्ण जिनकी संरचना एक समान नहीं है और जो थैलियों, लिफाफों या वैसे ही पैकिंग यांत्रिक सील में रखे गए हैं";
--------	------	--

(xci) क्रम संख्या 375 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स, स्टैटिक कन्वर्टरस(उदाहरणार्थ रेक्टिफायर्स) और इंडेक्टर्स";

(xcii) क्रम संख्या 376 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"376क	8506	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां
376ख	8512	इस प्रकार के विद्युत प्रकाश या संकेतन उपस्कर (जिनके अंतर्गत शीर्ष सं0 8539 की वस्तुएं नहीं हैं) विंडस्क्रीन वाइपर, वितुषारित्र और विकुहारित्र, जिनका उपयोग साइकलों या मोटरयानों के लिए किया जाता है
376ग	8513	सुबाहय विद्युत लैंप, जो अपने ही ऊर्जा स्रोत (उदाहरणार्थ शुष्क बैटरियों, संचायकों, मैग्नेटों) से कार्य करने के लिए अभिकल्पित हैं, शीर्ष 8512 के प्रकाश उपस्कर से भिन्न";

(xciii) क्रम संख्या 379 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,;-

"टेलीफोन सेट; ध्वनि, तस्वीर या अन्य डाटा, जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क (जैसे स्थानीय या व्यापक क्षेत्र नेटवर्क) में संचार के लिए साधित्र हैं, सहित पारेषण या प्राप्ति के लिए अन्य साधित्र, शीर्ष सं0 8443, 8525, 8527 या 8528 के पारेषण या प्राप्ति साधित्र से भिन्न [सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन और उनके विनिर्माण के लिए पुर्जे से भिन्न]";

(xciv) क्रम संख्या 380 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"माइक्रोफोन और उनके स्टैन्ड; लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवेष्टनों में आरूढ़ हैं या नहीं, हैंडफोन और ईयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ संयोजित हैं या नहीं और सैट, जिनमें माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर हैं";

(xcv) क्रम संख्या 380 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"380क	8519	ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण";
-------	------	--------------------------------------

(xcvi) क्रम संख्या 381 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"381क	8522	शीर्ष 8519 या 8521 के उपकरणों के साथ पूर्ण रूप से या प्रधानता उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन";
-------	------	---

(xcvii) क्रम संख्या 383 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"रेडियो प्रसारण या टेलिविजन के लिए पारेषण उपस्कर, चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि अभिलेखन अथवा पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं ; टेलिविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (सेना, पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों इत्यादि द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दो-तरफा रेडियो (वाकी-टाकी) से भिन्न);

(xcviii) क्रम संख्या 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"383क	8526	राडार उपकरण, रेडियो नौपरिवहन सहायक साधित्र और रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण
-------	------	---

383 ख	8527	रेडियो प्रसारण के लिए अभिग्रहण उपकरण, चाहे वे एक ही कक्षिका में ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त है या नहीं”;
-------	------	--

(xcix) क्रम संख्या 384 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“384क	8529	पुर्जे, जो शीर्ष 8525 से 8528 तक के उपकरणों के साथ पूर्णतः या प्रधानतः उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
384 ख	8530	रेल, ट्राम, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापनों या विमान क्षेत्रों के लिए विद्युत संकेतन, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8608 के हैं)
384 ग	8531	विद्युत ध्वनि या दृश्य संकेतन उपकरण, (उदाहरणार्थ घंटियों, साइरन, सूचक पैनल, चोर या अग्नि संकेतन) उनसे भिन्न, जो शीर्ष 8512 या शीर्ष 8530 के अंतर्गत हैं”;

(c) क्रम संख्या 388 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“388क	8536	विद्युत परिपथों के स्विचन या संरक्षण के लिए विद्युत परिपथों तक या उनमें संबंधन के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरणार्थ स्विच रिले, फ्यूज, प्रोत्कर्ष निरोधक, प्लग, साकेट, लैंप होल्डर और अन्य संबंधन, जंक्शन बाक्स) जो एक हजार वोल्ट्स से अनधिक वोल्टता के लिए हैं, प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन
388 ख	8537	विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण के लिए बोर्ड पैनल, कंसोल- कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें शीर्ष 8535 या 8536 के दो या अधिक साधित्र लगे हैं, जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या साधित्र समाविष्ट हैं और संख्या संबंधी नियंत्रण साधित्र, जो शीर्ष 8517 के स्वीचन साधित्र से भिन्न हैं”;

(ci) क्रम संख्या 390 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"इलेक्ट्रिक फिलामेंट या डिस्चार्ज लैम्पस, जिसमें सीड बीन लैम्प यूनिट्स और अल्ट्रावाइलेट या इन्फ्रा रेड लैम्पस भी आते हैं; आर्क लैम्पस(एल ई डी लैम्पस से भिन्न) ”;

(cii) क्रम संख्या 395 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"इन्सुलेटिड (इनामेलिड या इनोडाइस्ड समेत) वायर, केबल (जिसमें को एक्सल केबल भी शामिल है) और अन्य इन्सुलेटिड कनेक्टर, चाहे वे कनेक्टर से जुड़े हों या नहीं; ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि इंडूजवली सीथेड फाइबर से बने हों, चाहे या इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जुड़े हों या नहीं या कनेक्टर में फिट हों या नहीं";

(ciii) क्रम संख्या 396 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"कार्बन इलेक्ट्रोडस, कार्बन ब्रूशेस, लैम्प कार्बन, बैट्री कार्बन्स और ग्रेफाइट या अन्य कार्बन से बनी वस्तुएं, चाहे इनमें मेटल हो या नहीं, जो कि विद्युत उद्देशों के लिए प्रयोग किए जाते हों";

(civ) क्रम संख्या 397 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जायेगा,-

"397क	8547	विद्युत मशीनों, साधित्रों, उपस्करों के लिए विद्युतरोधी फिटिंगें, जो ऐसी फिटिंगें हैं, जो पूर्णतः विद्युतरोधी सामग्री हैं, किन्तु जो केवल समंजन के प्रयोजन के लिए संचन के दौरान जोड़े गए धातु की किन्हीं लघु घटकों (उदाहरणार्थ चूड़ीदार लाकेट) के अतिरिक्त हैं, शीर्ष 8546 के विद्युत रोधी से भिन्न, विद्युतरोधी सामग्री से आस्तारित आधार धातु के विद्युत कंड्यून्नलिका और उसके जोड़";
-------	------	---

(cv) क्रम संख्या 410 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;

(cvi) क्रम संख्या 411 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,;-

"नजर के चश्मे [उनसे भिन्न जो करेक्टिव हों]; धूपी चश्में जिसमें करेक्टिव विजन वाले धूपी चश्में भी शामिल हैं";

(cvii) क्रम संख्या 411 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जायेगा,-

"411क	9005	द्विनेत्री, एक नेत्री, अन्य प्रकाशिक दूरबीनों और उनके लिए आरोपण ; अन्य खगोलीय यंत्र और उनके लिए आरोपण किन्तु इसके अंतर्गत रेडियो खगोलीय यंत्र नहीं हैं
411ख	9006	फोटोचित्र (चलचित्र कैमरे से भिन्न) फोटोचित्रण, क्षणदीप

		उपकरण और शीर्ष 8539 के विसर्जन लैंपों से भिन्न फ्लैश बल्ब
411ग	9007	चलचित्र कैमरे और प्रक्षेपित्र, चाहे उनमें ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण है या नहीं
411घ	9008	प्रतिबिंब प्रक्षेपित्र, चलचित्रिय से भिन्न ; फोटोचित्र (चलचित्रिय से भिन्न) विवर्धित्र और अपचायित्र
411ङ	9010	फोटोचित्र (जिसके अंतर्गत चलचित्र भी हैं) प्रयोगशालाओं के लिए साधित्र और उपस्कर, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; नेगटोस्कोप ; प्रक्षेपण स्क्रीन
411च	9011	संयुक्त प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो फोटोसूक्ष्म चित्रण, सिनेमा फोटो सूक्ष्म चित्रण या सूक्ष्म प्रक्षेपण के लिए हैं
411छ	9012	प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से भिन्न सूक्ष्मदर्शी ; विवर्तन उपकरण
411ज	9013	द्रव क्रिस्टल युक्तियां, जिनमें ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जिनका उपबंध अन्य शीर्षों में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से किया गया है, लेसर डायोड से भिन्न लेसर ; ऐसे अन्य प्रकाशीय साधित्र और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
411झ	9014	दिक् निर्धारण कंपास ; अन्य नौ परिवहन यंत्र और साधित्र
411ञ	9015	सर्वेक्षण (जिसके अंतर्गत प्रकाशचित्रिय सर्वेक्षण भी है), जलराशिक, समुद्रविज्ञानीय, जलविज्ञानीय, मौसमविज्ञानीय या भू-भौतिकीय यंत्र और साधित्र ; जिनके अंतर्गत कंपास नहीं है ; परासमापी”;

(cviii) क्रम संख्या 412 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,;-

"पांच सेटीग्राम की संवेदनशीलता वाले या इससे बेहतर तुला, भार या बिना भार के ";

(cix) क्रम संख्या 413 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“413क	9022	उपकरण, जो एक्स किरण या एल्फा, बीटा, गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित है [उनसे भिन्न जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय उपयोगों के लिए हो], जिसके अंतर्गत रेडियोग्राफी या रेडियों चिकित्सा उपकरण, एक्स रे ट्यूब और अन्य एक्स रे जनित्र, उच्च विभव
-------	------	--

		जनित्र नियंत्रण पैनल और डेस्ट, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार मेजें, कुर्सियां और लाइट भी हैं
413ख	9023	यंत्र, उपकरण और माडल, जो प्रदर्शन प्रयोजनों, (उदाहरणार्थ शिक्षा या प्रदर्शनी) के लिए अभिकल्पित हैं, अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त हैं”;

(cx) क्रम संख्या 423 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“423क	9101	कलाई घड़ियां, जेब घड़िया और अन्य घड़ियां, जिनके अंतर्गत ऐसी विराम घड़ियां भी हैं, जिनके केस बहुमूल्य धातु के या बहुमूल्य धातु से अधिपट्टित धातु के हैं
423ख	9102	कलाई घड़ियां, जेब घड़िया और अन्य घड़ियां, जिनके अंतर्गत विराम घड़ियां भी हैं, उनसे भिन्न जो शीर्ष 9101 के अंतर्गत हैं” ;

(cxii) क्रम संख्या 424 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“424क	9104	यंत्र पैनल, बड़ी घड़ियां और यानों, वायुयानों, अंतरिक्षयानों या जलयानों के लिए उसी प्रकार की बड़ी घड़ियां”;
-------	------	--

(cxii) क्रम संख्या 425 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“425क	9106	दिन का समय, अभिलेखन साधित्र और समय के अंतरालों को मापने, अभिलिखित करने या अन्यथा उपदर्शित करने के लिए उपकरण, बड़ी घड़ियां या घड़ियों के संचलन तुल्य कालिक मोटर सहित (उदाहरणार्थ समय रजिस्ट्र, समय अभिलेखित्र)
425ख	9107	बड़ी घड़ियों या घड़ियों के संचलन सहित या तुल्यकालिक मोटर सहित टाइम स्विच
425ग	9108	घड़ियों के संचलन, पूर्ण और समंजित”;

(cxiii) क्रम संख्या 427 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"अन्य प्रकार की दीवार घड़ी या कलाई घड़ियों के कलपुर्जे";

(cxiv) क्रम संख्या 428 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

"पूर्ण कलाई घड़ी या कलाक मूवमेंटस, अनअसेम्बलड या पार्टली असेम्बलड(मूवमेंटस सेटस); अपूर्ण कलाई घड़ी या कलाक मूवमेंटस, असेम्बलड; रफ वाच या कलाक मूवमेंटस";

(cxv) क्रम संख्या 428 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“428क	9111	घड़ियों के केस और उनके पुर्जे”
-------	------	--------------------------------

(cxvi) क्रम संख्या 429 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;-

“घड़ी के केस और इस अध्याय की अन्य वस्तुओं के लिए केस, और उनके पुर्जे”;

(cxvii) क्रम संख्या 429 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“429क	9113	घड़ी का स्ट्रेप, घड़ी पट्टे और घड़ी ब्रेसलेट तथा उनके पुर्जे
429ख	9201	अन्य घड़ियों के पुर्जे
429ग	9202	पियानो, जिनके अंतर्गत स्वचालित पियानोहैं, हार्पसीकार्ड और अन्य कुंजी फलक तंत्री यंत्र
429घ	9205	अन्य तंत्री वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ गिटार, वायलिन, हार्प)
429ङ	9206 60 00	सुषिर वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ कुंजी पटल पाइप आर्गन, अकार्डियन, क्लेरिनेट, तुरही, मशकबीन) फेयर ग्राउंड आर्गन और यांत्रिक स्ट्रीट आर्गन से भिन्न
429च	9207	आद्यात वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ ड्रम, काष्टतरंग, झांझ, करताल, मैराक)
429छ	9208	वाद्य यंत्र जिनकी ध्वनि विद्युत से उत्पादित की जाती है या प्रवर्धित की जानी चाहिए (उदाहरणार्थ आर्गन, गिटार, अकार्डियन)
429ज	9209	संगीत पेटी, फेयर ग्राउंड आर्गन, यांत्रिकी स्ट्रीट आर्गन, यांत्रिकी सिंगिंग बर्ड, म्यूजिकल सास या और अन्य वाद्य यंत्र, जो इस

		अध्याय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, सभी प्रकार के डिकाय काल ; सीटी, काल हार्न और मुख से बजाए जाने वाले अन्य ध्वनि संकेती यंत्र”;
--	--	---

(cxviii) क्रम संख्या 435 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

435क	9401[9401 10 00 से भिन्न]	सीटें (उनसे भिन्न जो शीर्ष 9402 की हैं) चाहे वे शैय्या में संपरिवर्तनीय हैं या नहीं, और उनके पुर्जे[एयरक्राफ्ट सीट्स से भिन्न]
------	---------------------------	--

(cxix) क्रम संख्या 437 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“अन्य फर्नीचर और उसे पुर्जे[पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर से भिन्न]”;

(cxx) क्रम संख्या 438 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“गद्दे के आलम्ब, बिछाने की वस्तुएं और वैसे ही साज-सामान (उदाहरणार्थ गद्दे, रजाइयां, ईडर कोमलपिच्छ, गद्दियां, पफ और तकिए) जिनमें स्प्रिंग लगे हैं या जो किसी सामग्री से भारित या आंतरिक रूप से सज्जित हैं या कोशिकीय रबड़ अथवा प्लास्टिक के हैं, चाहे वे आच्छादित हैं या नहीं [कायर उत्पाद, (कायर गद्दे को छोड़कर), गद्दे के टैक्सटाइल सामग्री से बने हुए उत्पाद या रुई वाली रजाइयां से भिन्न]”;

(cxxi) क्रम संख्या 438 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“438क	9405	लैंप और प्रकाश फिटिंगे, जिनके अंतर्गत सर्चलाइट और स्पाट लाइट और उनके पुर्जे भी हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; प्रदीप्त चिह्न, प्रदीप्त नाम पट्ट और वैसी ही अन्य वस्तुएं जिनमें स्थायी रूप से लगे हुए प्रकाशस्रोत हैं और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं[कैरोसीन दबाव लैन्टर्न और गैस धातु सहित कैरोसीन दबाव लैन्टर्न के पुर्जे; हेरीकेन लालटेन, कैरोसीन लैम्प, पेट्रोमैक्स, कांच की चिमनी, और इन सभी के पुर्जे; एलईडी लाइट और फिक्चर, जिसमें एलईडी लैंप भी हैं; एलईडी (लाइट इमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीडी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड), से भिन्न]”;
-------	------	---

(cxxii) क्रम संख्या 440 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“440क	9505	उत्सव, कर्निवाल या अन्य मनोरंजन वस्तुएं, जिनके अंतर्गत इन्द्रजालिक कौशल और अनूठे परिहास भी हैं”;
-------	------	--

(cxxiii) क्रम संख्या 441 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स के लिए वस्तुएं और उपस्कर, तरण ताल और पेडलन ताल [खेल के सामान से भिन्न]”;

(cxxiv) क्रम संख्या 441 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“441क	9508	चक्कर, झूले, निशानेबाजी, दीर्घाएँ और अन्य मेला स्थल (चल सर्कस और चल प्राणिशालाओं से भिन्न)
441ख	9602	कर्मित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं ; मोम की स्टीएरिन की, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन की या प्रतिरूपण पेस्टों की संचित या नक्काशीकृत वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, कर्मित, अकठोरकृत जिलेटिन (शीर्ष सं0 3503 की जिलेटिन को छोड़कर) और अकठोरकृत जिलेटिन की वस्तुएं”;

(cxxv) क्रम संख्या 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“448क	9611	तारीख, मुद्रांकन या संख्यांकन स्टांप, और वैसी ही वस्तुएं (जिनके अंतर्गत लेबलों के मुद्रण या समुद्रभरण के लिए युक्तियां भी हैं) जो हस्तचालन के लिए अभिकल्पित हैं; हस्तचालित कम्पोजन स्टिक और ऐसी कम्पोजन स्टिकों को समावेशित करने वाले हस्तमुद्रण सेट”;
-------	------	--

(cxxvi) क्रम संख्या 449क में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या वैद्युत हैं या नहीं और उनके पुर्जे, फिल्ट या बत्ती से भिन्न”;

(cxxvii) क्रम संख्या 449क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,-

“449ख	9617	निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण; उनके पुर्जे, कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न
449ग	9618	दर्जी की डमी और अन्य पुतले ; दुकान की खिड़की की सजावट के लिए उपयोग किए जाने वाले मानवचारी यंत्र और अन्य चेतन प्रदर्शन”;

(cxxviii) क्रम संख्या 452ण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा

“452त	कोई अध्याय	सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना”;
-------	------------	--

(घ) अनुसूची-IV-14% में,-

- (i) क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 46 में, कालम (3) में शब्द और कोष्ठक “[उनसे भिन्न, जिनका उपयोग बाईसाइकिल और साइकिलरिक्षा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्षा में किया जाता है; और ट्रैक्टर के पिछले टायर ट्यूब]” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक “[बाईसाइकिल और साइकिल रिक्षा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्षा टायर; ट्रैक्टर के टायर; एयर क्राफ्ट टायर से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 114 में, कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जायेगा , यथा:-

- “स्पार्क -इग्निशियन रेसी प्रोकेटिंग या रोटरी इंटरनल कम्बशन पिस्टन इंजन [एयर क्राफ्ट इंजन से भिन्न]”;
- (v) क्रम संख्या 117 में , कॉलम (3) में शब्द, अंक और कोष्ठक “ कंक्रीट पंप [8413 40 00], अन्य घर्णी धनात्मक विस्थापन पंप [8413 60] [टैरिफ पद के अंतर्गत आने वाले 8413 हैंडपंपों से भिन्न 11 10] को लोप किया जाएगा ;
- (vi) क्रम संख्या 118 , 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा ;
- (vii) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिको प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
“संचारण शाफ्ट (जिनके अंतर्गत कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट हैं) और क्रैंक(सिलाई मशीन के क्रैंक, शाफ्टस से भिन्न); गियर बॉक्स और अन्य गति परिवर्तित जिनके अंतर्गत वलाघूर्ण संपरिवर्तित्र है; गति पालक चक्र और घिनों, जिनके अंतर्गत घिनी ब्लॉक हैं, क्लच और शाफ्ट युग्मक (जिनके अंतर्गत सार्विक जोड़ है) “;
- (viii) क्रम संख्या 136, 137, 138 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;
- (ix) क्रम संख्या 141 में , कॉलम (3) में , शब्द और अंक “ शीर्ष 8508” के पश्चात् , शब्द और कोष्ठक “ [गीली पिसाई की चक्की जिसमें पिसाई पत्थर के साथ की जाती है] को अंतःस्थपित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 144, 145 , 147, 148, 149, 150 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;
- (xi) क्रम संख्या 151 में कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-
“अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (सीसी टीवी से भिन्न)”;
- (xii) क्रम संख्या 152,153 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा ;
- (xiii) क्रम संख्या 154 में , कॉलम (3) में शब्दों “से भिन्न” के स्थान पर शब्दों “और सैट टाप वाक्स जो टैलीविजन के लिए हैं से भिन्न” को अंतःस्थपित किया जायेगा;
- (xiv) क्रम संख्या 155 , 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 , 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;
- (xv) क्रम संख्या 216, 217, 218, 220, 221, 222 , 225, 226 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;
- (xvi) क्रम संख्या 228 में कॉलम (2) में प्रविष्टि “-“के स्थान पर प्रविष्टि “कोई भी अध्याय” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ड.) अनुसूची -V-1.5 % में , क्रम संख्या 13 में शब्द "मूल्यवान धातुओं से मेटल क्लेड" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक " मूल्यवान धातुओं से मेटल क्लेड [लाख/शेलाक की चूड़ियों से भिन्न]"को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(च) स्पष्टीकरण में , उपवाक्य (ii) में, उप खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा -

" (ख) पंजीकृत ब्रांड" नेम से अभिप्राय -

(क) ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात् पंजीकृत किसी ब्रांड नेम से है चाहे इस ब्रांड को बाद में विपंजीकृत किया गया हो या नहीं;

(ख) कापी राइट एक्ट , 1957 (1957 का 14) के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात् पंजीकृत ब्रांड नेम से है;

(ग) देश में तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात् पंजीकृत किसी ब्रांड नेम से है";

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 34/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1283(अ), दिनांक 13 अक्टूबर सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 42/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

(i) for S. Nos. 8 and 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled
9	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I”];

(ii) S. Nos. 10,11,12,13,14,15,16,17 and the entries thereof shall be omitted;

(iii) for S. Nos. 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“21	0304, 0306, 0307, 0308	All goods, fresh or chilled
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	All goods [other than fresh or chilled] and other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]” ;

(iv) S. Nos. 23,24 and the entries thereof shall be omitted;

(v) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“30A	0504	All goods, fresh or chilled
30B	0504	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]” ;

(vi) after S. No. 43 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen, other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]” ;
------	------	---

(vii) in S. No. 46, in column (3), for the words “fresh or chilled” the words “fresh or chilled, dried” shall be substituted;

(viii) after S. No. 46 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“46A	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]
46B	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled [other than those put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”;

(ix) in S. No. 77, in the entry in column (3), for the words “Flour of potatoes” the words “Flour, powder, flakes, granules or pellets of potatoes”, shall be substituted;

(x) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“78A	1106 10 10	Guar meal” ;
------	------------	--------------

(xi) after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“87A	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets” ;
------	------------	--

(xii) after S. No. 93 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“93A	1404 90 60	coconut shell, unworked”;
------	------------	---------------------------

(xiii) in S. No. 94, for the entry in column 3, the entry “Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery; Khandsari Sugar” shall be substituted;

(xiv) in S. No. 103, for the entry in column (3), the entry “Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water”, shall be substituted;

(xv) after S. No. 103 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“103A	26	Uranium Ore Concentrate”;
-------	----	---------------------------

(xvi) after S. No. 136 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“136A	7113	Bangles of lac/ shellac”;
-------	------	---------------------------

(2) in the Explanation, in clause (ii), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

(b) The phrase “registered brand name” means, -

(A) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(C) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under any law for the time being in force in any other country.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F.No.354/320/2017-TRU]

(Mohit Tewari)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 35/2017-Central Tax(Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 1284 (E), dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 42/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, 14 तारीख नवंबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 674(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था मैं और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(1) सूची में,-

(i) क्रम संख्या 8 और 9 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

“8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
9	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से

		परित्याग कर दिया गया हो] ";
--	--	-----------------------------

(ii) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा ;

(iii) क्रम संख्या 21 और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

“21	0304, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(iv) क्रम संख्या 23, 24 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;”

(v) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

“30क	0504	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
30ख	0504	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

		(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";
--	--	--

(vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

"43क	0710	वनस्पतियां (बिना पकाई गई या भापन या पानी में उबाल कर पकाई गई), हिमशीतित उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";
------	------	---

(vii) क्रम संख्या 46 के स्तंभ (3) में, शब्दों "ताजा, द्रुतशितित" के स्थान पर शब्दों "ताजा, या द्रुतशितित, शुष्क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 46 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

"46क	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इन्लिन की मात्रा अधिक है, हिमशीतित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के
------	------	--

		ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]
46ख	08	शुष्कित मखाना, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(ix) क्रम संख्या 77 के स्तंभ (3) में, शब्दों "आलू का आटा" के स्थान पर शब्दों "आलू का आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

"78क	1106 10 10	ग्वार अवचूर्ण";
------	------------	-----------------

(xi) क्रम संख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

"87क	1210 10 00	हाप कोन, जो दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में नहीं है";
------	------------	--

(xii) क्रम संख्या 93 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

"93क	1404 90 60	नारियल कवच, अकर्मित";
------	------------	-----------------------

(xiii) क्रम संख्या 94 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़), पालमिरा गुड़ सम्मिलित है; खांडसारी चीनी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 103 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि “नमक (टेबल नमक और विकृत नमक) और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल या नहीं, या एंटी-केक या मुफ्त फ्लोइंग एजेंट युक्त; समुद्र जल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:, यथा:-

“103क	26	यूरेनियम ओर कॉन्सैंट्रेट”;
-------	----	----------------------------

(xvi) क्रम संख्या 136 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:, यथा:-

“136क	7113	लाख या शलक लाख की चूड़ियाँ”;
-------	------	------------------------------

(2) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ख) “पंजीकृत ब्रांड नाम” वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड”

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा सं.354/320/2017-(टीआरयू)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना सं0 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा0का0नि0 674

(अ) तारीख 28 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड

(i) द्वारा अधिसूचना सं. 35/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 सा.का.नि. 1284

(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा किया गया था ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 43/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“4A.	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person”.
------	------	------------	---------------	-------------------------

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F. No. 354/320/2017- TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to Government of India

Note: - The principal notification No.4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 36/2017-Central Tax(Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1285 (E), dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं 43/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 676(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति”;
-----	------	------------	-------	----------------------------

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/320/2017-(टीआरयू)]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 4/2017 -केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा0का0नि0 676(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2017 केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे साकानि 1285 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 44/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.5/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 677(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for Sl. No. 6A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

“6A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B	5801	Corduroy fabrics
6C	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F.No.354/320/2017-TRU]

(Mohit Tewari)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.5/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 677(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 29/2017-Central Tax(Rate) dated 22nd September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1191(E), dated the 22nd September, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 44/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा०का०नि० (अ)-केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा०का०नि० 677 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉर्डरॉय फेब्रिक

6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक,शीर्ष सं .5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (क्सबोल्ड)“।
-----	------	--

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा0 सं0.354/320/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 5/2017-केन्द्रीयकर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 677(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (I) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2017 केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 22 सितम्बर, 2017, जिसे साकानि 1191 (अ) दिनांक 22 सितम्बर, 2017के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

Notification No. 45/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, from the so much of the central tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount calculated at the rate of 2.5 per cent., when supplied to the institutions specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table-

Table

S. No.	Name of the Institutions	Description of the goods	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Public funded research institution other than a hospital or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a National Institute Technology/ Regional Engineering College	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in financial year.	(i) The goods are supplied to or for – (a) a public funded research institution under the administrative control of the Department of Space or Department of Atomic Energy or the Defence Research Development Organisation of the Government of India and such institution produces a certificate to that effect from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union Territory in the concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; or (b) an institution registered with the Government of India in the

			Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; (ii) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (iii) In the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
2.	Research institution, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	(1) The institution is registered with the Government of India in the Department of Scientific and Research, which- (i) produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the head of the institution, in each case, certifying that the said goods are essential for research purposes and will be used for stated purpose only; (ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for

			research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals. (2) The goods falling under (1) above shall not be transferred or sold by the institution for a period of five years from the date of installation.
3.	Departments and laboratories of the Central Government and State Governments, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	(i) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
4.	Regional Cancer Centre (Cancer Institute)	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches.	(i) The goods are supplied to the Regional Cancer Centre registered with the Government of India, in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; (ii) the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes

			only; (iii) in case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
--	--	--	---

Explanation. - For the purposes of this notification, the expression, -

(a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per-cent. of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;

(b) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes -

(i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a deemed University for the purposes of this Act;

(ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;

(iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;

(c) "Head" means -

(i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);

(ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);

(iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);

(d) "hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F. No. 354/320/2017-TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to Government of India

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं0 45/2017-केन्द्रीय कर(दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा.का.नि. (अ).. केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017(2017का 12) (इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उन पर लगाए गए केंद्रीय कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक होते हैं बशर्ते की उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों-

सारणी

क्रम सं.	संस्थानों का नाम	वस्तुओं का विवरण	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक कोष से सहायता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर या राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जो अस्पताल से भिन्न हों।	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्ज, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का	(i) इन वस्तुओं की आपूर्ति निम्नलिखित को या के लिए की जाती हो - (क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान विभाग संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अनुसंधान संस्थान जिनको सार्वजनिक कोष से वित्त पोषित किया जाता हो और ऐसा संस्थान कम से कम उप सचिव, भारत

		सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।	सरकार या उप सचिव, राज्य सरकार या उप सचिव, संघ राज्य के स्तर के अधिकारी, संबंधित विभाग से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; या (ख) कोई संस्थान जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; (ii) ऐसा संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक मामले में संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे की उक्त माल की जरूरत अनुसंधान के उद्देश्य के लिए है; (iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और
--	--	---	--

			निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।
2.	अस्पताल से भिन्न अनुसंधान संस्थान	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्ज, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।	(1) ऐसे संस्थान जो भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो; जोकि - (i) आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा; (ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो। (2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संस्थान के द्वारा स्थापित किए जाने के 5 वर्ष की अवधि तक न तो स्थानांतरित किया जाएगा न ही बेचा जाएगा।
3.	केंद्र सरकार और राज्य	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी	(i) यह संस्थान, आपूर्ति के समय

	सरकारों के विभाग और प्रयोगशालाएं, अस्पताल से भिन्न	उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्ज, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।	आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा; (ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।
4.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर (कैंसर संस्थान)	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्ज, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;	(i) ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को की जा रही हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; (ii) यह संस्थान, आपूर्ति के समय

			आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है; (iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।
--	--	--	---

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति -

(क) "सार्वजनिक कोष से पोषित वित्त संस्थान" से अभिप्राय ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिनके व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता हो;

(ख) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिनकी स्थापना या निगमन किसी केंद्र राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो और इसमें शामिल हैं -

(i) ऐसा कोई संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;

- (ii) ऐसा कोई संस्थान जिसे संसद के द्वारा किसी कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया हो;
- (iii) कोई कालेज जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जाता हो या उससे संबद्ध हो;
- (ग) "प्रमुख" से अभिप्राय-
- (i) किसी संस्थान के मामले में उसके निदेशक से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (ii) किसी विश्वविद्यालय के मामले में उसके रजिस्ट्रार से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (iii) किसी कालेज के मामले में उसके प्रधानाचार्य से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (घ) "अस्पताल" में शामिल है ऐसे कोई भी संस्थान, सेंटर, न्यास, समिति, संघ, प्रयोगशाला या मैटरनिटी होम जो कि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक सेवा प्रदान करते हों।
2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

(रुचि विष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 46/2017-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), in item (vi), for the words “Services provided”, the words “Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, provided” shall be substituted;

(ii) against serial number 7,-

(a) for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> “declared tariff” includes charges for all	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].”;

amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		
--	--	--

(b) for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	9	”;

(c) the item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), shall be omitted;

(d) in item (ix), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“(ix) Accommodation, food and beverage services other than (ii), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) above.

Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for

cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent shall attract central tax @ 2.5% without any input tax credit under item (i) above and shall not be levied at the rate as specified under this entry.”;

(iii) against serial number 26, in column (3), in item (i), after sub-item (h), the following shall be inserted, namely: -

‘(i) manufacture of handicraft goods.

Explanation. - The expression “handicraft goods” shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -Central Tax, dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017 as amended from time to time.’.

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

[F. No.354/173/2017 -TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 11/2017 - Central Tax(Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 31/2017-Central Tax (Rate) dated the 13th October, 2017 vide number G.S.R. 1273(E), dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारतसरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 46/2017-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीयमाल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. संख्या 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द "की गई हो" के स्थान पर "की गई केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 7 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) की मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(i) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें);

पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाच सौ रुपये और इससे अधिक हो या समकक्ष । <i>स्पष्टीकरण:-</i> “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		
---	--	--

(ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो,	9	”;

और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाच सौ रुपये और इससे अधिक हो या समकक्ष । <i>स्पष्टीकरण.-</i> “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		
--	--	--

(ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;

(घ) मद (ix) में, कॉलम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“(ix) आवास , भोजन ओर पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न हों ।

स्पष्टीकरण.- किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एतत् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि

ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ रुपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ।”

(iii) क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“(झ) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

स्पष्टीकरण- “हस्तशिल्प वस्तुओं” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 32/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर 2017, जिसे सा.का.नि. 1158(अ), दिनांक 15 सितंबर 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।”

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं.354/173/2017 -टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना को 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 31/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर 2017, सा.का.नि. 1273(अ) दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION
3, SUB-SECTION (i)]
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No.47/2017- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 11A, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

“Service provided by Fair Price Shops to Central Government, State Government or Union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System against consideration in the form of commission or margin.”;

(b) the serial number 11B and the entries relating thereto, shall be omitted;

(c) after serial number 79 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“79A	Heading 9996	Services by way of admission to a protected monument so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of 1958) or any of the State Acts, for the time being in force	Nil	Nil”.

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

[F. No.354/173/2017 -TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.32/2017 - Central Tax (Rate) dated the 13th October, 2017 *vide* number G.S.R. 1274(E). dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 47/2017- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम सं. 11क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।";

(ख) क्रम सं. 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79क	शीष 9996	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं"।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं.354/173/2017 -टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना को 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 32/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर 2017, सा.का.नि. 1274(अ) दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 1/2018-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), -

(A) in item (iv),-

(I) for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -

‘(c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ redevelopment of existing slums using land as a resource, under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;

(II) after sub-item (d), the following sub-items shall be inserted, namely: -

‘(da) a civil structure or any other original works pertaining to the “Economically Weaker Section (EWS) houses” constructed under the Affordable Housing in partnership by State or Union territory or local authority or urban development authority under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);

(db) a civil structure or any other original works pertaining to the “houses constructed or acquired under the Credit Linked Subsidy Scheme for Economically Weaker Section (EWS)/ Lower Income Group (LIG)/ Middle Income Group-1 (MIG-1)/ Middle Income Group-2 (MIG-2)” under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);”;

- (III) after sub-item (f), the following sub-items shall be inserted, namely: -
 “(g) a building owned by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which is used for carrying out the activities of providing, centralised cooking or distribution, for mid-day meals under the mid-day meal scheme sponsored by the Central Government, State Government, Union territory or local authorities.”;

(B) in item (v),

- (I) in sub-item (a), for the word “excluding”, the word “including” shall be substituted;

- (II) after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(da) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in an affordable housing project which has been given infrastructure status vide notification of Government of India, in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide F. No. 13/6/2009-INF, dated the 30th March, 2017;”;

(C) for item (ix) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ix) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (iii) or item (vi) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	6	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(x) Composite supply of works	2.5	Provided that where the services are

contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (vii) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.		supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(xi) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(xii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) above.	9	-”;

- (b) against serial number 9, in the entry in column (3), in item (v), for the words “natural gas”, the words and brackets “natural gas, petroleum crude, motor spirit (commonly known as petrol), high speed diesel or aviation turbine fuel” shall be substituted;
- (c) against serial number 10, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (d) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“16	Heading 9972	(i) Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to governmental authority or government entity, by way of lease of land.	Nil	-
		(ii) Supply of land or undivided share of land by way of lease or sub lease where such supply is a part of composite supply of construction of flats, etc. specified in the entry in column (3), against serial number 3, at item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi). Provided that nothing contained in this entry shall apply to an amount charged for such lease and sub-lease in excess of one third of the total amount charged for the said composite supply. Total amount shall have the same meaning for the purpose of this proviso as given in paragraph 2 of this notification.	Nil	-
		(iii) Real estate services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (e) against serial number 17, for item (vii) in column (3), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) above.	Same rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods.	-”;

- (f) in serial number 23, against item (i) in column (3), in condition 1 in column (5), after the words “supplying the service”, the words and brackets “, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. tour operator service procured from another tour operator)” shall be inserted;
- (g) against serial number 23, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Support services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (h) against serial number 24,-
- (A) in the *Explanation* to item (i) in column (3), in clause (i), after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
- “(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;
- (B) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Service of exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both.	6	-
(iii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution other than (ii) above.	9	-”;

- (i) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	Heading 9987	(i) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has

		registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.		not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
		(ii) Maintenance, repair and installation (except construction) services, other than (i) above.	9	-”;

(j) against serial number 26, in column (3),-

(A) in item (i), after sub-item (e), the following sub-item shall be inserted, namely: -
“(ea) manufacture of leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) respectively;”;

(B) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Tailoring services.	2.5	-
(iv) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i), (ia), (ii), (iia) and (iii) above.	9	-”;

(k) for serial number 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	Heading 9994	(i) Services by way of treatment of effluents by a Common Effluent Treatment Plant.	6	-
		(ii) Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services other than (i) above.	9	-”;

(l) against serial number 34, in column (3),-

(A) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to amusement parks including theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting and ballet.	9	-
(iiia) Services by way of admission to entertainment events or access to	14	-”;

amusement facilities including exhibition of cinematograph films, casinos, race club, any sporting event such as Indian Premier League and the like.		
--	--	--

(B) in item (vi), after the brackets and figures “(iii)”, the brackets and figures “(iiia),” shall be inserted;

(ii) for paragraph 2, the following shall be substituted, namely: -

“2. In case of supply of service specified in column (3), in item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi), against serial number 3 of the Table above, involving transfer of land or undivided share of land, as the case may be, the value of such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of transfer of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of such transfer of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

Explanation. –For the purposes of this paragraph, “total amount” means the sum total of,-

(a) consideration charged for aforesaid service; and

(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be including by way of lease or sublease.”.

[F. No.354/13/2018-TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 11/2017 - Central Tax(Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 46/2017-Central Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 *vide* number G.S.R. 1405(E), dated the 14th November, 2017.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/2018- केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि.....(अ) - केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (iv) में,-

- (i) उप मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
“(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मलिन बस्तियों का स्व:स्थानिक पुनर्विकास;”;
- (ii) उप मद (घ) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
“(घक) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य/स्थानीय प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भागीदारी के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित आवासों से संबंधित हो;

(घख) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-1)/मध्यम आय वर्ग-2 (एमआईजी-2) से संबंधित क्रेडिट लिंक सिब्सडी स्कीम के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों से संबंधित हो”;

- (iii) उप मद (च) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 “(छ) ऐसा भवन जो कि ऐसे किसी निकाय के स्वामित्व में हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिसका प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को प्रदान करने, केन्द्रीय रूप से तैयार करने या उसका वितरण करने के कार्य में किया जाता हो,”

ख. मद (v) में,

- (i) उप मद (क) में “छोड़कर” शब्द के स्थान पर “समेत” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
 (ii) उप मद (घ) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा,
 “(घक) किसी एफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सस्ते मकान जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर प्रति मकान हो जिनको भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग की अधिसूचना, फाइल संख्या 13/6/2009-आईएनएफ, दिनांक 30 मार्च, 2017 के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया गया हो”;

ग. मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, कॉलम (3), (4) और (5) में, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ix) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (iii) या (vi) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य	6	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा

या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो ।		सौंपा गया हो ।
(x) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (vii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो	2.5	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो ।
(xi) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है ।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो । [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(xii) निर्माण सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) से भिन्न हों ।	9	-”;

(ख) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (v) में “प्राकृतिक गैस” शब्दों के स्थान पर “प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), हाई स्पीड डीजल या एविएशन ट्रबाईन फ्यूल” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) माल का परिवहन करने वाले	2.5	बशर्ते कि माल (जहाज, जलयान,

जलयानों का टाइम चार्टर		जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, से पृथक) पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा, उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न ।	9	-”;

(घ) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“16	शीर्ष 9972	(i) भूमि को पट्टे पर दिए जाने के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को दी जाने वाली सेवाएं ।	शून्य	-
		(ii) पट्टे या उप पट्टे के आधार पर किसी भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से की आपूर्ति जहां कि ऐसी आपूर्ति मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद (ग) में क्रम संख्या 3 के समक्ष प्रविष्टि के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट फ्लैटों आदि के निर्माण की संयुक्त आपूर्ति का एक हिस्सा है । बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे पट्टे या उप-पट्टे पर भारित उस किसी राशि पर लागू नहीं होगी जो कि उक्त संयुक्त आपूर्ति पर भारित कुल राशि के एक तिहाई से अधिक हो । इस परन्तुक के संदर्भ में “कुल राशि” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए इस अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में दिया गया है ।	शून्य	-
		(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) से पृथक रीएल एस्टेट सेवाएं	9	-”;

- (ड) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (vii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि ऐसे माल (जो कि जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, में लदे सामानों से पृथक) इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(viii) पट्टा या किराए की सेवाएं चाहे आपरेटर सहित हों या नहीं, जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) से पृथक हैं ।	केन्द्रीय कर की वही दर जो कि इसी प्रकार के माल, जिसमें माल के स्वामित्व का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लागू हो ।	-”;

- (च) क्रम संख्या 23 के समक्ष शर्त 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (i) से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टि में, “सेवाओं की आपूर्ति”, शब्दों के पश्चात “,इसी प्रकार के व्यापार (जैसे कि किसी अन्य दूर आपरेटर से ली गई दूर आपरेटर सेवा) में इनपुट सेवाओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट से भिन्न” को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

- (छ) क्रम संख्या 23 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित

आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है ।		इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो । [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) समर्थन सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न हों ।	9	-”;

(ज) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3),-

(i) के मद (i) की प्रविष्टि में दिए गए स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (i) में उप उपवाक्य (छ) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयर हाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवा;”;

(ii) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) कच्चे पेट्रोलियम और/या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, खनन या ड्रीलिंग की सेवा	6	-
(iii) खनन, विद्युत, गैस और जल संवितरण की सहायक सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii) से भिन्न हों ।	9	-”;

(झ) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	शीर्ष 9987	(i) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है ।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो । [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) देखभाल, मरम्मत और संस्थापन सेवाएं (निर्माण कार्य को छोड़कर), उपर्युक्त (i) से भिन्न ।	9	-”;

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष कॉलम (3) में,-

क. मद (i) उप मद (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ड.क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 में आने वाले क्रमशः चमड़े के सामानों या फुटवियर का विनिर्माण;”;

ख. मद (iii) के स्थान पर और उससे संबंधित (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) टेलरिंग सेवाएं	2.5	-
(iv) दूसरे के स्वामित्व में आने वाले भौतिक वस्तुओं (सामानों) के विनिर्माण की सेवाएं, उपर्युक्त (i), (i), (ii), (ii) और (iii) से भिन्न।	9	-”;

(ट) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	शीर्ष 9994	(i) कॉमन ईफ्ल्येंट प्लांट के द्वारा उत्सर्जनों के परिशोधन की सेवाएं	6	-
		(ii) सिवेज और कचड़ों का संकलन, उनका परिशोधन और निपटान तथा अन्य पर्यावरण रक्षक सेवाएं, उपर्युक्त (i) से भिन्न	9	-”;

(ठ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3),

क. मद (iii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) मनोरंजन पार्को जिनमें थीम पार्कस, वाटर पार्कस, जॉय राइडस, मैरीगो राउंडस, गो-कार्टिंग भी आते हैं और बैले में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	9	-

(iii)क) मनोरंजन समारोह में प्रवेश या मनोरंजन सुविधाओं, जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन, कैसिनो, रेस क्लब और क्रीड़ा समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग भी शामिल हैं और इसी तरह के अन्य बातें शामिल हैं, में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा ।	14	-”;
--	----	-----

ख. मद (vi) में, कोष्ठक और अंक “(iii)” के बाद कोष्ठक और अंक “(iii)क),” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या (3) के मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक); और मद (vi) के उप मद (ग) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति के मामले में, जिसमें भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, का अंतरण शामिल हो तो ऐसी आपूर्ति का मूल्य उस कुल राशि के समतुल्य होगा जो कि ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि में से ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य को घटाकर प्राप्त होगी और ऐसी भूमि के या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य के लिए यह माना जाएगा कि यह ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि का एक-तिहाई होगा ।

स्पष्टीकरण - उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के मामले में, “कुल राशि” से अभिप्राय -

(क) उपर्युक्त सेवाओं के एवज में भारित प्रतिफल; और

(ख) ऐसी भूमि के/की या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से के/की, जैसी भी स्थिति हो, अंतरण पर भारित राशि, जिसमें ऐसे अंतरण में पट्टा या उप पट्टा भी शामिल है, के योग से है”

[फाइल संख्या -354/13/2018-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: -प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, सा.का.नि. 1405 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 2/2018- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (a) against serial number 3, in the entry in column (3), after the words “a Governmental Authority” the words “ or a Government Entity” shall be inserted;
- (b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3A	Chapter 99	Composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25 per cent. of the value of the said composite supply provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority or a Government Entity by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.	Nil	Nil”;

- (c) against serial number 16, in the entry in column (3), for the words “one year”, the words “three years” shall be substituted;

(d) after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“19A	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by an aircraft from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30 th day of September, 2018.
19B	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30 th day of September, 2018.”;

(e) against serial number 22, in the entry in column (3), after item (b), the following item shall be inserted, namely: -

“(c) motor vehicle for transport of students, faculty and staff, to a person providing services of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of pre-school education and education upto higher secondary school or equivalent.”;

(f) after serial number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“29A	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Naval Group Insurance Fund to the personnel of Coast Guard under the Group Insurance Schemes of the Central Government.	Nil	Nil”;

(g) against serial number 36, in the entry in column (3), in item (c), for the words “fifty thousand”, the words “two lakhs” shall be substituted;

(h) after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of reinsurance of the insurance schemes specified in serial number 35 or 36.	Nil	Nil”;

(i) after serial number 39 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“39A	Heading 9971	Services by an intermediary of financial services located in a multi services SEZ with International Financial Services Centre (IFSC) status to a customer located outside India for international	Nil	Nil”;

		financial services in currencies other than Indian rupees (INR). <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the intermediary of financial services in IFSC is a person,- (i) who is permitted or recognised as such by the Government of India or any Regulator appointed for regulation of IFSC; or (ii) who is treated as a person resident outside India under the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015; or (iii) who is registered under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (International Financial Service Centre) Guidelines, 2015 as IFSC Insurance Office; or (iv) who is permitted as such by Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015.		
--	--	---	--	--

(j) against serial number 45, in the entry in column (3),-

(i) in item (a), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

(ii) in item (b), after sub-item (iii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iv) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

(iii) in item (c), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

(k) after serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“53A	Heading 9985	Services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.	Nil	Nil”;

(l) against serial number 54, in the entry in column (3), after item (g), the following item shall be inserted, namely:-

“(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;

(m) against serial number 60, in the entry in column (3), the words “the Ministry of External Affairs,” shall be omitted;

(n) after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“65A	Heading 9991	Services by way of providing information under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005).	Nil	Nil”;

(o) against serial number 66, in the entry in column (3),-

(i) after item (a), the following item shall be inserted, namely:-

“(aa) by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee.”;

(ii) in item (b),-

(A) in sub-item (iv), the words “upto higher secondary” shall be omitted;

(B) after sub-item (iv), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(v) supply of online educational journals or periodicals.”;

(C) in the proviso, for the word, brackets and letter “entry (b)”, the words, brackets and letters “sub-items (i), (ii) and (iii) of item (b)” shall be substituted;

(D) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing contained in sub-item (v) of item (b) shall apply to an institution providing services by way of,-

(i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent; or

(ii) education as a part of an approved vocational education course.”;

(p) against serial number 77, in the entry in column (3), in item (c), for the words “five thousand”, the words “seven thousand five hundred” shall be substituted;

(q) against serial number 81, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

“Services by way of right to admission to-

(a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;

(b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event;

(c) recognised sporting event;

(d) planetarium,

where the consideration for right to admission to the events or places as referred to in items (a), (b), (c) or (d) above is not more than Rs 500 per person.”.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.47/2017 - Central Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 *vide* number G.S.R. 1406(E), dated the 14th November, 2017.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2018- केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 691 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , -

- (क) क्रम संख्या 3 के समक्ष कालम (3) की प्रविष्टि में, “सरकारी प्राधिकारी” शब्दों के पश्चात “या सरकारी निकाय” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा, -
- (ख) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3क	अध्याय 99	संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर निगम को सौंपे गए किसी कार्य से संबंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय को दी जाने वाली माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें माल की उक्त संयुक्त आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो ।	शून्य	शून्य”;

(ग) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“19क	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी ।
19ख	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी ।

(ड) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवा प्रदान करता हो जो कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा और माध्यमिक स्तर या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है;”;

(च) क्रम संख्या 29 के समक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“29क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं ।	शून्य	शून्य”;

(छ) क्रम संख्या 36 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में “पचास हजार” शब्दों के स्थान पर “दो लाख” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रम संख्या 35 या 36 में विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुनः बीमा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(झ) क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“39क	शीर्ष 9971	किसी बहु सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन में स्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशनल फाइनेशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेटस हो, के द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं स्पष्टीकरण :- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, (i) जिसे भारत सरकार ने इस निमित्त अनुमति या मान्यता दी है या किसी विनियामक प्राधिकरण ने इस निमित्त अनुमति दी है या जो आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त कोई विनियामक है के रूप में मान्यता दी है, या (ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या (iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) के दिशा-	शून्य	शून्य”;

		निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, या (iii) जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत इस निमित्त अनुमति प्रदान की हो ।		
--	--	--	--	--

(ज) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;”;

ii. मद (ख), उप मद (iii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;”;

iii. मद (ग), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय ।”;

(ट) क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“53क	शीर्ष 9985	कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य ”;

(ठ) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में मद (छ), के पश्चात निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं ।”

(ड) क्रम संख्या 60 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “विदेश मंत्रालय,” को निरसित किया जाएगा, यथा:

(ढ) क्रम संख्या 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“65क	शीर्ष 9991	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(ण) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क) के पश्चात, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा;”

ii. मद (ख) में,-

(क) उप-मद (iv) में, “ माध्यमिक स्तर तक” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

जब उप मद (iv), के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति :”;

(ग) परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “प्रविष्टि (ख)’ के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “मद (ख) के उप मद (i), (ii) और (iii) ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते और भी कि मद (ख) के उप मद (v) में निहित कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि, -

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से; या

(ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों”;

(त) क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पांच सौ” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(थ) क्रम संख्या 81 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं -

(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर-मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल है;

(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा जो कि मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो;

(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह;

(घ) तारामंडल;

जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा संदर्भित समारोह या स्थानों में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल 500 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक न हो ।” ।

[फाइल संख्या 354/13/2018 -टीआयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 47/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि 1406 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 3/2018- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

GSR.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017.”;

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(f) “insurance agent” shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).’.

[F. No. 354/13/2018- TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 33/2017 - Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017 *vide* number G.S.R. 1275 (E), dated the 13th October, 2017.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 3/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति ।

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-
'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है ।'

[फाइल संख्या 354/13/2018- टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 जिसे सा.का.नि 1275 (अ.) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 4/2018-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely :-

- (a) registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and
- (b) registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay central tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause (a) above and in the form of development rights referred to in clause (b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

[F. No.354/13/2018 -TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 4/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात् :-

- (क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और
- (ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर केन्द्रीय कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है ।

[फाइल संख्या 354/13/2018- टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION
3, SUB-SECTION (i)]
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 5/2018- Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the central tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the Central Government in this behalf.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 5/2018- केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर केन्द्रीय कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है ।

[फाइल संख्या 354/13/2018- टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 6/2018-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I - 2.5%,

- (i) after S. No. 76 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“76A	13	Tamarind kernel powder”;
------	----	--------------------------

- (ii) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“78A	1404 or 3305	Mehendi paste in cones”;
------	-----------------	--------------------------

- (iii) after S. No. 103A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“103B	2302	Rice bran (other than de-oiled rice bran)”;
-------	------	---

- (iv) in S. No. 165, in column (3), the words, “to household domestic consumers or”, shall be omitted;

- (v) after S. No. 165 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“165A	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 00	Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers”;
-------	---	--

- (vi) in S. No. 198A, for the entry in column (3), the entry “Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork”, shall be substituted;
- (vii) in S. No. 219A, for the entry in column (3), the entry “Corduroy fabrics, velvet fabrics”, shall be substituted;
- (viii) in S. No. 224A, for the entry in column (2), the entry “6309 or 6310”, shall be substituted;
- (ix) after S. No. 243 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“243A	88 or Any other chapter	Scientific and technical instruments, apparatus, equipment, accessories, parts, components, spares, tools, mock ups and modules, raw material and consumables required for launch vehicles and satellites and payloads”;
-------	-------------------------------	--

(B) in Schedule II-6%, -

- (i) after S. No. 32A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

“32AA	1704	Sugar boiled confectionery”;
-------	------	------------------------------

- (ii) after S. No. 46A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

“46B	2201	Drinking water packed in 20 litres bottles”;
------	------	--

- (iii) in S. No. 56, for the entry in column (2), the entry “28 or 38”, shall be substituted;
- (iv) after S. No. 57A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“57B	2809	Fertilizer grade phosphoric acid”;
------	------	------------------------------------

(v) in S. No. 59, for the entry in column (2), the entry “29 or 3808 93”, shall be substituted;

(vi) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“78A	3808	The following Bio-pesticides, namely -
		1 Bacillus thuringiensis var. israelensis
		2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki
		3 Bacillus thuringiensis var. galleriae
		4 Bacillus sphaericus
		5 Trichoderma viride
		6 Trichoderma harzianum
		7 Pseudomonas fluorescens
		8 Beauveria bassiana
		9 NPV of Helicoverpa armigera
		10 NPV of Spodoptera litura
		11 Neem based pesticides
		12 Cymbopogon”;

(vii) after S. No. 80 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“80A	3826	Bio-diesel”;
------	------	--------------

(viii) for S. No. 99A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“99A	4418	Bamboo wood building joinery
99B	4419	Tableware and Kitchenware of wood”;

(ix) S. No. 103 and the entries relating thereto shall be omitted;

(x) S. No. 104 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xi) in S. No. 133, in column (3), after the words, “Absorbent cotton wool”, the words and brackets, “[except cigarette filter rods]”, shall be added;

(xii) in S. No. 147, for the entry in column (3), the entry “Woven pile fabrics and chenille fabrics except Corduroy fabrics, velvet fabric, other than fabrics of heading 5802 or 5806”, shall be substituted;

(xiii) after S. No. 195A, and entries relating thereto the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“195B	8424	Sprinklers; drip irrigation system including laterals; mechanical sprayers”;
-------	------	--

(C) in Schedule III - 9%, -

(i) in S. No. 3, in column (3), after the words “derived from vegetable products” the words and brackets, “[other than tamarind kernel powder]” shall be added;

(ii) in S. No. 12, in column (3), for the words “groundnut sweets and gajak”, the words “groundnut sweets, gajak and sugar boiled confectionery”, shall be substituted;

(iii) in S. No. 24, in column (3), after the words, “matter nor flavoured”, the words and brackets, “[other than Drinking water packed in 20 litres bottles]” shall be added;

(iv) in S. No. 39, in column (3), after the words, “other Rate Schedules for goods”, the words, “including Fertilizer grade Phosphoric acid” shall be added;

(v) in S. No. 59, for the entry in column (3), the entry “Preparations for use on the hair [except Mehendi pate in Cones]” shall be substituted;

(vi) in S. No. 87, in column (3), after the words, “and similar products”, the words, figure and brackets, “[other than bio-pesticides mentioned against S. No. 78A of schedule -II]” shall be added;

(vii) S. No. 99, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(viii) in S. No. 137F, in column (3), after the words, “shingles and shakes”, the words and brackets, “[other than bamboo wood building joinery]” shall be added;

(ix) after S. No. 163 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“163A	56012200	Cigarette Filter rods”;
-------	----------	-------------------------

- (x) for S. No. 236A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“236A	7323 9410	Ghamella
236B	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel”;

- (xi) in S. No. 325, for the entry in column (3), the entry “Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines [other than sprinklers; drip irrigation systems including laterals; mechanical sprayer; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]” shall be substituted;

- (xii) after S. No. 399 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“399A	8702	Buses for use in public transport which exclusively run on Bio-fuels”;
-------	------	--

(D) in Schedule-IV-14%, -

- (i) in S. No. 164, for the entry in column (3), the entry “Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver [other than buses for use in public transport, which exclusively run on Bio-fuels]” shall be substituted;
- (ii) after S. No. 228, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“229	Any Chapter	Actionable claim in the form of chance to win in betting, gambling, or horse racing in race club”;
------	-------------	--

(E) in Schedule-V-1.5%, -

- (i) S. No. 2, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry “Semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport [other than Unworked or simply sawn or roughly shaped]” shall be substituted;

- (iii) in S. No. 4, for the entry in column (3), the entry “Synthetic or reconstructed semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport]” shall be substituted;
 - (iv) against S. No. 13, in column (3), the words and symbols, “[other than bangles of lac/shellac]” shall be omitted;
 - (v) against S. No. 17, in column (3), for the entry, the entry “Imitation jewellery [other than bangles of lac/shellac]” shall be substituted.
- (F) in Schedule-VI - 0.125%, -

- (i) in S. No. 1, for the entry in column (3), the entry, “All goods” shall be substituted;
- (ii) in S. No. 2, for the entry in column (3), the entry, “Semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped” shall be substituted;
- (iii) after S. No. 2, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“2A	7103	Precious stones (other than diamonds), ungraded precious stones (other than diamonds)”;
-----	------	---

- (iv) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry, “Synthetic or reconstructed semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped” shall be substituted;
- (v) after S. No. 3, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“4	7104	Synthetic or reconstructed precious stones”;
----	------	--

[F.No.354/1/2018-TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 41/2017 Central Tax(Rate) dated 14th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 1387 (E), dated the, 14th November, 2017.

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE
OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Corrigendum

New Delhi, the 1st February, 2018

G.S.R. (E). - In the notification of the Government of India, Ministry of Finance
(Department of Revenue), No.6/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018,
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number
G.S.R. 80(E), dated the 25th January, 2018, -

- (i) at page 7, in line 3, for “substituted” read “inserted”;
- (ii) at page 7, in line 6, for “substituted” read “inserted”.

[F.No.354/1/2018-TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण की भाग-11, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 6/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ). - केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-
उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I -2.5% में,

- (i) क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“76क	13	इमली गिरी का पाउडर”;
------	----	----------------------

- (ii) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“78क	1404 या 3305	मेहंदी पेस्ट, कोन्स में”;
------	-----------------	---------------------------

- (iii) क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“103ख	2302	राइस ब्रान (तेल रहित राइस ब्रान से भिन्न)”;
-------	------	---

- (iv) क्रम संख्या 165 में, कॉलम (3) में “पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं या” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 165 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“165क	2711 12 00 2711 13 00, 2711 19 00	लिक्वीफाईड प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, लिक्वीफाईड प्रोपेन और लिक्वीफाईड ब्यूटेन और लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस, पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए”;
-------	---	---

- (i) क्रम संख्या 198क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “पुआल, एस्पेरोओ या अन्य संग्रथन सामग्री के निर्माण; टोकरी कार्य और खपची कार्य”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोईरुय फैब्रिक्स, वेलवेट फैब्रिक्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 224 क में कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि“6309 या 6310”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“243क	88 या अन्य कोई अध्याय	वैज्ञानिक और तकनीकी औजार, उपकरण, उपस्कर, सहायक सामग्री, कलपुर्जे, घटक, स्पेयर्स, टूल्स, मोक अप्स और मॉड्यूल्स, कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण यानों और उपग्रह तथा पेलोड्स के लिए आवश्यक हों”;
-------	-----------------------	--

(ख) अनुसूची II -6%, -

- (i) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“32कक	1704	शुगर बॉयल्ड कनफेक्शनरी”;
-------	------	--------------------------

- (ii) क्रम संख्या 46क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“46ख	2201	20 लीटर की बोतलों में भरे पेयजल”;
------	------	-----------------------------------

- (iii) क्रम संख्या 56 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “28 या 38” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 57क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“57ख	2809	उर्वरक श्रेणी के फास्फोरिक एसिड”;
------	------	-----------------------------------

- (v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि “29 या 3808 93” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“78क	3808	निम्नलिखित बायो-पेस्टीसाइड्स, यथा - 1 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. इजराइलेंसिस 2 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. कस्टकी 3 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. गेलेरिया 4 बेसिलस स्फेरिकस 5 ट्राइकोडर्मा विरिडे 6 ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 7 स्पूडोनाइमस प्लूरोसेंस 8 ब्यूवेरियाबसियाना 9 एनपीवी ऑफ हेलिकोवर्पाभिगेरा 10 एनपीवी ऑफ स्पूडोप्टेरिलिटूरा
------	------	--

		11 नीम आधारित कीटनाशी
		12 सिम्बोपोगन

- (vii) क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“80क	3826	बायो डीजल”;
------	------	-------------

- (viii) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“99क	4418	बंबू वुड बिल्लिंग ज्वाइनरी”
99ख	4419	काष्ठ के टेबलवेयर और किचनवेयर”;

- (ix) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 133 में, कॉलम (3) में “एबर्जबेंट कॉटन वूल्स” शब्दों के पश्चात शब्द और कोष्ठक “[सिगरेट फिल्टर राइस को छोड़कर]” को जोड़ा जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “वोवेन पाइल फैब्रिक्स और चिनाइल फैब्रिक्स, कोईराय फैब्रिक्स और वेलवेट फैब्रिक्स को छोड़कर, उन फैब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 5806 में दिए गए हैं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“195ख	8424	स्पीकलर्स; ड्रीप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटरलस; मैकेनिकल्स स्प्रैयर्स भी आते हैं”;
-------	------	--

(C) अनुसूची III-9% में, -

- (i) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में “वानस्पतिक उत्पादों से निष्कर्षित” शब्दों के पश्चात शब्द और कोष्ठक, “[इमली गिरी के पाउडर से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) में, “ग्राउंड नट्स सीड और गजक” शब्दों की प्रविष्टि के स्थान पर “ग्राउंड नट्स सीड, गजक और शुगर ब्वायल्ड कन्फेक्शनरी” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 24 में, कॉलम (3) में “बिना फ्लेवर वाले पदार्थ” शब्दों के पश्चात “[20 लीटर की बोतलों में बंद पेय जल से भिन्न]” शब्दों को जोड़ा जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 39 में, कॉलम (3) में “वस्तुओं की अन्य दर सूची” शब्दों के पश्चात “फास्फोरिक एसिड की श्रेणी के उर्वरक समेत” को जोड़ा जाएगा ।
- (v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद [मेहंदी पेस्ट, कोन्स में, को छोड़कर], को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 87 में, कॉलम (3) में “और इसी प्रकार के उत्पादों” शब्दों के पश्चात शब्द अंक और कोष्ठक “[अनुसूची-11 के क्रम संख्या 78क के समक्ष उल्लिखित बायो-पेस्टीसाइड्स से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 137च में, कॉलम (3) में “शिगिल्स और शेक्स” शब्दों के स्थान पर “[बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी से भिन्न]” शब्दों को जोड़ा जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“163क	56012200	सिगरेट फिल्टर राइस”;
-------	----------	----------------------

- (x) क्रम संख्या 236क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“236क	7323 9410	घमेला”
236ख	7324	सेनेटरी वेयर और उसके हिस्से, जो कि लोहा और इस्पात से बने हुए हैं”;

- (xi) क्रम संख्या 325 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “यांत्रिक उपकरण (चाहे ये हस्तचालित हों या नहीं) जो कि लिफ्ट या पाउडर के प्रोजेक्टिंग या डिस्पेंसिंग या स्प्रेइंग के काम में आते हों; अग्निशामक, चाहे या चार्ज्ड हों या नहीं; स्प्रे गन और इसी प्रकार के उपकरण; स्टीम या सेंड ब्लॉस्टिंग मशीनें और इसी प्रकार के जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें [स्प्रिंकलर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटलर्स भी आते हैं; मैकेनिकल स्पेयर्स; नोजल, जो कि ड्रिप सिंचाई उपकरणों में लगाए जाते हैं या नोजल जो कि स्प्रिंकलर्स में लगाए जाते हैं, से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“399क	8702	बसें जो कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में लाई जाती हैं और केवल जैव ईंधन से चलती है”
-------	------	---

(घ) अनुसूची -IV-14 %, में -

- (i) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “मोटर वाहन जो कि चालक समेत 10 या इससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं [सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले उन बसों से भिन्न जो कि केवल जैव ईंधन से चलते हों]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“229	कोई भी अध्याय	बाजी, जुआ या रेस क्लब में धुड़-दौड़ में जीत की संभावना के रूप में किए जाने वाले दावे”
------	---------------	---

(ड.) अनुसूची -V-1.5% में -

- (i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “अर्द्ध मूल्यवान नग, चाहे ये तराशे गए हों या नहीं या इनकी ग्रेडिंग हुई हो या नहीं लेकिन ये पिरोए या जड़े न गए हों; अर्द्ध मूल्यवान नग जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए [उनसे भिन्न जो कि तराशे न गए हों या साधारणतया काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दिया गया हो]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग चाहे ये तराशे गए हों या ग्रेडेड हो या नहीं लेकिन पिरोए या जड़े न गए हों “[अनग्रेडेड सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग, जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हो]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्दों “[लाक/शेलाक की चूड़ियों से भिन्न]” को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर “नकली आभूषण [लाक/शेलाक की चूड़ियों से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(च) अनुसूची -VI-0.125% में, -

- (i) क्रम संख्या 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी वस्तुओं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “अर्द्ध मूल्यवान नग, जिन पर कोई काम नहीं हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2क	7103	मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न) अन ग्रेडेड मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न)”
-----	------	---

- (iv) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग जिन पर कोई काम न हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“2क	7104	सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड मूल्यवान नग
-----	------	--

[फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि 1387 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
Notification No.7/2018-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

- (i) in S. No. 102, for the entry in column (3), the entry “Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice-bran]”, shall be substituted;
- (ii) for S. No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“102A	2302	De-oiled rice bran
102B	2306	Cotton seed oil cake”;

- (iii) against S. No. 136A, in column (2), for the entry, the entry “7117” shall be substituted’;
- (iv) in S. No. 137, in column (3), after the words “used in agriculture, horticulture or forestry” the words, “other than ghamella”, shall be added;
- (v) in S. No. 148, for the entry in column (3), for the entry against item number (v), the entry “Vibhuti”, shall be substituted;

- (vi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“151	Any chapter	“Parts for manufacture of hearing aids”;
------	----------------	--

[F.No.354/1/2018-TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 42/2017 Central Tax(Rate) dated 14th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 1388 (E), dated the, 14th November, 2017.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 7/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 674 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 102 में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [राइस ब्रान से भिन्न] को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"102क	2302	तेल रहित राइस ब्रान
102ख	2306	बिनौले की खली";

(iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7117" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में "कृषि, बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं", शब्दों के स्थान पर "घमेला से भिन्न" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "विभूति" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा -

"151	कोई भी अध्याय	"सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे";
------	---------------	--

(फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 42/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि 1388 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के

राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-३, उप-खंड (१) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 8/2018 -Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the central tax on intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as are given in corresponding entry in column (2), from so much tax as specified in Schedule IV of Notification No. 1/2017 -Central Tax (Rate), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4), of the said Table, on the value that represent margin of the supplier, on supply of such goods.

Table

S. No.	Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	Old and used, petrol Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity of 1200 cc or more and of length of 4000 mm or more. Explanation. - For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	9%
2.	8703	Old and used, diesel driven motor vehicles of engine capacity of 1500 cc or more and of length of 4000 mm Explanation. - For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	9%

3	8703	Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility vehicles. Explanation. - For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm. and above.	9%
4.	87	All Old and used Vehicles other than those mentioned from S. No. 1 to S.No.3	6%

Explanation –For the purposes of this notification, -

- (i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income-Tax Act,1961(43 of 1961) on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of such goods on the date of supply, and where the margin of such supply is negative, it shall be ignored; and
- (ii) in any other case, the value that represents the margin of supplier shall be, the difference between the selling price and the purchase price and where such margin is negative, it shall be ignored.

2. This notification shall not apply, if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in clause (63) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, CENVAT as defined in CENVAT Credit Rules, 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid, on such goods.

[F.No.354/1/2018-TRU]

(Ruchi Bisht)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 8 /2018 -केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं, पर अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) की अनुसूची iv में विनिर्दिष्ट उतने केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जितना की वह ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पेट्रोल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संचालित मोटर वाहन. स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	9%
2.	8703	1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीज़ल संचालित मोटर वाहन. स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	9%

3.	8703	पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता 1500सीसी से अधिक हो, जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलीटी व्हीकल (एसयूवी) के रूप में जाना जाता हो, जिनमें यूटिलीटी व्हीकल्स भी आते हों। स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन भी आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मीलीमीटर से अधिक हो और जिनका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मीलीमीटर और इससे अधिक हो।	9%
4.	87	सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन, क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 में उल्लिखित वाहनों से भिन्न	6%

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -

- i. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें की उक्त वस्तु के मूल्यहास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यहास के बीच होने वाला अंतर होगा, और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और
 - ii. अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
2. यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 2 की उपधारा (63) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो, का लाभ उठाया हो।

[फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

Notification No 9/2018-Central Tax (Rate)

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”) read with sub-section (3) of section 11 of the said Act, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 45/2017- Central Tax (Rate), dated the 14th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.1391(E), dated the 14th November, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Table, -

(a) against serial number 1, -

(i) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital”;

(ii) in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted;

(b) against serial numbers 2 and 4, in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted.

(2) after the Table, the existing *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

“*Explanation 2.* - For the the purposes of this notification, exemption would be in line with the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96- Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017.”.

[F. No. 354/1/2018-TRU]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: The principal notification No. 45/2017-Central Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 1391(E), dated the 14th November, 2017.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 9/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (3) के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि. 1391 (अ) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हों”

(ii) कॉलम 4 में, ‘विज्ञान और अनुसंधान विभाग’ शब्दों के स्थान पर ‘विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में, “विज्ञान और अनुसंधान विभाग” शब्दों के स्थान पर “विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी. “.

(फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को सा.का.नि 1391 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise and Customs
Notification No. 10/2018 – Central Tax (Rate)**

New Delhi, the 23rd March, 2018

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017 – Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017, and amended vide notification No.38/2017- Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1262 (E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “31st day of March, 2018”, the figures, letters and words “30th day of June, 2018” shall be substituted.

[F. No.349/58/2017-GST (Pt.)]

(Ruchi Bisht)

Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification No.8/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017 and amended vide notification No.38/2017-Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1262 (E), dated the 13th October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.10/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि.....(अ) .- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि. 680 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 और सा.का.नि.1262(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, '31 मार्च 2018' अंकों और शब्द के स्थान पर '30 जून, 2018' अंक और शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (भाग)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) और सा.का.नि.1262(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में प्रकाशित की गई थी ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

Notification No. 11/2018-Central Tax (Rate)

New Delhi, the May 28th 2018

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 676 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Any Chapter	Priority Sector Lending Certificate	Any registered person	Any registered person

[F. No. 354/124/2018- TRU]

(Pramod Kumar)
Deputy Secretary to Government of India

Note: - The principal notification No.4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 43/2017-Central Tax(Rate) dated 14th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1389 (E), dated the 14th November, 2017.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 676 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	माल का आपूर्तिकर्त्ता	माल का प्राप्तकर्त्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	कोई भी अध्याय	प्रायर्टी सेक्टर लेडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

(फाइल संख्या 354/124/2018-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि 1389 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।